तूफान के मंत्रदाता : आखिरी लड़ाई के मैदान में।

तूफान की पुकार

डा० वीरेन्द्र वर्मा पुस्तक-संग्रह

लेखक
सुरेश राम

सर्वोदय प्रकाशन समिति
कदमकुआँ, पटना-३

प्रकाशक
मंत्री, सर्वोदय प्रकाशन समिति
कदमकुआँ, पटना-३

प्रथम संस्करण ३०००
मार्च, १९६८
सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य तीन रुपये मात्र

मुद्रक
ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड
पटना-४

—जिनकी लगन और मेहनत से—

—भूक्रान्ति की लपटें व्यापक हो रही हैं—

—बिहार एक नयी करवट ले रहा है—

—अपने उन तूफानी मित्रों साथियों को—

समर्पित

दो शब्द

धर्म गुरु पोप ने कहा है कि यह आलम बीमार है। सचमुच, बहुत बीमार है। और, हमारा देश तो इतना ज्यादा कि जरा कोई हवा चली कि हालत क़ाबू के बाहर हो जाती है। रोगी को तरह-तरह की दवाएँ दी जा रही हैं और पंचवर्षीय योजना रूपी इंजेक्शन भी कई लगाये गये, लेकिन सेहत संभल ही नहीं रही है। वजह इसकी यह है कि मर्ज़ की शिनाख्त ही ठीक से नहीं हो पायी है। बिगड़ा तो है हाजमा और इलाज हो रहा है कभी फेफड़े का, कभी जिगर का या कभी खून-खराबी का। इस बदहजमी को दूर करने के लिए ही विनोबा ने ग्रामदान का नुस्खा सुझाया है। आज ग्रामदान भारत के लिए जीव-वैज्ञानिक और ऐतिहासिक (बायोलाजिकल और हिस्टारिकल) आवश्यकता है। और ग्रामदान ही हमें नौकरशाही, लश्करशाही और पूंजीशाही के चंगुल से छुड़ाकर सच्ची लोकशाही की तरफ ले जा सकता है।

इस दृष्टि से पहला कदम बिहार ने उठाया है। इस किताब में यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि किस तरह बिहार ने ग्रामदान को पकड़ा, फिर प्रखण्डदान पर आया और इसके बाद जिलादान का कमाल हासिल किया। और अब तो यहां सब लोग बिहारदान के लिए मुस्तैदी से जुट गये हैं।

इस किताब की तैयारी के दौरान बिहार के अपने साथियों को मैंने काफी कष्ट दिया है। कुछ अर्से तक पटना में भी रहा जहाँ मेरे मित्र और 'ग्रामोदय' के प्राणवान सम्पादक, भाई सच्चिदानन्द का सत्संग करने का मौका मिला। सच्चिदानन्दजी के अनेक सुझावों के लिए उनका बहुत ऋणी हूँ। पुस्तक के सारे प्रूफ भी उन्होंने ही पढ़े हैं। 'ग्रामोदय' के व्यवस्थापक भाई धर्मवीर प्रसाद सिंह और अन्य मित्रों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए सारी सुविधाएँ मुहैय्या कर दीं और खास तौर से एहसानमन्द हूँ सर्वोदय प्रकाशन समिति का जिसने इसके प्रकाशन का भार उठाया है।

इलाहाबाद
१६-१-१९६८

—सुरेश राम

आमुख

आज दुनिया में सबसे बड़ी चाह समता की है। मगर बोलबाला विषमता का—हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तक में भी। इसी वजह से सब जगह असन्तोष है, संघर्ष है और ईर्ष्या-द्वेष है। ऐसी हालत में शान्ति कैसे नसीब हो सकती है? वैसे असली शान्ति तो हर कोई चाहता है, लेकिन आज जिस शान्ति की दुहाई दी जाती है वह असमानता की द्योतक है, वर्तमान निहित स्वार्थों की पोषक है और सत्ताधारियों की तो वह एकदम दासी ही बन गयी है। समता का नारा वे जरूर बुलन्द करते हैं—कभी समाजवाद के नाम पर, कभी साम्यवाद, कभी कल्याणकारी राज्य, कभी जनतंत्र, कभी सहकारी कामनवेल्थ के नाम पर। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अपने को उत्तरोत्तर ज्यादा शक्तिशाली बना लें और अपने विरोधियों को कुचल डालें। यही कारण है कि सत्ता, सम्पत्ति और शस्त्र का उनके हाथों में केन्द्रीकरण हो रहा है और जन-समुदाय की समता रूपी लक्ष्य से दूरी कम होती नजर नहीं आती। विकास, सभ्यता और संस्कृति के तत्त्वाधान में होने वाले इस नाटक के अन्दर साधारण मनुष्य लगातार पिसता जाता है और उसके ऊपर शोषण करने वालों का बोझ बढ़ रहा है। यह सिलसिला हमारे भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश में देखने को मिलता है।

इसका इलाज क्या है? कब तक ऊपर वालों को दोष देते रहेंगे? इससे कौन इनकार कर सकता है कि जब तक नीचे वाले खामोश बैठे रहेंगे और अपना शोषण बर्दाश्त करते रहेंगे, तब तक मर्ज अन्दर ही अन्दर जोर पकड़ता जायगा। लगभग सौ बरस हुए जब महामुनि कार्ल मार्क्स ने उनको ललकारा था कि 'एक हो जाओ और अपनी बेड़ियां फेंक दो।' उन्होंने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि विषमता या ऊँच-नीच ईश्वरीय इच्छा या प्रकृति की तरफ से लादी हुई चीज नहीं है, बल्कि वह समाज की गलत व्यवस्था और हमारी नासमझ करतूतों का नतीजा है जिसे मिटाया जा सकता है। उनके इस मंत्र को रूस में और फिर चीन में साकार रूप देने की कोशिश की गयी और अन्य देशों को भी इससे बड़ी प्रेरणा मिली।

मगर अब तक दुनिया में कहीं पर भी, मजदूरों के किसी समुदाय की बेड़ियां नहीं कट सकी हैं। विगत शताब्दी का इतिहास मानों हमें बता रहा है कि मजदूर हों या कोई और, वे अपने बाहरी शिकंजे से तब तक मुक्ति नहीं पा सकते, जब तक अन्दर के शिकंजे से भी मुक्त न हो जायँ। अन्दर का शिकंजा कौन सा? वह है—स्वामित्व या मालकियत का शिकंजा जो हर किसी को मजबूती से जकड़े हुए है। अगर कारखाने का मजदूर, खेतिहर भूमिहीन अपनी मजदूरी या मेहनत की मालकियत छोड़ने और उसे समाज के हाथ में समर्पण करने को तैयार नहीं है, तो कारखाने के मालिक या भूमिवान से अपनी दौलत की मालकियत छोड़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इससे स्पष्ट है कि विश्वव्यापी विषमता, शोषण और गुलामी की जड़ है मालकियत।

महात्मा गांधी ने इस रहस्य को समझ लिया था और इसकी जड़ पर ही चोट करते हुए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त पेश किया था। उन्होंने बताया था कि दौलत या उत्पादन के सब साधनों की मालकियत समाज की हो और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग ट्रस्टी (या थातीदार) के तौर पर करे। स्वराज्य-प्राप्ति के आंदोलन में लगे रहने के कारण वे बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग नहीं कर सके। लेकिन आजाद हिन्दुस्तान में विनोबाजी के द्वारा यह प्रयोग शुरू हुआ है, और सर्वोदय मानो आज आह्वान कर रहा है कि—"दुनिया के रहने वालो, एक हो जाओ और अपनी निजी मालकियत को समाज के हाथ में सौंप दो तो तुम्हारी बेड़ियां झड़ जायेंगी।" इस कल्पना को अमली जामा पहनाने की कोशिश ग्रामदान आन्दोलन कर रहा है। ग्रामदान का मतलब है कि जमीन पर निजी या सरकारी मालकियत न होकर समाज की हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और काम सबकी सुमति से हो। मगर एक गांव ऐसा करे और दूसरे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहें तो वह टिक नहीं सकेगा। इसलिए विनोबा ने उद्घोष किया है ग्रामदान तूफान का। एक गांव नहीं, पूरे प्रखण्ड के सारे गाँव ग्रामदान में आने चाहिए। यानी प्रखण्डदान होना चाहिए। और एक प्रखण्ड नहीं, जिले के सारे प्रखण्ड ग्रामदान में आने चाहिए, यानी जिलादान होना चाहिए। और फिर एक जिला नहीं, बिहार के सारे जिले ग्रामदान में आने चाहिए, यानी बिहारदान होना चाहिए।

सवाल यह उठता है कि जमीन का मसला ही क्यों उठाया गया, कारखानों या उद्योग-धंधों का क्यों नहीं? जवाब सीधा और साफ है—कारखाने या उद्योग-धन्धे जमीन पर ही बनते और चलते हैं; उनके लिए कच्चा माल जमीन

से ही पैदा होता है, और जमीन ही तमाम उत्पादन का अखण्ड स्रोत है। सारा समाज जमीन पर ही खड़ा है। जहाँ जमीन की मालकियत मिटी, वहाँ कल-कारखानों की मालकियत खत्म होते देर न लगेगी और शोषण-रहित एवं शासन-मुक्त समाज की राह खुल जायगी। फिर, देश में कारखाना-मजदूरों के मुकाबले भूमिहीन मजदूरों की तायदाद सात गुने से भी ज्यादा है, लगभग सवा तीन करोड़! लेकिन इनकी आमदनी देश की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी की एक तिहाई से भी कम है। न उनको मँहगी मिलती है, न कोई भत्ता, न और किसी तरह की सुविधा ही प्राप्त होती है। भारतीय प्रजातन्त्र का जो भवन दीखता है, उसकी बुनियाद में यह भूमिहीन बन्धु ही हैं और अगर उसकी स्थिति नहीं सुधरती है तो सारी इमारत के गिरने का खतरा है।

पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में जो काण्ड पिछले साल हुए, उन्होंने इस सचाई को खोलकर रख दिया हैं। चौथे आम चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जब नयी संयुक्त सरकार बन गयी तो उसमें कम्युनिष्ट बन्धुओं का बहुमत था। उनके इशारे पर नक्सलबाड़ी के भूमिहीनों ने बगावत कर दी। उन्होंने भूमिवालों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। उनमें से चन्द मारे भी गये, बहुत से घर छोड़कर चले गये और एक विप्लव खड़ा हो गया। सारे देश में नक्सलबाड़ी का नाम गूंज गया और एक सनसनी मच गयी। पश्चिम बंगाल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष और भूदान-ग्रामदान आन्दोलन के प्रमुख नेता श्री चारुचन्द्र भण्डारी जी ने वहाँ की स्थिति का अध्ययन करने के बाद अपने एक वक्तव्य में कहा कि अगर भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं दी जाती है तो पश्चिम बंगाल में कोहराम मच जायगा और उसे कोई भी रोक नहीं पायेगा।

भारत की भूमि समस्या की भयानकता पर क्या देश के, क्या विदेश के विशेषज्ञों ने आश्चर्य और वेदना प्रकट की है। अमरीका के प्रोफेसर लॉडविन्सकी और रूस की बहन आर० गुर्विच आदि सबका यही कहना है कि इस देश में अनाज की समस्या तब तक हल नहीं होगी, जब यक ठीक ढंग से भूमि का बँटवारा नहीं किया जायेगा। भूमि की विषमता रहेगी तो आर्थिक और राजनीतिक, दोनों तरह से देश में अन्याय बढ़ेगा और अशान्ति होगी। दुर्भाग्यवश, भारत में पिछले पन्द्रह-बीस साल से, भूमि-सुधार की दृष्टि से, जो कानून बने, उनपर अमल नहीं हुआ और भूमिहीन

मजदूरों की हालत जो और भी ज्यादा बिगड़ गयी है। हाल ही में अमरीका के एक कृषि-शास्त्री, श्री डैनियल थार्नर ने कई साल यहां रहकर भूमि के प्रश्न का अध्ययन कर, यहाँ की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए चार निबंध लिखे जो नवम्बर के महीने में 'स्टेट्समैन' दैनिक में प्रकाशित हुए। उन्होंने बड़े दुःख के साथ बताया है कि भारत में 'साहिबबहादुर' काश्तकारों की एक नयी पौध खड़ी हो रही है जिसमें व्यापारी हैं, पेंशनयाफ्ता ऊँचे सरकारी ओहदेदार और मिलिट्री अधिकारी हैं, चोटी के साहुकार और वकील हैं जो पूँजीवादी व्यवसाय की दृष्टि से खेती को अपना रहे हैं और बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक बनकर खूब रुपया कमा रहे हैं। उनका कहना है कि ये नये काश्तकार अनाज की पैदावार बढ़ाकर गल्ले की कमी पूरी कर पायेंगे कि नहीं, लेकिन भूमिहीनता की समस्या और भी गम्भीर रूप ले लेगी। और, अगर पूंजीवादियों ने, जो शहर से गाँव की तरफ आ रहे हैं, अपने मजदूरों के हितों पर कुशलता से ध्यान नहीं दिया तो शान्ति नाम की चीज उन्हें ग्रामीण भारत में नहीं नसीब होगी।

यह चेतावनी तो है दो-चार महीने पहले, १९६७ की। लेकिन सत्रह साल पहले संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ने भी भूमि-सुधार की मांग की थी और कहा था कि इनके बिना एशिया या अफ्रीका में, कहीं भी विकास की प्रकिया आगे बढ़ ही नहीं सकेगी। लेकिन भारत सरकार और प्रादेशिक सरकारें एक ऐसे दुष्ट चक्र में फँस गयी हैं कि देश की आर्थिक पराधीनता बढ़ती जा रही है और चाहे अन्न का सवाल हो, बेरोजगारी का हो, कर्ज का हो—सभी पेचीदा शक्ल लेते जा रहे हैं। हालत उनके काबू से बाहर होती जा रही है और देश में प्रतिक्रियाशील, विघटनकारी और शोषण-प्रधान शक्तियाँ जोर पकड़ रही हैं।

नतीजा क्या होगा? या तो एक धड़ाका और जगह-जगह नक्सलाबड़ियाँ होंगी! और जो न हो जाय थोड़ा है। लेकिन नहीं; इसका जवाब ग्रामदान, प्रखंडदान, जिलादान, बिहारदान के विचार ने दिया है। अगर सारे बिहार में जमीन की निजी मालकियत खत्म होती है और वह गाँव-समाज की हो जाती है तो भूमिवानों-भूमिहीनों के आपसी रिश्ते बदल जायेंगे। सच तो यह है कि तब न कोई भूमिवान रहेगा, न भूमिहीन; सब बनेंगे भूमि-पुत्र और सब अपने-अपने ढंग से खेती करेंगे और एक दूसरे काम में हाथ बटायेंगे। खुशी की बात है कि गत ९ दिसम्बर को बिहार के साथियों और मित्रों ने पूसा

रोड में बिहारदान का फैसला लिया है, और २ अक्तूबर, १९६८ तक उसे पूरा करने का संकल्प किया है।

बिहारदान को कामयाब करने के लिए, बिहार के सच्चे हितैषी और जाग्रत विचारक सच्चिदानन्द जी ने 'ग्रामोदय' में अपने एक सम्पादकीय अग्रलेख में जोरदार अपील करते हुए लिखा है:

"विनोबा ने कहा है कि एक वर्ष में बिहारदान होना चाहिए, और बिना शर्त होना चाहिए। गांधी का स्वराज्य जब एक वर्ष में नहीं हुआ, तो कहा गया कि उनकी अमुक शर्त नहीं पूरी की गयी। विनोबा ने कोई शर्त नहीं रखी है। वे कहते हैं बिहारदान निर्धारित तिथि तक होना ही चाहिए, अन्यथा देश की लोकशाही और एकता नहीं बचेगी। वास्तव में, बिहारदान ही एक शर्त है जिसके पूरा होने पर हमारी लोकशाही और एकता का अस्तित्व निर्भर करता है। अगर भारत को बचाना है, उसके लोकतंत्र को बचाना है तो बिहार-दान करो और फौरन करो—२ अक्तूबर'६९ तक भी नहीं, २ अक्तूबर'६८ तक। उन्होंने यह भी घोषित किया कि तुम २ अक्तूबर'६८ तक बिहारदान का संकल्प लो और मैं उसकी पूर्ति के लिए मर मिटूंगा। आज से दो वर्ष पूर्व ग्रामदान-तूफान का अभियान शुरू करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि यह लड़ाई हमारे जीवन की सबसे आखिरी और सबसे अच्छी लड़ाई (दि लास्ट एण्ड दि बेस्ट फाइट) होगी।"

अन्त में उन्होंने लिखा है:

"अगर २ अक्तूबर १९६८ तक बिहारदान हुआ, तो उस दिन गांधी का पुनर्जन्म होगा और इस आखिरी लड़ाई की विजय-पराजय पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए बिहारदान एक ऐतिहासिक उद्घोष है, उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का संकेत है, जो मानव-प्रगति को एक नया मोड़ देती है, एक नये विहान का क्रान्ति-पथ प्रशस्त करती है। हमें आशा और विश्वास है कि बिहारदान का संकल्प समय रहते पूरा होकर रहेगा।"

श्री सच्चिदानन्द का यह कथन एकदम सही और सच्चा है। बिहारदान का मोर्चा केवल बिहार का नहीं, सारे भारत का मोर्चा है जिसमें खास कर सर्वोदय विचार वालों की कसौटी है। हमें अब सावधानी से और सोच-विचार कर काम करना होगा। आगे जो काम बिहारदान की दृष्टि से किया जाय, उसमें सचेत रहना होगा और सच्ची लोकशक्ति खड़ी करनी-करानी होगी। तभी सबको महसूस होगा कि सर्वोदय की ताकत एक अलग

ताकत, अहिंसा को ताकत है, जो सरकारी और सियासी पार्टियों की ताकतों से तथा हिंसा की ताकतों से भिन्न है और इन सबके ऊपर है।

हमारा देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अभी तक पराधीन है। इस पराधीनता के कारण ही विषमता बढ़ रही है और कभी तेलंगाना तो कभी नक्सलबाड़ी जैसी घटनाएं हो रही हैं। हमें कबूल करना चाहिए कि जब तक लाखों-करोड़ो लोगों की उपेक्षा की जाती रहेगी, उनको नीच समझा जाता रहेगा और उनकी देह को नोच-नोचकर बेजान बनाया जाता रहेगा, तब तक यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। इस समस्या का सबसे कारगर हल ग्रामदान, प्रखंडदान, जिलादान, बिहारदान और भारतदान है। बिहार के मित्रों ने ग्रामदान-प्रखंडदान की धारा बहा दी है, जिलादान की कल्पना साकार की है और अब बिहारदान के लिए कमर कस रहे हैं। उनकी कामयाबी भारतदान को राह खोल देगी और इस देश को बचा लेगी, इसमें संदेह नहीं।

इलाहाबाद
१६-१-१६६८

—सुरेश राम

अनुक्रम

१.	तूफान की दिशा	१
२.	भूमि-समस्या की चुनौती	१३
३.	क्रांति के पथ पर	२७
४.	तूफान का मंत्र	४६
५.	तूफान-यात्रा	६१
६.	प्रखंडदान का प्रवाह	६३
७.	दरभंगा का पराक्रम	१११
८.	अकाल की छाया	१२३
६.	तूफान की पुकार	१३३
१०.	परिशिष्ट	१४१

पहला अध्याय

तूफान की दिशा

सबेरे का सुहावना समय था। पटना जंक्शन की घड़ी छः बजा रही थी। स्टेशन पर अपार भीड़ थी। खादीधारी, गद्दीधारी, अधिकारी और आम लोग, सभी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे नुमांया थे पीला साफा वाले भाई-बहन—यह थे बिहार के सत्रहों जिलों से आये हुए शांति सैनिक और सैनिकाएँ—जिनका नेतृत्व कर रहे थे श्री जयप्रकाश नारायण और दीदी प्रभावती।

रात भर आसमान साफ रहा था, जिससे बड़ा उत्साह था। लेकिन ऐसे मौके पर प्रकृति भी हाथ बंटाने से क्यों चूकती? बारिश हो गयी। इतनी ज्यादा नहीं कि सब उसमें नहा जायँ और मायूस होकर घर लौटने लगें, मगर इतनी कम भी नहीं कि अब तक का बना बनाया नक्शा बदस्तूर कायम रह सके।

थोड़ी देर के लिए दिल से सब और ख्याल निकल गये थे—भारत-पाकिस्तान के उलझे हुए संबंध और पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई, दिन-दुगुनी रात-चौगुनी बढ़ती हुई मंहगाई, और जनजीवन में राजनीतिकों की घुसपैठ और समाई, आदि। और सब के मन पर छाये हुए थे विनोबा—जो 'तूफान' से आ रहे हैं, तूफान लेकर, तूफान पैदा करने के लिए!

आ रहे हैं विनोबा! उनकी पैदाइश महाराष्ट्र की है, बचपन में तालीम भी वहीं हुई, जवानी की पूरी उम्र महाराष्ट्र में ही बितायी। मराठी में उन्होंने लिखा भी बहुत है—लेकिन जितना बिहार ने विनोबा को पहचाना है उतना महाराष्ट्र ने अभी तक नहीं। महाराष्ट्र जानता है कि विनोबा सारे धर्मों के मर्मज्ञ और ज्ञानी हैं, जो कुल धार्मिक वाङ्मय और मराठी सत्साहित्य मानो घोल कर पी गये हैं, महाराष्ट्र जानता है कि विनोबा अत्यन्त उत्कट ब्रह्मचारी हैं जिनमें शंकराचार्य का वैराग्य है और ज्ञानदेव की भक्ति-परायणता; महाराष्ट्र जानता है कि विनोबा बहुत प्रखर कर्मयोगी हैं जिनको कठोर-से-कठोर साधना आप-ही-आप सध जाती है—जैसा बापू ने विनोबा के पिताजी को लिखा था—'जिस चीज को हासिल करने के लिए मुझे बरसों मेहनत करनी

पड़ी, वह आपके चिरंजीवी पुत्र ने नाजुक उम्र में ही हासिल कर रखी है'। और सारा भारत जानता है कि विनोबा बापू के चुने हुए प्रथम सत्याग्रही हैं, युद्ध-मात्र के विरोधी हैं और खादी एवं रचनात्मक कार्यक्रम के सभी अंगों से ओत-प्रोत और समरस हैं। विनोबा क्रान्ति-दर्शी हैं। लेकिन विनोबा इस सबसे बढ़कर कुछ और भी हैं।

नहीं, कुछ और ही हैं—जिसे पहचानने का श्रेय बिहार को ही है। वह यह कि विनोबा समदर्शी हैं, समप्रेमी हैं, समसेवी हैं, अविरोध के उपासक हैं, समन्वय की मूर्ति हैं। एक वाक्य में कहना हो तो विनोबा का सारा जीवन करुणा रूपी मसाले के द्वारा दिल से दिल जोड़ने का प्रयोग है। दूसरे शब्दों में, विनोबा ऊपर से नीचे तक करुणा ही करुणा हैं। विनोबा माने करुणा!

इसी वजह से बिहार इनको विनोबा जैसे खड़े शब्द से नहीं, बल्कि 'बाबा' जैसे प्यार भरे नाम से पुकारता है। और बाबा बिहार से इतने एकरूप हो गये हैं कि अपने को 'हम' कहते हैं—जैसा सारा बिहार किया करता है—जिसपर उत्तर प्रदेश (या प्रश्न प्रदेश ?) और अन्य हिन्दी प्रान्तों के लोग, विशेषकर साहित्यिक उनपर नाराज रहते हैं।

* * *

बिहार बाबा पर और बाबा बिहार पर अपना हक मानते हैं।

कई साल पहले की बात है कि बाबा के पास श्री गौरी बाबू, ध्वजा बाबू, वैद्यनाथ बाबू और स्वर्गीय रामदेव बाबू, श्याम बाबू बैठे थे। बिहार के काम के बारे में चर्चा हो रही थी।

बाबा ने कहा—भारत माता का समाधान तबतक नहीं होगा जबतक हर भूमिहीन को जमीन नहीं मिलेगी.......अगर काम नहीं होगा, धर्म-शक्ति नहीं जागेगी तो बुरे परिणाम आयेंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे परिणाम आयें।

थोड़ी देर बाद बाबा कहने लगे—सारे हिन्दुस्तान में मुझे बहुत प्रेम मिला है, लेकिन बिहार को हम अपने बाप की स्टेट मानते हैं और यह परंपरा बहुत पुरानी मानते हैं .....जनक, बुद्ध, महावीर इसी भूमि के हैं। गांधीजी भी यहाँ आये थे......बेटा बाप के घर आया है तो अपना हक मांगता है। क्या बेटे को आप निराश करके भेजेंगे ?

बिहार अपने बाबा पर फूला नहीं समाता है और बाबा भी बिहार पर मुग्ध हैं। बिहार में एक जगह बाबा को जमीन दान देने के लिए एक आदमी

आया। दानपत्र भरकर लाया। लेकिन बाबा ने उसे फाड़ दिया, क्योंकि छठे हिस्से का दान नहीं था। महाराष्ट्र में या और कहीं विनोबा ऐसा करते तो हंगामा ही मच जाता कि नेकी और मार-मार। मगर वह दाता अपने बाबा के आगे बिलख पड़ा— घर में बहुत खर्चा है, लड़का विलायत पढ़ने जानेवाला है, बिटिया की शादी करनी हैं, विधवा बहन की परवरिश का बोझ आ पड़ा है, दादी बीमार है और उसकी इच्छा है कि बड़ा भारी श्राद्ध किया जाय—इस समय इतना कबूल कर लीजिये, आगे और देंगे।

बाबा ने मानो कलेजे पर पत्थर रख लिया था। एकदम चुप।

बाहर से आये एक वयोवृद्ध ने सिफारिश भी की—विनोबा, इस तरह तो दानपत्र नहीं ठुकराना चाहिए।

फिर भी चुप।

दाता ने आग्रह किया—बाबा, अच्छा दसवाँ हिस्सा ले लीजिये, बाकी फिर।

आँखें खोलीं और पूछा—आपके कितने बेटे हैं?

पाँच।

मुझे छठा मान लेने में क्या संकोच है? अपने घर में ही मुझे जगह नहीं है क्या?

यह कहते-कहते फिर मौन।

दाता ने मेरे हाथ से कलम छीनी और दानपत्र पूरा करके बोला—बाबा लीजिये, छठा हिस्सा लिया जाये।

बाबा की समाधि लगी थी... आंखों से दो मोती गिरे...उन्होंने अपना चश्मा उतारा और रूमाल से आंखें पोछने लगे।

*　　*　　*

एक मुसलमान सज्जन मिलने आये, बड़े संपन्न घराने के थे।

आदाब के बाद बाबा ने उनका कुशल-क्षेम पूछा। फिर कहा—कहिये कैसे तकलीफ की?

आपकी खिदमत में, बाबा, कुछ जमीन लेकर हाजिर हुआ था।

बहुत शुक्रिया...लेकिन यह तो बताइये कि आपके पास कितनी जमीन है—मुस्कराते हुए बाबा ने पूछा।

सवा सौ एकड़ होगी—खां साहब ने जवाब दिया।

तो आप कितनी जमीन दे रहे हैं ?

सोलह एकड़ ।

आप तो जानते हैं कि हम छठा हिस्सा मांगते हैं ।

बेशक, लेकिन हम पांच भाई और दो बहनें हैं । तो बाबा, आप घर के आठवें हुए । इसी लिहाज से...

आंखें बन्द । बाबा मौन । मानो अल्लाह के नूर का दर्शन कर रहे हों !

यह है विनोबा का बिहार से अटूट नाता !

* * *

लेकिन अपने बाबा पर बिहार गुस्सा भी करना जानता है— मगर वह दूसरे ढंग का है । उसको खिसियाहट इस बात पर होती है कि बाबा एकदम देश का कायापलट क्यों नहीं कर देते । यह सरकार, यह शासक, यह कांग्रेस, यह विरोधी दल, यह राजनीति, यह गंदगी और यह तबाही...बाबा एक बिगुल बजायें और हम क्रांति कर दें । सरकार के लिए उसके मन में इतना 'सॉफ्ट कार्नर' क्यों है ? बाबा जो कहें हम करने को तैयार हैं – हुक्म की देर है । पिछली दफा बाबा आया, सवा दो साल हमारे बीच में रहा ।... उसने वह गजब ढाया कि हमारे बिहार वालों के लिए भूमि की समस्या तो गौण हो गयी, लेकिन बाबा ही एक समस्या बन गया ! उन सबके आश्वासन दिलाने पर बाबा चला गया—इस उम्मीद से बिहार की कुल जमीन नहीं तो ३२ लाख एकड़ दान में आ ही जायगी ।...लेकिन वह हुआ नहीं ! ... हम तो चाहते हैं कि बाबा रहें और हरी झंडी दिखायें । और फिर हम नक्शा बदल दें ।

यह है बिहार को अपने बाबा से शिकायत ।

बाबा के इन प्यारों को कोई कितना समझाये, नहीं सुनेंगे । उनसे कहिये कि नक्शा बदलने के लिए कोई आधार भी तो होना चाहिए । कुछ ऐसी चीज करके पहले दिखलाइये जिसके बल पर यह कहा जा सके कि आप बिगुल बजते ही चलने को तैयार हो जायेंगे । पुराने या चालू ढर्रे को तोड़ने वाला एकाध कारनामा तो सामने आये जिससे पता चले कि आपके पीछे जनता का सैंक्शन है ।

बाबा के यह लड़ते मचल उठते हैं—जनता कोई अलग थोड़े ही है । हम ही तो जनता हैं...

लेकिन पिछले १२-१४ वर्ष के अनुभव पर वे अब यह महसूस करने लगे हैं कि पहले कुछ करना होगा और तब...... ।

तो क्या करें ?

तूफान !——

*　　　*　　　*

ठीक छः बजकर पैंतीस मिनट ।

तूफान एक्सप्रेस पटना जंक्शन पर आकर ठहर गया ।

लेकिन बाबा का डिब्बा जहां रुकनेवाला था, उसके पीछे ही रुक गया।

भगदड़ मच गयी ।

आसमान ने मस्ती से कई दहाड़ें मारीं। उधर जयजयकार से प्लेटफार्म भी गूंज उठा—महात्मा गांधी की जय, विनोबा की जय, जय ग्रामदान, जय जगत !

शांति सैनिक बाबा के डिब्बे की तरफ दौड़े, ताकि उनको एहतियात के साथ प्लेटफार्म के बाहर मंच पर ले जायं । लेकिन भीड़ अपने बाबा को कब छोड़ने वाली थी !

हरा टोप बाँधे हुए, कंधे पर रूमाल, शांति सेना के सुप्रीम कमांडर ने खुद ही स्थिति को संभाल लिया। दाहिना हाथ महादेवी ताई पकड़े थीं, जो पिछले पैंतीस साल से बाबा की सेवा करती आ रही हैं और बायीं तरफ थे जयदेव भाई जो दिल्ली वाली यात्रा के समय (१९५१) से बाबा के साथ हैं। कंधे पर झोला डाले हुए बाल भाई (जिन्हें बाबा पत्थर शास्त्री कहते हैं, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय से भूगर्भ-शास्त्र में एम० एस-सी० परीक्षा पास करने के बाद वह सीधे बाबा के पास ८ दिसम्बर, १९५४ को चले आये) दूसरी लाइन में ताई और बाबा के बीच में मानो बाबा के कान बने हुए थे । बाबा का बांया कान तो वर्षों से जवाब दे चुका है, दाहिना भी इधर बहुत तंग करने लगा है । इस वास्ते बाबा से लिखकर बोलना होता है । लेकिन बाल भाई कुछ ऐसे ताल से बोलते हैं कि बाबा प्रायः समझ लेते हैं । दीदी प्रभावती ने उनको बतलाया कि बाहर सभा का इंतजाम है। बाल ने कहा बाबा से। जयप्रकाशजी और अन्य नेता आगे बढ़े। बाबा भी मंच पर पहुँच गये। दोनों हाथ जोड़कर जनता-जनार्दन को प्रणाम किया।

बूंदा-बूंदी फिर से होने लगी।

बिहार के मुख्य मंत्री श्री कृष्णवल्लभ बाबू ने बाबा के बिहार आने पर हर्ष प्रकट किया और ग्रामदान में पूरा योग देने का आश्वासन दिया।

लोगों को लगा कि बाबा पहले से दुबला नजर आता है। दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चले थे। आवाज में कसाव कुछ कम था। लेकिन आत्म-विश्वास कहीं ज्यादा था और आंखों में से कांति टपक रही थी। चेहरा भी एकदम आनन्दमय था।

शरीर की कमजोरी को कबूल करते हुए बाबा ने कहा : "मैं आज यहां पंगु बनकर आया हूँ और काम है ग्रामदान-गिरि लांघने का। तो आप सब लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति भगवान का मूर्तस्वरूप है। उस इच्छाशक्ति के बल से 'ग्रामदान-गिरि-लंघम्' पंगु के द्वारा आप करायेंगे।"

भारत में पहला ग्रामदान २३ मई, १९५२ को मंगरौठ (जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) का हुआ था। उसके तीन साल बाद जब बाबा उड़ीसा में थे तो ग्रामदान में वेग आया और अकेले कोरापुट जिले में आठ सौ ग्रामदान हुए। फिर तमिलनाड में भी ग्रामदान की कुछ हवा चली। और १९५७ की २१-२२ सितम्बर को जब उनका पड़ाव मैसूर राज्य की यलवाल नामक बस्ती में था तो देश के विभिन्न नेता उनसे मिले थे और दो दिन तक ग्रामदान पर विचार-विनिमय किया था। इस चर्चा में विनोबा ने कहा था कि मान लीजिये कि दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाय तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं टिकेंगी? वस्तुओं के भाव बढ़ गये तो गांव-गांव का बचाव कौन करेगा? अगर अकाल पड़ा तो जिनको अन्न नहीं मिलेगा वे क्या खायेंगे? कुछ जिम्मेवारी हमारी रहेगी। इसलिए ग्रामदान को हम 'डिफेंस मेजर' समझते हैं।

इसका हवाला देते हुए बाबा बोले : यलवाल में जिस प्रसंग का मैंने जिक्र किया था, वह आज प्रत्यक्ष मौजूद है। इसलिए आशा करूंगा कि ग्रामदान की जरूरत आप समझेंगे और गांव-गांव में ग्राम-स्वराज्य, बिहार के हर गांव में ग्राम-स्वराज्य स्थापित करेंगे।

उसी दिन, ११ सितम्बर १९६५ को, दिल्ली में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री श्री ऊथांट आनेवाले थे। उनका स्मरण करते हुए बाबा बोले—**बहुत खुशी की बात है कि वे आज आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दोनों पक्षों में सामंजस्य पैदा हो। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक शरीर के दो फेफड़े हैं। दोनों का हित एक दूसरे की मैत्री में है, शत्रुता में नहीं। भगवत्कृपा से उनके**

काम में सफलता मिले और कोई राह मिल जाय ताकि दुनिया में शांति रहे; नहीं तो कुल दुनिया के लिए खतरा पड़ा है। यह एक बड़ा मसला है। इसमें से विश्व-युद्ध निकल सकता है। भगवान शांति की शक्ति स्थापित करें और सबके दिल को, बुद्धि को सत्प्रेरणा दें। मैं आशा करता हूँ कि बिहार में यह ग्रामदान-गिरि-लंघम् का काम आप पूरा करेंगे।

स्टेशन से बाबा मोटर से अनुग्रह समाज अध्ययन संस्थान चले गये। यह बिहार की वह प्रसिद्ध जगह है जहां दूसरे महायुद्ध के दौरान बापू कई बार ठहरे थे। पास में अपनी चिर गति से गंगा बहती है। बिहार के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विकास में इस स्थान का बड़ा हाथ रहा है। बाबा थोड़ी देर तक खड़े-खड़े गंगा को देखते रहे.....।

कुछ समय में बहुत से मित्र और साथी वहां जमा हो गये। विनोबा-जयन्ती का समारोह मनाया जा रहा था। आज बाबा ने अपनी जीवन-यात्रा के सत्तर साल पूरे कर इकहत्तरवें में प्रवेश किया है। सब धर्मों की प्रार्थना की गयी। भारत की चौदह भाषाओं में भजन गाये गये। स्थानीय सजावट श्री हरि उप्पलजी ने की थी। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्णराज मेहता ने किया था। भेंट में सूत की मालाएं अर्पित की गयीं। सत्तर दीपक जल रहे थे।

शुभकामनाओं के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए बाबा ने कहा—

एक व्यापक सर्वजन-हितकारी पवित्र कार्य लेकर पन्द्रह साल से घूम रहा हूँ। वह लगभग सर्वमान्य है। इस हालत में उसके शीघ्र प्रचार में अगर कोई बाधा हो तो वह अपेक्षित चित्तशुद्धि की न्यूनता ही हो सकती है। अगर अहं क्षीण हो जाय, तो मुझे विश्वास है कि यह सत्कार्य अतिशीघ्र व्यापक होगा, फैलेगा। आपकी शुभ-कामनाओं का परिणाम भगवत्कृपा से यह हो कि चित्त के शेष मल क्षीण हों और अहं शून्य हो जाय। अहं शून्य होने पर कार्य अनंत हो जाता है।

अंत में गद्‌गद् वाणी से वह कहने लगे—बोलने के लिए शब्द नहीं हैं, किन शब्दों में आपका उपकार मानूँ? जब आपने सत्कार्य के लिए शुभ-कामनाएँ प्रकट कीं, तो उनमें अंकित है, निहित है कि जितना इसमें सहकार कर सकते हैं, उतना करने की प्रतिज्ञा की। मैं यहां बिहार में आया हूँ, जहां गौतम बुद्ध और महावीर का विहार हुआ है। आइये, हम सभी उनके चरण-चिन्हों पर

चलने की कोशिश करें। परमात्मा हमें निरहंकार और शून्य बनाये। आप और हम पर उसका यही आशीर्वाद हो।

श्री कृष्णवल्लभ बाबू और उनके साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्य बाबा से मिले। उन्होंने इत्मिनान दिलाया कि ग्रामदान के काम में भरसक मदद देंगे। निर्माण या ग्राम-पुनर्रचना के कार्यक्रम में सुविधा की दृष्टि से जल्दी ही एक ग्रामदान आर्डिनेंस लागू करने का इरादा भी जाहिर किया। खुशी की बात है कि २ अक्तूबर, १९६५ को बिहार सरकार ने वह आर्डिनेंस जारी कर दिया। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब सबसे गये-बीते, भूमिहीनों और पददलित समाज के लिए किसी प्रादेशिक या केन्द्रीय सरकार ने एक आर्डिनेन्स निकाला हो। थोड़े दिन बाद जब बिहार की विधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ, तो उस आर्डिनेन्स के अनुसार कानून भी पास हो गया, और वह सर्वसम्मति से हुआ। विरोधी दलों का उसमें पूरा समर्थन था, जो प्रायः नहीं रहा करता है।

शाम को पटना के सुप्रसिद्ध गांधी मैदान में आम सभा हुई। बारिश की वजह से मैदान में जगह-जगह पानी था। कहीं कीचड़ भी थी। बैठने की सुविधा का सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी हजारों लोग जमा थे। थोड़ी-थोड़ी खुश्क जमीन पर लोगों के अलग-अलग जत्थे से बन गये थे। खोंचेवालों के लिए तो आम सभा विशेष अवसर बन जाती है। सभा के कुछ देर पहले बादलों ने धमकी दी और यह डर हुआ कि कहीं कार्यक्रम बन्द करना न पड़े।

लेकिन छः बजते-बजते आसमान साफ हो गया। पश्चिम में लाली भी दिखायी दी। अध्यक्षता स्वागत-समिति के सभापति श्री कृष्णवल्लभ बाबू ने की। उन्होंने ग्रामदान के लिए १,४७,५०१ रुपये की थैली भेंट की। जयप्रकाश बाबू ने ७७९ ग्रामदानों की घोषणा की। उन्होंने संकोच के साथ कहा कि 'हमने एक हजार ग्रामदान अर्पण करने का इरादा किया था, लेकिन इसमें कमी रह गयी जिसका बहुत खेद है। थैली के रूप में एक लाख रुपये देने का सोचा था। जो बेशी रकम जमा हुई है, उसके बारे में मित्रों से सलाह करके यह तय किया है कि लाजपत राय कोष में दे देंगे।'

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 'बिहार के तूफान को देखकर दूसरे सूबों में भी चेतना आयी

है। और पिछले तीन महीने में देश के विभिन्न प्रांतों में १६७५ ग्रामदान मिले हैं। अब तक भारत में कुल ८६६४ ग्रामदान हो चुके हैं।'

इस काररवाई में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन लोग बाबा की बात सुनने के लिए बेचैन थे। शहर के सभ्य नागरिकों को उतनी गर्ज ग्रामदान की जानकारी प्राप्त करने की नहीं थी जितनी भारत-पाकिस्तान लड़ाई पर बाबा की राय जानने की। वे कुछ गरम-गरम बातें सुनना चाहते थे।

जयप्रकाश बाबू की शंका दूर करते हुए बाबा ने कहा कि अगर कोई लड़का परीक्षा में ७८ प्रतिशत नंबर पा लेगा तो यह माना जायगा कि उसने सम्मान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है! इस पर सब लोग हंस पड़े और कहने लगे कि बाबा बड़ा विनोदी है।

थोड़ी ही देर में बाबा ने पटना के निवासियों को बड़े दर्द के साथ याद दिलाया कि अभी कुछ दिन पहले आपने पराक्रम किया है (पटने में ६ अगस्त ६५ को हुआ गोलीकांड) जिससे शांति सेना की आवश्यकता स्वयं सिद्ध ही है। यही पराक्रम इन्दौर, हैदराबाद वालों ने भी किया है। इसके बाद बाबा जनता के मनचाहे विषय पर आ गये :

अभी अयूब साहब ने जो बात कही वह सुनकर हमें दुःख हुआ। उन्होंने अपने देश से जो कुछ कहा है, उसमें एक बात यह भी कही है कि 'लाइल्लाह इल्ललिल्लाह मुहम्मद व रसूलुल्लाह'--अल्लाह एक है और मुहम्मद उसका रसूल है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो लड़ाई उन्होंने छेड़ी है, जो घुसपैठ करायी है उसके साथ पैगम्बर मुहम्मद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? उनका उससे क्या संबंध है? अल्लाह की बात तो ठीक है, बुरा काम करने वाले भी अल्लाह का नाम ले सकते हैं और अच्छा काम करने वाले भी उसका नाम ले सकते हैं। मैंने नारायण-बीड़ी, कृष्ण-शराब यह सब देखा है। इसको मैं कैसे रोकूँ? संतों ने कहा है कि पापी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए अल्लाह की बात तो ठीक है। लेकिन मुहम्मद पैगम्बर को क्यों तकलीफ दी गयी? बात साफ है कि वे 'काम्युनल स्पिरिट' (साम्प्रदायिक भावना) बढ़ाना चाहते हैं। वे 'जेनरल' हैं और वे जानते हैं कि लोगों को कैसे उत्साहित किया जाय। लेकिन पैगम्बर को इसमें क्यों लाये? अगर यह मानेंगे कि यह धर्म की लड़ाई है तो उस हालत में भारत और पाकिस्तान में संहार शुरू हो जायगा।

इसके बाद बाबा ने हिंसात्मक साम्यवाद के खतरे की तरफ इशारा किया। वह बोले एक तरफ यह कम्युनिज्म (साम्यवाद) है और दूसरी तरफ कम्युनलिज्म (सम्प्रदायवाद) है। इस हालत में शांति रखने के लिए समाज को एक बनाना होगा, नेक बनाना होगा। उसके लिए ग्रामदान, खादी और शांति सेना के अलावा और कोई चीज ध्यान में नहीं आती है।

विनोबा की इस चुनौती का जवाब देश में किसी के पास नहीं है। क्या सरकार, क्या राजनैतिक पक्ष, सभी एक तरह की लाचारी महसूस करते हैं, और जनता को दोष देकर संतोष कर लेते हैं। लेकिन यह तो दरअसल अन्याय है। जनता वही है जिसने अंग्रेजी राज के साथ अहिंसात्मक असहयोग किया, जिसने नमक-सत्याग्रह में भाग लिया, जिसने 'भारत छोड़ो' मंत्र पर अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिये। इसलिए तैयारी की कमी जनता की नहीं, हमारी और आपकी है।

अंत में बाबा ने बड़े विनोद के साथ कहा—इन दिनों एक बहुत लंबा-चौड़ा शब्द चलता है। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहती है, वैसे ही 'सर्वोदय' का नाम नहीं लिया जाता है। कहते हैं कि हम 'डिसेन्ट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बाइ पीसफुल मीन्स'—यानी शांतिमय तरीकों से विकेन्द्रित लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते हैं। अब इतना सारा लंबा-चौड़ा शब्द क्यों कहते हो? 'सर्वोदय' क्यों नहीं कहते हो? इस सबका अर्थ है 'सर्वोदय'। आज सारे भारत में यह हवा है। कोई भी पार्टी यह नहीं बोल सकती है कि हम गांवों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। यहाँ तक होता है कि ऐसे स्कूल खोले जाते हैं, जहाँ पब्लिक नहीं जा सकती है; पर उसे भी पब्लिक स्कूल कहते हैं! इसे सुवचन (eupheumism) कहते हैं। आज भारत में सुवचन चलते हैं। सबको ग्राम-स्वराज्य की बात कहनी पड़ती है।

अंधेरा होने लगा था। लोगों को खड़े-खड़े कुछ थकान आ रही थी। अपना प्रवचन खत्म करते हुए बाबा ने कहा कि मैं यहाँ पर बोने के लिए नहीं आया हूँ, काटने के लिए आया हूँ। कहना तो उनको है जो काम में लगे हैं। मैं तो सिर्फ काटने आया हूँ।

एक जगह कोने में कई बाबू लोग साइकिलों के साथ खड़े थे। उनमें से एक ने कहा कि बाबा पूरा सजग है; विश्व-संदर्भ में ग्रामदान को देख रहा है। दूसरे ने कुछ शंका जाहिर की और बोला कि पहले तो

सब गांवों का ग्रामदान होना मुश्किल है और अगर हो भी जाय तो इससे क्या बनने वाला है। तीसरे ने मानो उससे पूछा कि गांव-गांव में अगर भुखमरी और गरीबी बनी रहती है तो चीन के लिए रास्ता खुल जायगा। वे लोग आपस में बहस कर रहे थे और जैसा कि इस तरह की गपशप में हुआ करता है, एक दूसरे की बात काट रहे थे।

लेकिन उनमें से दो जनों को ज्यादा बोलता देखकर बाकी सब चुप हो गये। एक थे प्रोफेसर और दूसरे थे किसी बड़े दफ्तर के कार्याधिकारी। प्रोफेसर ने कहा कि हमारी और आपकी, शहर वालों की दुनिया अलग ही है। मंहगाई भत्ता मिल गया तो फिर खुश। लेकिन देहात की हालत बहुत खराब है।

दूसरे बाबू बोले—देहात की हालत क्या खराब है? गल्ला मंहगा होने से तो किसान बड़े मजे में हैं।

—किसान कौन? गल्ले की पैदावार करने वाले मजदूर को तो वह गल्ला छूने तक को नसीब नहीं होता। सारा चला जाता है मुट्ठी भर बड़े मालिकों के हाथ में। इसी वजह से तो बहुत असंतोष है। और गांव-गांव के लोग भागकर शहर आ रहे हैं। फिर अपने उत्तर बिहार से तो कितना ही चावल नेपाल और वहाँ से न जाने कहाँ-कहाँ चला जाता है!

—इस सबको दुरुस्त करने के लिए ही तो सरकार ने कानून बनाये हैं।

—कानून की क्या बात की आपने? कानून बनाने वालों और कुछ कानूनदां लोगों के अलावा किसी का उससे भला नहीं होता।

दफ्तर वाले बाबू ने कुछ खीझ कर कहा—ज्यादा फिलासफी आप मत झाड़िये। यह तो हम जानते हैं कि आप मनोविज्ञान पढ़ाते हैं।

प्रोफेसर बोले—मुझे तो यह देखना है कि बाबा जो इस दफा तूफान लाना चाहता है उससे तीन बातें होती हैं कि नहीं—जमीन के दाम गिरना, भूमिहीनता खत्म होना और गाँव से शहर की तरफ लोगों के आने का सिलसिला टूटना।

—प्रोफेसर साहब, इतनी अगर देहात में दिलचस्पी है तो आप वहाँ डेरा क्यों नहीं जमाते? या बाबा के साथ तूफान में कूद पड़िये।

—आपलोग तो हंसी समझ रहे हैं। देश की और विशेष कर जमीन की समस्या इतनी जटिल है कि उसका हल अभी तक निकला नहीं। यह सवाल बहुत संगीन होता जाता है।

—हंसी की बात नहीं है। हम तो यह जानते हैं कि सरकार का करोड़ों रुपया देहात में ही खर्च हो रहा है—ट्रैक्टर में, ट्यूबवेल में, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट आदि में। अगर आप जैसे लोग देहात में रहें तो यह समस्या जल्दी......

प्रोफेसर ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा हमारे पटना रहने से आपका क्या बिगड़ता है? मिल्टन ने तो कहा है कि 'जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वे भी सेवा करते हैं।'

दूसरा अध्याय

भूमि समस्या की चुनौती

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भारत की उन्नति और विकास के लिए यहाँ की सरकार ने आर्थिक नियोजन की पद्धति अपनायी और पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू कीं। उद्देश्य केवल यह नहीं था कि संकीर्ण दायरे में भौतिक साधनों का विकास किया जाय, बल्कि यह था कि मानवीय क्षमताओं को बढ़ाया जाय और भारतीय जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप संस्थागत ढाँचा खड़ा किया जाय। अब तक तीन योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और अब चौथी योजना चल रही है।

पिछली तीन योजनाओं में जो काम हुआ है, उसके परिणामस्वरूप देश में खेती की पैदावार ४१ प्रतिशत बढ़ी है और औद्योगिक उत्पादन में संपूर्ण वृद्धि लगभग ७० प्रतिशत की हुई है। इसीका यह नतीजा है कि राष्ट्रीय आमदनी जहाँ १९५०-५१ में रु० ६६५० करोड़ थी, वहाँ १९६४-६५ में रु० १५०० करोड़ हो गयी और प्रति व्यक्ति औसत आमदनी २८ प्रतिशत बढ़कर रु० २४७.०५ से रु० ३१७.०० हो गयी।

लेकिन यह सब किस कीमत पर हो रहा है? अगर पहली योजना के शुरू के समय वस्तुओं की मूल्य-सूची को १०० मान लिया जाय, तो तीसरी योजना के अंत में वह मूल्य-सूची १७९.८ हो गयी। यानी रुपये में लगभग तेरह आने दाम बढ़ गये। पिछले दस वर्ष में जहाँ भारत में ७५ प्रतिशत से ऊपर मंहगाई बढ़ी, वहाँ पड़ोसी पाकिस्तान में केवल १८ प्रतिशत और बर्मा में तो ३·६ प्रतिशत ही।

इसके अलावा एक और चिन्ताजनक बात हुई। पहली योजना के शुरू में भारत पर विदेशी कर्ज लगभग नहीं के बराबर था। लेकिन इन योजनाओं के दौरान वह एकदम बढ़ता चला गया। नीचे की तालिका देखिये—

कब	विदेशी कर्ज
पहली योजना के अंत में	रु० ११४ करोड़
दूसरी योजना के अंत में	रु० ७६१ करोड़
तीसरी योजना के अंत में	रु० २६२६ करोड़

तालिका १

जैसा कि भारत के वित्त मंत्री ने गत ६ अगस्त, १९६६ को राज्य सभा में बतलाया, ५ जून १९६६ को भारत पर विभिन्न देशों का कर्जा रु० २७३३.८६ करोड़ था और अब रु० ४१०२.५७ करोड़ है। उन्होंने कहा, अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में रु० ४८.४३ करोड़ मूल और रु० ४०.१६ करोड़ ब्याज के भुगतान में सरकार को खर्च करना होगा।

मंहगाई और कर्ज-वृद्धि के अलावा देश में बेकारी भी बढ़ी है। इसका अन्दाज नीचे की तालिका से मिल सकता है।

कब	बेकारों की संख्या
पहली योजना के शुरू में	४१ लाख
पहली योजना के अंत में	५३ लाख
दूसरी योजना के अंत में	८० लाख
तीसरी योजना के अंत में	१२० लाख

तालिका २

यह हैं इस नियोजन के नतीजे। फिर, करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मँगाया गया है। इन सब बातों की वजह से यह सोचना पड़ेगा कि भारत का नियोजन किसके हित में हो रहा है। १९१६ में बापूजी से जब यह पूछा गया कि भारत की आर्थिक गतिविधि क्या है, तो उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया था: 'ऊपर वालों का बोझ नीचे वालों को कुचल रहा है।' यह चीज़ पचास साल बाद भी उतनी ही सच्ची और खरी उतर

रही है। मानो भारत के गरीबों के बल पर भारत सरकार या नियोजन-कर्ता नियोजन का प्रशिक्षण ले रहे हैं! जनता के वास्तविक हित में नियोजन कब शुरू होगा, यह भविष्य ही बतायेगा।

इस दुःखद और लज्जाजनक परिस्थिति का कारण यह है कि देश की जो मूलभूत समस्या है, उसको नजरअन्दाज किया जा रहा है। भुखमरी, बेकारी, गरीबी, पैदावार की कमी, आर्थिक असमानता, विदेशों पर निर्भरता आदि बीमारियों की जड़ में भूमि की समस्या है। अगर इसका ठीक से निराकरण नहीं होता है तो सारे सुधार और योजनाएँ टूटे हुए बांध पर नमक के बोरे डालने जैसा साबित होगा।

संक्षेप में हम यहाँ भूमि समस्या की झांकी पेश करेंगे। अपने देश में लगभग ३१ करोड़ एकड़ खेती की जमीन है। उसका बँटवारा इस प्रकार है :—

आबादी प्रतिशत	जमीन एकड़ में
४०	आधा करोड़
३०	४॥ करोड़
१५	६ करोड़
१४	१४ करोड़
१	६ करोड़

तालिका ३

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि केवल एक प्रतिशत परिवारों के पास लगभग २० प्रतिशत जमीन है और तीन चौथाई या ७५ प्रतिशत परिवारों के पास छठे हिस्से से भी कम है। ऐसी विषमता कहाँ देखने को मिलेगी?

हमारे देहात में लगभग साढ़े छः करोड़ परिवार हैं। उनके पास जो जमीन है उसका चित्र इस प्रकार है :—

परिवार	औसत जमीन (एकड़ में)
१ करोड़ ५० लाख	भूमिहीन
१ करोड़ ५० लाख	एक एकड़ से कम
१ करोड़ ४० लाख	एक से पाँच एकड़ तक
६५ लाख	पाँच से दस एकड़ तक
५० लाख	दस से पंद्रह एकड़ तक
३४ लाख	पन्द्रह से पचीस एकड़ तक
३० लाख	पचीस से सौ एकड़ तक
१ लाख	सौ एकड़ से ऊपर

तालिका ४

जब भूमि का बंटवारा ऐसा विषम होगा तो अन्नोत्पादन में कमी होना स्वाभाविक है और तब फिर विदेश से भीख मांगने के अलावा चारा ही क्या रहेगा ?

बड़े दुःख की बात है कि भूमि-समस्या को गंभीरता और ईमानदारी से हल करने की कोशिश अब तक नहीं की गयी है। जैसा राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने एक बार वर्धा में कहा था, निहित स्वार्थ भूमि-समस्या के हल में बाधक हो रहे हैं।

कौन नहीं जानता कि कानून जो बनते हैं, उनमें इस तरह की गुंजाइश काफी रहती है कि उन कानूनों का असर ही जाता रहे। एक अमरीकन खेती-विशेषज्ञ प्रोफेसर बुल्फ लार्डजिन्सकी ने एशिया के विभिन्न गैर-साम्यवादी देशों में भूमि-सुधार का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि 'एशिया की विशाल आबादी में ८० फी सदी खेतिहर लोग हैं। उनमें से करोड़ों के पास बहुत ही कम जमीन है और करोड़ों छोटे-छोटे टुकड़ों पर बसे हैं। औजारों की कमी, खेती के पुराने तरीके, संघटन का अभाव आदि बातें ऐसी हैं जिन पर किसान का काबू नहीं है और जिनकी वजह से वह और भी ज्यादा परेशान होकर खिसिया गया है। एशिया के अखबारों में वहाँ की विकास-योजनाओं का प्रचार बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में किया जाता है। इन योजनाओं में बताया यह जाता है कि औद्योगीकरण से सारे मर्ज दूर हो जायेंगे। लेकिन

सच यह है कि वहाँ के आर्थिक जीवन का केन्द्र उद्योग नहीं, बल्कि खेती है। सारे एशिया में औद्योगीकरण की जो बड़ी-बड़ी चीजें चली हैं, उनसे उस महाद्वीप के परंपरागत चरित्र में उरद के ऊपर सफेदी बराबर भी फरक नहीं पड़ा है। फैक्टरी या कारखाने से कुछ लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, लेकिन इस हद तक नहीं कि सुदूर भविष्य में भी खेती को नजरअंदाज किया जा सकेगा। एशिया की समस्या की जड़ें देहातों में ही हैं। जमीन पर ही उनके हल खोजने होंगे और अगर वहाँ के विभिन्न देशों का आर्थिक विकास लोगों के अपने बल होना है तो उनकी आधी-खाली भात की हंडियों को पूरा भरना होगा।

प्रोफेसर लार्डजिन्सकी ने भारत के भूमि-सुधार की स्थिति पर बड़ा दुःख प्रकट किया है। उनका कहना है :

अन्य देशों में भी भूमि-सुधार के कानून बने और कई देशों में तो एक बार नहीं अनेक बार बने, बड़ी-बड़ी आशाएँ पैदा हुईं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ। पिछले १५ साल में हिन्दुस्तान में जो कोशिशें हुई हैं, उनसे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। छः लाख गाँवों में भूमि-सुधार करना कोई आसान काम नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार ने जमीन्दारी प्रथा को, जिसे अंग्रेजों ने देश पर लादा था, खत्म किया। लेकिन इसके खत्म होने से जोतने वाले को जमीन नहीं मिली। प्लानिंग कमीशन के मार्गदर्शन में विभिन्न राज्यों ने बहुत-सी धाराएँ पास कीं। मगर उनको अमल में लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहीं-कहीं, जैसे बंबई राज्य में, खेतिहर को जमीन का कब्जा मिलने में सुविधा हो गयी; लेकिन साथ ही बेदखलियाँ भी बड़े पैमाने पर हुईं। प्रशासन की समस्याएँ सचमुच सुधार के अमल में एक बड़ी भारी बाधा पैदा कर देती हैं।

उन्होंने सच कहा है :

बहुत से राज्यों में तो जो कानून बना, उसमें ही तरह-तरह की गुंजाइशें निकाल ली गयीं और बेदखलियों ने स्वेच्छापूर्वक समर्पण का भी रूप लिया। हदबन्दी कानून ठीक से अमल में नहीं आ पाये। जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा है, एक नाम से बदलकर दूसरे नाम पर जमीन कर देने में कानून का मकसद ही खत्म हो गया और ग्रामीण अर्थनीति पर उसका असर नहीं पड़ सका। जिसके नाम जमीन थी, उनको उसने अपने

परिवार के लोगों के नाम लिखा दिया और हदबन्दी कानून बेकार साबित हो गया। जापान और ताइवान की तरह कानून में ऐसा होने की गुंजाइश नहीं थी। जवाहरलालजी ने कहा था कि हम किसान को नक्शे के बीच में लाना चाहते हैं। मगर भारत के कानूनों की वजह से यह नहीं हो पाया।

जिस तरह भारत के नक्शे के बीच में किसान नहीं आ सका, उसी तरह बिहार के नक्शे के बीच में भी वह नहीं आ पाया है। बिहार की आबादी ४,६४,५५,६१० है और यहां ६७,६६५ गांव हैं। बिहार की लगभग ९१.६ प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है और बाकी ८.४ नगरों में। यहाँ के तीन-चौथाई से ज्यादा निवासी कृषि पर आधारित हैं। बिहार के मुख्य धंधों का ब्योरा इस प्रकार है :

धन्धा	प्रतिशत लोग
काश्तकारी में	५३.८७
खेती-मजदूरी में	२३.६७
पशुपालन आदि में	३.३६
घरेलू उद्योग-धंधों में	५.५०
कल-कारखानों में	२.३१
वाणिज्य और व्यवसाय में	२.७२
यातायात में	१.२०
अन्य कामों में	७.५८

तालिका-५

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि बिहार के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। इस धन्धे में कुल लगभग ७८ प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। शेष लगभग २२ प्रतिशत व्यक्ति अन्य धन्धों में लगे हैं।

सन् १६६१ की गणना के अनुसार बिहार में ११,३८,३६४ भूमिवान कृषि परिवार हैं। इनके पास जमीन इस प्रकार है :

जमीन	परिवार संख्या
१ एकड़ से कम	२,४४,८१७
१ से २.४ एकड़	३,०३,३८०
२.५ से ४.६ एकड़	२,६५,६६६
५.० से ७.४ एकड़	१,३८,६००
७.५ से ६.६ एकड़	५८,०६७
१० से १२.४ एकड़	४२,१६४
१२.५ से १४.६ एकड़	२०,४६२
१५.० से २६.६ एकड़	४७,८८१
३०.० से ४६.६ एकड़	११,४६५
५० एकड़ से ऊपर	५,५२६

तालिका-६

यद्यपि बिहार में बड़े-बड़े कल-कारखाने दिखलायी पड़ते हैं; लेकिन वे यहाँ के जीवन से समरस नहीं हो सके हैं। बिहार में गरीबी भयानक है। जहाँ अखिल भारत में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी रु० २८१.६ है, वहाँ बिहार में केवल रु० २३५.१ है। यहाँ भूमि की विषमता भी बहुत जटिल है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जोत की जमीन का ब्योरा इस प्रकार है :

जोत की जमीन	परिवार प्रतिशत	क्षेत्रफल प्रतिशत
एक एकड़ से कम	३४.२	४.२
एक से ढाई एकड़	२२.३	१०.६
ढाई से पांच एकड़	३१.२	१६.८
पाँच से दस एकड़	१४.१	२७.४
दस से पचास एकड़	७.५	३३.१
पचास एकड़ से ऊपर	०.२	४.६

तालिका-७

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में लगभग ७८ प्रतिशत काश्तकारों के पास पांच एकड़ से कम जमीन है, और वे ३५ प्रतिशत जमीन पर काश्त करते हैं। मोटे तौर से बिहार की आबादी भारत का दसवां हिस्सा है। लेकिन दस प्रतिशत की बजाय ६.७ प्रतिशत क्षेत्रफल पर ही खेती होती है, और भारत के भूमिहीनों के १४.०३ प्रतिशत बिहार में हैं।

विषम बंटवारे के कारण भूमि की समस्या ने बिहार में बड़ा उग्र रूप ले रखा है। सच तो यह है कि सारे पूर्वी भारत में, क्या बंगाल या बिहार में, भूमि शोषण का मुख्य माध्यम रही है। यहां की भूमि-व्यवस्था के संबंध में अंग्रेजी राज्य में लार्ड कार्नवालिस ने २२ मार्च १७९३ को 'परमानेन्ट सेटलमेन्ट' (स्थायी प्रबंध) कानून लागू किया, जिसने जमीन्दारी प्रथा को मजबूत बना दिया। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भी इसके अंतर्गत अन्याय पर दुःख प्रकट किया गया था। १८३० में सेलेक्ट कमिटी इस उद्देश्य से बनायी थी कि स्थिति में सुधार करे। परिणामस्वरूप १८४१ में एक कानून बना। मगर उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। उसमें उल्टे जमींदार को, सेटलमेन्ट के बाद जो भी बोझ लादा गया, उससे मुक्त होने का अधिकार दे दिया गया और जोतने वाले काश्तकारों को बेदखल करने की काफी छूट भी दे दी गयी।

इसके खिलाफ असंतोष बढ़ा और कुछ जिलों के देहातों में उपद्रव तथा अशांति भी फैली। १८७९ में एक दूसरा कानून आया। लेकिन उसका भी नतीजा जोतने वालों और मजदूरों की दृष्टि से अच्छा नहीं निकला। जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है—'ऊँचे वर्गों की नीचे वालों पर जोर-जबर्दस्ती बढ़ती गयी और भूमिहीनों तथा मजदूरों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गयी। बेदखलियाँ भी खूब बढ़ीं।'

देश में भूमि-सुधार की स्थिति को देखने, समझने और उस संबंध में सुझाव देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसम्बर १९४७ में (उस समय कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद थे) ने एक कमिटी नियुक्त की जिसके प्रधान आचार्य जे० सी० कुमारप्पा थे। कमिटी ने सारे देश का दौरा किया और अच्छी तरह से ग्रामीण आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया।

उसके सुधार के लिए कमिटी ने कुछ प्रमुख सिद्धान्त भी देश के सामने पेश किये :

(क) ग्रामीण अर्थ-नीति इस तरह की होनी चाहिए कि व्यक्तित्व के विकास के लिए मौका मिले।

(ख) किसी तरह का शोषण न होना चाहिए।

(ग) उत्पादन में भरसक कुशलता होनी चाहिए।

(घ) ग्रामीण सुधार की योजना व्यावहारिक होनी चाहिए।

इन सिद्धान्तों के निर्देशन में देश भर की प्रांतीय सरकारों से भूमि-सुधार करने की अपेक्षा की गयी।

अंग्रेजी राज्य की विदाई के बाद १९४८ में, विहार की विधान सभा ने जमीन्दारी उन्मूलन बिल पास किया। मगर इसके औचित्य पर जमीन्दारों ने एतराज किया और अदालत की शरण ली। तदनुसार इस बिल में फिर सुधार किया गया और २५ सितम्बर, १९५० को विहार लैंड रिफार्म बिल पास हुआ। जमीन्दारों ने इस पर भी आपत्ति की और उसकी रोशनी में इस बिल में संशोधन किये गये। इस तरह मई, १९५२ में जमीन्दारी उन्मूलन कानून सामने आ पाया। इस कानून में भी बीच-बीच में परिवर्तन होते रहे हैं।

इसके अलावा बिहार सरकार ने १९५६ में चकबन्दी का कानून पास किया। उद्देश्य यह था कि जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में न बँटे। इस कानून के अंतर्गत चकबन्दी के लिए तंत्र भी खड़ा किया गया है और ग्राम सलाहकार समिति बनाने की भी गुंजाइश रखी गयी है। इस समिति में ग्राम पंचायत की प्रबन्ध-कारिणी समिति के सदस्य रहेंगे। चकबन्दी के साथ-साथ मुआवजा देना और अनुदान मंजूर करने की व्यवस्था है।

हदबंदी कायम करने वाला कानून १९६१ में बना और जोत की हद इस प्रकार कायम की गयी :—

(क) प्रथम कोटि की जमीन ... . प्रवाह सिंचाई द्वारा सिंचित जमीन के २० एकड़

(ख) द्वितीय कोटि की जमीन .. ... टयूबवेल द्वारा सिंचित जमीन के ३० एकड़

(ग) तीसरी कोटि की जमीन ... ... बागान की जमीन के ४० एकड़

(घ) चौथी कोटि की जमीन ... ... दियारे की जमीन के ५० एकड़
(ङ) पाँचवीं कोटि की जमीन ... ... पहाड़ी और बालूवाली जमीन के ६० एकड़

इस कानून के अनुसार सरकार को अधिकार मिल गया कि वह जोत की हद से ज्यादा किसी के पास जमीन हो तो उसे मुआवजा देकर ले ले, और उस जमीन का इंतजाम ग्राम पंचायत या सहकारी पद्धति से कराया जाय। उस जमीन को बटाईदारी पर देने की भी पाबंदी रखी गयी, लेकिन नाबालिग, विधवा, सेना से संबंधित और कुछ अन्य प्रकार के लोग अपवाद-स्वरूप रखे गये।

सरकारी कानूनों के पीछे जो नेकनीयती है, उसमें शक नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा प्रोफेसर लार्डजिन्सकी के ऊपर दिये उदाहरण से स्पष्ट है, इनसे मनोवांछित उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। इससे मजदूरों की हालत में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। भूमिवान बटाईदार से जो वसूला करते हैं, उसकी रसीद बिरले ही देते होंगे। खेती की वस्तुओं के दाम में वृद्धि होने के कारण मालिक लोग मजदूरों या बटाईदारों को कोई भी कानूनी हक देना नहीं चाहते।

बिहार के भूमि-सुधारों के बारे में राय देते हुए एक अधिकारी ने जो निष्कर्ष निकाला है, वह इस प्रकार है:

(१) इस तथ्य को अभी तक ठीक से महसूस नहीं किया गया कि विकास के लिए भूमि-सुधार का कितना अधिक महत्त्व है। अकसर इसे उत्पादन-वृद्धि और सामुदायिक विकास की दृष्टि से अनावश्यक ही समझा जाता है।

(२) भूमि-सुधार के विभिन्न पहलुओं को अमल में लाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। प्रायः नीचे के स्तर पर तो उसको बिलकुल नजर-अंदाज किया गया है और उसे टाला भी गया है। कानून को अमल में लाने के लिए लोकमत बनाने की भी कोई कोशिश नहीं की गयी है।

(३) इस बात को कोई महत्त्व नहीं दिया गया कि व्यवस्था में सुधार के लिए जोत की हद कायम करके ही उसके जिसके बल पर सहकारी ग्रामीण अर्थ-नीति खड़ी की जा सकती है।

बिहार सरकार ने १९६१ में भूमि हदबंदी कानून बनाया, जिसके अन्तर्गत लेवी के तौर पर बीघे में एक कठ्ठा जमीन देने की व्यवस्था रखी

गयी थी। इस कानून का स्वागत करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था :

"यह कानून एक साहसिक और विलक्षण कानून है। इसके द्वारा तय की गयी हदबन्दी में, जो मेरी राय में बहुत ऊँची है, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। लेकिन इसमें तथाकथित लेवी की जो व्यवस्था है, उसे हम अवश्य ही साहसिक और विलक्षण कह सकते हैं। बिहार सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। इसके द्वारा सरकार ने स्वर्गीय डा० श्रीकृष्ण सिंह की स्मृति का सम्मान किया है।"

लेकिन बिहार का और देश का दुर्भाग्य है कि सरकार ने इस लेवी-संबंधी धारा का अमल स्थगित कर दिया। इस पर दुःख प्रकट करते हुए बिहार के सर्वोदय नेता और पुराने सेवक श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ने एक मार्मिक वक्तव्य प्रकाशित किया था। उसका अंतिम अंश इस प्रकार है :

प्रांतीय कांग्रेस कमिटी का प्रस्ताव होना, कानून बनना, उसका लागू किया जाना, सबकी सम्मिलित भू-प्राप्ति समिति का गठन होना और उसके द्वारा लेवी के उल्लेख के साथ अपील प्रकाशित करना, लोगों से दान देने की अपील करना और फिर उसके लिए विनोबाजी की प्रेरणा से अखिल भारत सर्व सेवा संघ की ओर से बीघा-कट्ठा के आधार पर भूमि-प्राप्ति के हेतु सारे भारत के सर्वोदय सेवकों का बिहार में आना और काम करना, और अब ऐसे समय में इस आंदोलन के द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं कर, उसे विफल बनाने का प्रयत्न करना निश्चय ही बिहार सरकार तथा बिहार की कांग्रेस को अब तक जो यश सर्वोदय के क्षेत्र में मिला है, उसको मिटाकर भारत भर में उसे कलंकित करेगा और उनकी यह काररवाई विनोबाजी एवं सर्वोदय आन्दोलन के प्रति तथा भूमिहीनों के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वासघात मानी जायगी।

जानकार लोगों का कहना है कि बिहार में लेवी का जो कानून लागू हुआ और जोत की जो सीमा निर्धारित की गयी, उनसे क्रमशः आठ लाख और एक लाख एकड़ से अधिक जमीन निकलने की आशा नहीं की जा सकती। सार यह है कि सरकार के सारे कानूनों के परिणामस्वरूप मुश्किल से ६ या १० लाख एकड़ जमीन मिल सकेगी। इससे बिहार के भूमिहीनों को क्या लाभ होगा, इसका अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है।

और, फिर इतनी जमीन का मिलना भी आसान नहीं है। इसलिए कानून से बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता।

बड़े दुःख और आश्चर्य का विषय है कि तीन-तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भूमिहीन मजदूरों की हालत नहीं सुधरी। सच तो यह है कि उसका रूप और भी भयानक हो गया है। बिहार में लगभग ४५ लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। उधर नियोजन चल रहा है; इधर भूमिहीनों में बेकारी बढ़ रही है, उनकी रोजी कम हो रही है, और महँगाई की वजह से उनका जीवनमान और भी गिर रहा है। सरकार की तरफ से १९५०-५१ में और १९५६-५७ में देश भर के खेतिहर मजदूरों की स्थिति की जांच की गयी थी। बिहार के बारे में सूचना इस प्रकार है :

क्या ?	१९५०-५१	१९५६-५७
बेकारी के दिन	८५	१२०
औसत मजदूरी	रु० १.२६	रु० ०.९१
ऋणग्रस्त घर	४२ प्रतिशत	६८ प्रतिशत
प्रति परिवार औसत ऋण	रु० ४०	रु० ६७

तालिका-८

कर्ज की कहानी तो और भी मार्मिक है। इसका लगातार बढ़ना भारत के सारे नियोजन पर एक कंलक है। कर्ज के बोझ से मजदूर कितने दबे जा रहे हैं, इसका चित्रण एक सरकारी विशेषज्ञ ने किया है। उनका कहना है कि दो-तिहाई कर्ज खाने-पीने और कपड़े-लत्ते और मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिहार में, अन्य प्रदेशों की भाँति, लिया जाता है। उधार देने का काम गाँव का महाजन या बनिया करता है। गया और मुंगेर जिलों में गल्ला सवाई या ड्योढ़े पर दिया जाता है। अगर एक मन धान अगस्त-सितम्बर के महीने में कोई ले तो उसे नवम्बर-दिसम्बर में डेढ़ मन देना होगा और अप्रैल-मई में सवा दो मन। अगर नकद रुपया उधार लिया जाता है तो आम तौर से डेढ़ आना प्रति रुपया सूद हर महीने वसूल करते हैं। कहीं-कहीं तो यह दर ७५ प्रतिशत तक है। ७५ ही नहीं, १५० और २५० प्रतिशत तक पहुँचने के बाद भी महाजनों को संतोष नहीं होता है, और वे पीढ़ी-दर-ढ़ीपी कर्ज लेने वाले मजदूर को सताते रहते हैं।

बिहार राज्य में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कानून १९४१ में पास किया गया था। लेकिन उसको अमल में कौन लाये? आम तौर से न्यूनतम मजदूरी दो-तिहाई या आधी मजदूरी देते हैं। पैदा करते हैं उत्तम गल्ला, लेकिन मजदूरी में उन्हें खराब, मोटा अन्न मिलता है। खिदमती और बेगार आदि का भी जोर है। भूमिहीनों में जो हरिजन हैं, उनको तो छुआछूत की प्रथा का भी शिकार होना पड़ता है।

तो फिर क्या किया जाय? यह समस्या केवल बिहार में नहीं, हर प्रांत के सामने है, और सारे भारत के सामने है। अगर कानून से देश में भूमिहीनता मिट सकती तो अब तक मिट गयी होती। ऐसी हालत में ध्यान जाता है कि रूस और चीन की क्रांतियों पर। वहाँ हजारों-लाखों भूमि-मालिक मौत के घाट उतार दिये गये। लेकिन उससे भी वहाँ भूमि का मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि आज तक रूस और चीन, दोनों ही अपनी जरूरत के लायक पूरा अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं और वे बाहर से अनाज मंगा कर खाते हैं। फिर, भारत में अगर इन देशों की नकल की जाय तो इसका कोई भरोसा नहीं कि भूमिहीनों के साथ न्याय हो सकेगा और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

सचमुच यह बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने है।

यहाँ याद आती है बापूजी के एक प्रसंग की।

सन् १९३९ में वे चंपारण जिले के वृन्दावन नामक गाँव में ठहरे हुए थे। वहाँ किसानों ने उनसे पूछा कि स्वराज्य में जमीन का क्या होगा। बापू ने जवाब दिया जो जमीन आप जोतते हैं, वह आपकी होनी चाहिए; लेकिन यह तो एकदम नहीं हो सकती, इसे आप जमींदारों से छीन नहीं सकते। इसके लिए सही रास्ता अहिंसा का है, अपनी शक्ति के प्रति सजग हो जाने का है:

पुराने जमाने से अपने देश में जमीन के बारे में एक उक्ति चली आयी है:

'सबै भूमि गोपाल की, या मैं अटक कहाँ,
जाके मन में अटक है, सो ही अटक रहा।'

इसका हवाला देते हुए बापूजी ने साप्ताहिक 'हरिजन' में एक बार लिखा था: "आज जमीन गोपाल की, यानी जनता की नहीं है; इसके लिए

दोषी हम हैं, जिन्होंने उपर्युक्त सिखावन पर अमल नहीं किया।" उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भूमि की समस्याओं का बिना हिंसा के और बेहतरीन-से-बेहतरीन हल हम निकाल सकेंगे।

बापूजी कहा करते थे कि वर्ग-संघर्ष भारत की प्रतिभा के विपरीत है। वह समानता एवं न्याय के आधार पर अपने अनोखे ढंग के साम्यवाद का आविष्कार कर सकेगा। अगर श्रमिक बुद्धिमानी के साथ आपस में मिल जायेंगे तो उनकी एक अटूट ताकत बनेगी और किसी तरह के वर्ग-संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दूसरे शब्दों में, बापू की दृष्टि से, भूमि-समस्या के समाधान के तीन स्पष्ट आधार हैं :—

(१) 'सबै भूमि गोपाल की' के सिद्धांत पर अमल।

(२) जन-शक्ति की जागृति।

(३) अहिंसक मार्ग पर बढ़ते कदम।

बहुत आनन्द का विषय है कि स्वराज्य प्राप्ति के चार साल के अंदर ही इन आधारों पर भूमि-क्रांति की राह खुल गयी!

तीसरा अध्याय

क्रांति के पथ पर

१८ अप्रैल, १९५१।

आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की पदयात्रा करते हुए उस रोज सबेरे विनोबा पोचमपल्ली गांव, जिला नालगुण्डा में पहुँचे।

करीब ६ बजे उस गांव में घूमने निकले। हरिजन बस्ती की तरफ बढ़ते चले गये। एक झोपड़ी पर रुके। थोड़ी ही देर में बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गये। उन हरिजन भाइयों ने अपनी दुःख-भरी कहानी उनको सुनायी।

बाबा ने पूछा—आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या किया जा सकता है?

जवाब में अधेड़ उम्र के एक भाई ने कहा—अगर हमको खेती के लिए कुछ जमीन मिल जाय, तो हमारी मुसीबत बहुत हद तक दूर हो जायगी।

बात करते-करते बाबा उन सबके साथ अपने निवास-स्थान पर पहुँच गये। गाँव में लगभग ढाई हजार एकड़ जमीन है और आबादी होगी तीन हजार। हरिजन लोग मजदूरी में कुछ फसल पा जाते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता।

बाबा ने सवाल किया—कितनी जमीन चाहिए?

आपस में सलाह-मशविरा करने के बाद मुखिया ने बताया: अगर ८० एकड़ हो—४० खुश्की और ४० तरी, तो काफी है।

बाबा ने पूछा—अगर आपलोगों को जमीन दिलवा दें तो आप सब मिलकर खेती कीजियेगा या अलग-अलग?

उनका जवाब साफ था—सब मिल कर।

बाबा ने कहा— तो आप हमें लिखकर दे दीजिये; हम कोशिश करेंगे।

एक क्षण के लिए उनके मन में ख्याल आया कि उनकी अर्जी सरकार के पास भेज दूं। लेकिन उनको पंजाब के अनुभव याद हो आये। बापूजी के बलिदान के बाद वह शरणार्थियों के पुनर्वास का काम करने के सिलसिले में कई महीनों तक दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में ठहरे थे। पश्चिमी पाकिस्तान

से आये हुए हरिजन लोगों को जमीन दिलाने की बात तब उठी थी। पंजाब सरकार ने वादा किया था कि वह उन्हें जमीन देगी। लेकिन बाद में सरकार मुकर गयी और कहा कि जब पाकिस्तान से आये हुए भूमिवानों को जमीन नहीं दे सकते, तो भूमिहीनों को कहाँ से देंगे? सरकार की इस वादाखिलाफी से उनको बहुत दुःख हुआ। हरिजन भाइयों की तो सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या हम सत्याग्रह करें। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने ऐसा न करने की सलाह दी।

यह प्रसंग उनको पोचमपल्ली में उस दिन याद हो आया। ऐसे मौके पर क्या किया जाय?

बाबा ने गांव भर की उस मंडली से पूछा—आप गांव के लोग अपने भूमिहीन भाइयों के लिए कुछ जमीन दे सकते हैं?

एकदम सन्नाटा!

सब एक दूसरे की तरफ देखते थे और हरिजन बंधुओं की निगाह बाबा पर लगी थी।

इतनी ही देर में एक नवयुवक खड़ा हो गया और विश्वास-भरी, पर नम्र वाणी में कहा—मेरे स्वर्गीय पिताजी की इच्छा थी कि कुछ जमीन इन भाइयों को दी जाय। लिहाजा मैं अपनी और अपने पांच भाइयों की तरफ से १०० एकड़ जमीन—जिसमें ५० खुश्की और ५० तरी है—आपके मार्फत इनलोगों को भेंट करता;हूँ।

सबलोग यह सुनकर बहुत चकित रह गये!

दान देने वाले भाई श्री रामचन्द्र रेड्डी को एक कागज दिया गया कि वह अपना संकल्प उस पर लिख दे। उन्होंने उत्साह के साथ उस पर दान का ब्योरा लिख दिया।

लोग जब चले गये तो बाबा ने दाता से पूछा—आपने जो अभी एलान किया है, उसका पालन कीजियेगा या नहीं? नवयुवक ने अपने संकल्प को फिर से दुहराया और कहा कि आप की इच्छा हो तो शाम की जो प्रार्थना-सभा आपकी होगी, उसमें भी यह घोषणा कर सकता हूँ।

इसी बीच यह दान की खबर सारे गांव में और आसपास के क्षेत्रों में फैल गयी। शाम की सभा में बड़ी तायदाद में लोग जमा हो गये। वे यह जानने को उत्सुक थे कि दिन में क्या घटना हुई है।

बाबा ने इस घटना का हवाला देते हुए कहा—आज एक भाई हरिजन लोगों की मांग पर १०० एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने दाता की ओर इशारा करते हुए कहा—वह भाई जरा खड़े हो जायं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी खड़े हो गये और सभा को प्रणाम किया। उनके बारे में बोलते हुए बाबा ने कहा :

यही वे भाई हैं, जिन्होंने अपनी १०० एकड़ जमीन देने का वचन दिया है। वह भला आदमी आपके सामने है। अगर वह जमीन नहीं देता है, तो ईश्वर का गुनहगार होगा। आप इसको याद रखिये। लेकिन वह जमीन देगा तो हरिजनों पर यह जिम्मेदारी आयगी कि वे सब के सब प्रेम भाव से एक होकर उस जमीन को जोतें।

दाता भी गद्‌गद्‌ हो गये। उन्होंने सबके सामने अपने दान की घोषणा दोहरायी और कहा—"मैं और मेरा परिवार इस घोषणा का पूरी तरह पालन करेंगे।"

उन दिनों तेलंगाना के इलाके में जमीन के सवाल को लेकर बड़ी अशांति मची हुई थी। भूमिहीनों की तकलीफों का कोई ठिकाना नहीं था। उनको जमीन दिलाने के लिए साम्यवादी लोगों के नेतृत्व में हिंसात्मक कारवाई और मारकाट भी हुई थी। बड़ा आंतक छाया हुआ था, और भूमिवान लोग गांव छोड़-छोड़ कर शहरों में जाकर बस रहे थे। इस सारे दुःखद प्रसंग की ओर संकेत करते हुए बाबा ने कहा—

अगर ऐसे सज्जन लोग हर गाँव में मिलते हैं, तो कम्युनिस्टों का मसला हल हो गया, ऐसा समझें। आप यह जरूर समझ लें कि हिन्दुस्तान में श्रीमान लोग अपने हाथ में ज्यादा जमीन रख सकने वाले नहीं हैं। कोई भी श्रीमान सिवा गरीबों की मदद से अपनी भूमि अपने हाथ में रख नहीं सकता।

सभा के बाद बाबा ने इस दान की उचित व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। उसमें दाता के अलावा चार आदमी और रखे गये—दो हरिजन भाइयों के प्रतिनिधि, तीसरे गांव के पटेल और चौथे आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष। इस ट्रस्ट के बनने से दाता को, हरिजनों को और सब लोगों को बड़ा संतोष हुआ।

उस रात को बाबा बहुत देर तक नहीं सोये वे सोचते रहे : 'अस्सी एकड़ की मांग की गयी और सौ एकड़ जमीन मिली'—यह चमत्कार है या

कोई आकस्मिक घटना है या इसके पीछे ईश्वर का कोई इशारा है ? उनको लगा कि विश्व-व्यापक शक्ति कुछ नया काम करना चाहती है, और उसके लिए यह घटना एक निमित्त है !

अगले दिन सबेरे पोचमपल्ली से बाबा दूसरे पड़ाव के लिए निकले । एक जगह स्वागत के लिए फूल की माला लेकर लोग खड़े थे । नाश्ता कराने की भी तैयारी थी । बाबा ने कहा—"यह फूल तो पूजा के काम के लिए है, और नाश्ते के लिए आज जो लाये हैं, उसके लिए धन्यवाद है । लेकिन मेरा नाश्ता तो ऐसा होना चाहिए कि उससे भूमिहीनों का भी पेट भरे। इसलिए मेरी मांग जमीन की है ।"

इसके लिए लोगों की तयारी तो नहीं थी । लेकिन आपस में बातचीत करने के बाद उन्होंने २५ एकड़ दान करने की घोषणा की !

विनोबा आगे बढ़े । लेकिन इस दान ने उनका विचार पक्का कर दिया। कल के १०० एकड़ और आज के २५ एकड़—मानो युक्लिड के दो बिन्दु हो गये और आगे बढ़ने के लिए एक लाइन बन गयी !

इस तरह भूदान-यज्ञ शुरू हुआ । जनता के अपने अभिक्रम से, अहिंसा की शक्ति से एक नया प्रयोग दुनिया के सामने आया, जिसने भूमि-समस्या के निराकरण का एक निराला मार्ग प्रस्तुत किया ।

तेलंगाना की यह यात्रा ६ जून, १५६१ को समाप्त हुई। इसमें बाबा को १२,२०१ एकड़ जमीन भूमिहीनों के लिए मिली । इस यात्रा में ग्रामवासियों के लगभग पाँच सौ आपसी झगड़े उन्होंने निपटाये ।

सारे देश में मानो एक नयी ज्योति फैल गयी ! अहिंसा के चमत्कार का दर्शन हुआ, और भूमि-क्रांति का एक अनोखा रूप सामने आया ।

अपने पवनार आश्रम में वापिस पहुँच कर बाबा फिर खेती और कांचन-मुक्ति के कार्यक्रम में लग गये । वहां उन्हें पं० जवाहरलाल नेहरू का तार मिला । तार का आशय यह था कि पंचवर्षीय योजना पर विचार-विनिमय करने के लिए वे दिल्ली आयें । विनोबा ने रेल की बजाय पैदल ही जाना ठीक समझा । १२ सितम्बर को सबेरे वे आश्रम से निकले और ७६२ मील की यात्रा करते हुए १३ नवम्बर, १६५१ को राजघाट (दिल्ली) पहुँचे । इस यात्रा में उनको कुल १६,४३६ एकड़ जमीन मिली । इस अर्से में तेलंगाना में भी लगभग तीन हजार एकड़ जमीन और मिल गयी । इस

तरह बाबा के दिल्ली पहुँचते-पहुँचते पैंतीस हजार एकड़ से ज्यादा जमीन भूदान में मिल चुकी थी। भारत क्या दुनिया के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी। इस प्रकार से जमीन के मसले का हल कहीं नहीं हुआ था। इसलिए भूदान-यज्ञ पर सारे देश और दुनिया की निगाह टिक गयी। दिल्ली में ११ दिन रहने के बाद विनोबा ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की। वहीं पर १३-१४-१५-१६ अप्रैल, १९५२ को चौथा सर्वोदय सम्मेलन स्वर्गीय श्री श्रीकृष्णदास जाजूजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय तक देश भर में १,०२,३६१ एकड़ जमीन ४,६३६ दाताओं से मिल चुकी थी। वहाँ दो साल के अंदर पचीस लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का संकल्प किया गया। विभिन्न प्रदेशों के मित्रों ने अपने यहाँ का कोटा बना लिया।

सेवापुरी से बाबा २० अप्रैल १९५२ को चले। बुद्ध-पूर्णिमा के दिन, ९ मई १९५२ को, उनका पड़ाव लखनऊ में था। शाम की प्रार्थना-सभा में अपने प्रवचन में उन्होंने कहा—

अब यह सोचने का समय आया है कि हमें किस प्रकार अपनी समाज-रचना करनी चाहिए। यानी यह संध्या का समय है, ध्यान का समय है। हमारे सामने आज पचासों रास्ते खुले हैं। लेकिन कौन सा रास्ता लें, यह हमें तय करना है। हम सबके सामने यह बड़ा भारी सवाल है कि अपनी आर्थिक और सामाजिक रचना करने के लिए कौन सा तरीका स्वीकार करें।

···अगर हम अच्छे उद्देश्य के लिए बुरे साधन इस्तेमाल करते हैं, तो हिन्दुस्तान के सामने ऐसे मसले पैदा ही होते रहेंगे। लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मसले तय करेंगे, तो दुनिया में मसले रहेंगे ही नहीं। यही वजह है कि मैं भूमि की समस्या शांति के तरीके से हल करना चाहता हूँ। भूमि की समस्या छोटी समस्या नहीं है। मैं लोगों से दान में भूमि मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। एक ब्राह्मण के नाते मैं भीख मांगने का अधिकारी तो हूँ, लेकिन यह भीख मैं व्यक्तिगत नाते ही मांग सकता हूँ। पर जहाँ दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के तौर पर मांगना होता है, वहाँ मुझे भिक्षा नहीं मांगनी है, दीक्षा देनी है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि भगवान जो काम भगवान बुद्ध के जरिये कराना चाहते थे, वह काम उन्होंने मेरे इन कमजोर कन्धों पर डाला है।

प्रवचन समाप्त करते हुए बाबा बोले—

मैं मानता हूँ कि यह धर्म-चक्र-प्रवर्तन का कार्य है। जमीन तो मेरे पास कब की पहुंच चुकी है। आज जिस तरीके से चाहें, उस तरीके से यह समस्या हल कर सकते हैं। आपको तय करना है कि घी के डिब्बे में आग लगानी है या वेद-मंत्रों के साथ यज्ञ में उसकी आहुति देनी है। आप यह मत समझिये कि बाहर से हमारे इस देश में केवल मानसून ही आते हैं, बल्कि क्रांतिकारी विचार भी आते हैं।···इसलिए हमें तय करना चाहिए कि भूमि की समस्या हमें शांति से हल करनी है या हिंसा से। मेरे मन में इस बार में संदेह नहीं है कि यह समस्या शांति से हल हो सकती है। इस संबंध में इतना स्पष्ट दर्शन मेरे मन में है, इसीलिए मैं निःसन्देह होकर बोल रहा हूँ और कहता हूँ कि 'भाइयो, वन में पंछी बोल रहे हैं, इसलिए अब जाग जाओ। जिस तरह तुलसीदासजी भगवान को समझा रहे थे, उसी तरह मैं अपने भगवान से, आपसे कहता हूँ कि जाग जाओ। यदि आप सब दान देंगे तो आपकी इज्जत होगी।···यदि हम भूमि का मसला शांति से हल करेंगे तो दुनिया को एक रास्ता दिखा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश की यात्रा में २,६५,०२८ एकड़ भूदान मिला। लगभग एक लाख एकड़ अन्य प्रदेशों में तब तक भूदान मिल चुका था। लेकिन अभी तक भूदान की पूरी शक्ति प्रकट नहीं हो पायी थी, उसकी खोज बाबा ने अपने बिहार में शुरू की। २३ अक्तूबर, १९५२ को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित आम सभा में उन्होंने कहा—

पिछले सर्वोदय सम्मेलन में बिहार वाले आये थे और उन्होंने चार लाख एकड़ का संकल्प किया था। मैं उस समय इस नतीजे पर आया कि बिहार का मसला ही हल करना चाहिए। अब तो बात फैल गयी, जाने सब कोई। न सिर्फ हिन्दुस्तान में, लेकिन बाहर के देशों में भी यह आशा निर्माण हुई है कि जमीन का सवाल हल करने का एक नया रास्ता खुल गया है। इसी ख्याल से वे इस काम की ओर देख रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी जमीन प्राप्त करने से काम न चलेगा। अब मुझे अपनी सारी शक्ति जमीन का मसला हल करने में लगानी चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने सोचा कि जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने विहार किया और जहां महात्मा गांधी को अहिंसा का साक्षात्कार हुआ, वहां यह काम भी हो सकता है।

इसका सारे हिन्दुस्तान में मधुर परिणाम आयेगा और पृथ्वी पर भी इसका असर होगा। यही भाषा और विचार लेकर मैंने इस भूमि पर कदम रखा।

उस दिन पटना में सभा ने भूदान के साथ-साथ संपत्तिदान का भी विचार सामने रखा और लोगों से संपत्तिदान की भी मांग की। बिहार में यह आंदोलन जनजीवन में प्रवेश करता चला गया। यहां दो सर्वोदय सम्मेलन भी हुए। एक हुआ चांडिल में ७, ८ मार्च, १९५३ को श्री धीरेन्द्र मजूमदार की अध्यक्षता में। इसमें देश के सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक और नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भूदान-यज्ञ में अपना समय लगाने की घोषणा की। दूसरा सम्मेलन १८, १९, २० अप्रैल, १९५४ को श्रीमती आशा देवी आर्यनायकम की अध्यक्षता में बोधगया में हुआ। वहां श्री जयप्रकाशजी ने भूमि-क्रांति के इस महान कार्यक्रम के लिए अपना जीवन समर्पण करने की घोषणा की और देश भर के लोगों का आवाहन किया कि वे इस काम के लिए अपना जीवन समर्पण करें।

अगले दिन सम्मेलन में बाबा की एक चिट्ठी पढ़कर सुनायी गयी जो उन्होंने जयप्रकाशजी को भेजी थी। उसमें बाबा ने लिखा था—

"भूदान-यज्ञ मूलक, ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रांति के लिए मेरा जीवन समर्पित है।"

इस घोषणा से सारे सम्मेलन में बिजली जैसी लहर दौड़ गयी। एक-एक कर लगभग छः सौ स्त्री-पुरुषों ने, उसी समय अपने जीवनदान की घोषणा की। सेवापुरी सर्वोदय सम्मेलन का २५ लाख एकड़ का संकल्प भी पूरा हो चुका था। २५ मार्च, १९५४ तक देश भर से २७,६३,४६५ एकड़ भूमि इस समय तक मिल चुकी थी। अब इस आंदोलन ने व्यापक रूप लिया। बिहार में तो बड़ी तेजी से यह बढ़ रहा था। जनमानस पर उसके प्रभाव का अंदाज इस एक घटना से आसानी से मिल जाता है। नवम्बर १९५४ में बाबा पूर्णिया जिले में घूम रहे थे। नवाबगंज से कल्याणगंज पड़ाव पर जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने स्वागत में एक गीत गाया—

सीता सीता राम बोलो। सब कोई भूमिदान दे दो॥
राधे राधे श्याम बोलो। सब कोई संपत्तिदान दे दो॥

क्या छोटे क्या बड़े, सभी तरह के भूमिवानों के दिल पर इसका असर था। छोटे काश्तकारों के दान ने शक्ति पैदा की जिसने बड़े-बड़ों को हिला दिया। एक अद्भुत घटना २३ मई, १९५३ को हुई।

बिहार के पलामू जिले के रंका गांव में बाबा का पड़ाव था। रंका के राजा गिरिवर नारायण सिंह उनसे मिलने आये।

बाबा ने कहा—'आप जानते हैं कि हम भूदान के लिए घूम रहे हैं, आपको भी भूदान देना चाहिए।'

महाराज ने सहज भाव से जवाब दिया—'आपकी बात मेरे लिए आज्ञा के समान है। जितना भूदान आप कहें, मैं दे दूं।'

'आपके पास कितनी जमीन है?'

'एक लाख एकड़ तो परती जमीन है और १२ हजार एकड़ खुदकाश्त है।'

'तो एक लाख एकड़ परती जमीन जो है वह सबकी सब हमें दे दीजिये और खुदकाश्त जमीन में से हम छठा हिस्सा मांगते हैं।'

'मुझे बड़ी खुशी से यह मंजूर है। एक लाख एकड़ परती और दो हजार एक एकड़ खुदकाश्त जमीन आपकी हो गयी। दानपत्र लेकर किसीको मेरे पास भेज दीजियेगा तो मैं दस्तखत कर दूंगा।'

उन्होंने दानपत्र पर दस्तखत कर दिये और शाम को आम सभा में एक लाख दो हजार एक एकड़ जमीन के दान की घोषणा कर दी गयी।

इसी तरह दरभंगा के महाराजाधिराज श्री कामेश्वर सिंहजी ने १८ नवम्बर, १९५४ को कुरसेला पड़ाव पर १,१७,७५५ एकड़ का दान दिया।

बिहार की मानो हवा ही बदल गयी थी। संथाल परगना जिले का एक प्रसंग है। बोरियो नामक गांव में बाबा ठहरे हुए थे। शाम की प्रार्थना-सभा के बाद वे अपने डेरे पर लौट रहे थे। रास्ते में संथाली भाइयों ने उनका अभिनन्दन करते हुए बड़े उत्साह से कहा—'बाबा जमीन लो, जमीन लो, हम जमीन देंगे।'

बाबा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आगे बढ़े। जरा देर बाद एक लम्बा तगड़ा संथाली भाई उनके सामने आकर खड़ा हो गया और नम्र भाव से बोला—'जमीन लो बाबा, जमीन लो।'

बाबा ठहर गये और कहा—'लाओ, सारी जमीन बांट डालो और पूरे गांव का परिवार बनाकर रहो।'

जमीन मांगते हुए बाबा ने बिहार में प्रवेश किया। साढे सत्ताईस महीने यहां रहने के बाद बिहार के आकाश में यही गूंज सुनायी पड़ती थी—जमीन लो, जमीन लो।

बिहार की इस यात्रा के दौरान, जिसे बाबा ने आनन्द-यात्रा की संज्ञा दी थी, जितनी जमीन मिली, उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	जिला	दाता	भूदान (एकड़)
१	पटना	२,८२५	३,१२४·६४
२	चंपारण	५,७६४	५,३७०·३०
३	मुजफ्फरपुर	१५,५१०	८,६२०·८१
४	सिंहभूमि	८०६	१३,७४८·८४
५	भागलपुर	७,१५२	१३,६०८·६२
६	दरभंगा	३८,२३५	३१,८४५·२०
७	मानभूमि	५,३८७	३२,२३८·५४
८	सहर्षा	२७,८५३	३८,१७०·५६
९	मुंगेर	११,२८१	४६,२१९·६८
१०	पूर्णिया	२९,४०६	९०,७५१·०२
११	शाहाबाद	३,९७२	९६,९७२·८४
१२	रांची	१०,९३६	१,०२,१२७३·७३
१३	सारण	१३,१३४	१,०५,३३४·१०
१४	गया	६३,०८०	१,०७,५९१·६९
१५	पलामू	२७,५८४	२,५६,४१७·५४
१६	संथालपरगना	१५,३२३	४,६३,५००·७०
१७	हजारीबाग	८,१३६	८,१२,९३१ १६
	जोड़—	२,८६,४२०	२२,३२,४७४·३६

तालिका ६

बिहार के बाद बाबा ने २५ दिन बंगाल में बिताये और इसके बाद २६ जनवरी, १९५५ को उड़ीसा में प्रवेश किया जहां उन्होंने भूमि-क्रांति का सिंह-नाद किया। उन्होंने कहाः "भूमिहीनों को भूमि दे देना काफी नहीं है। जमीन की निजी मालकियत भी खत्म होनी चाहिए। जमीन तो गोपाल की या समाज की ही हो सकती है। इसलिए मैं उड़ीसा में इस क्रांति का परि-पूर्ण दर्शन चाहता हूँ।" उन्होंने आगे कहा—

हमें करना तो यह है कि भारत में कोई भी मालकियत का दावा नहीं करे। हमें भूमि की, संपत्ति की, कारखानों की मालकियत मिटानी है। सारे समाज की संपत्ति समाज की हो और सबको समान रूप से उसका लाभ मिले, यह हमें करना है। इतना सारा काम बिना अहिंसक क्रांति के नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने अहिंसक क्रांति का उद्घोष किया है। पहले कदम के तौर पर आज हम छठा हिस्सा मांगते हैं। लेकिन आखिर हमें गांव की कुल जमीन गांव की बनानी है।

इस प्रकार ग्रामदान के विचार ने जोर पकड़ा और उड़ीसा में पहले ही दिन वहां के अनन्य सेवक और लोकनायक स्वर्गीय श्री गोपबन्धु चौधरी ने ६३ गांव ग्रामदान में भेंट किये। लगभग एक महीने के बाद उनका पड़ाव **मानपुर** (जिला कटक) गांव में हुआ जो उड़ीसा का पहला ग्रामदान है। ३० जनवरी, १९५३ को इस गांव का ग्रामदान दिया गया था और बुद्ध-जयन्ती के दिन २७ मई, १९५४ को गांव की कुल जमीन, ५७५ एकड़, सर्वसम्मति से गांव के लोगों में समता के आधार पर बांटी गयी थी।

तीसरे पहर गांव के सब लोगों की एक सभा थी जिसमें बाबा भी शरीक थे। ग्रामवासियों ने बताया कि हम हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपस में मिलकर अपने सवालों पर चर्चा करते हैं।

बाबा ने पूछा—पूर्णिमा तो ठीक है लेकिन अमावस्या को तो अंधेरा रहता है। इन दोनों में से कौन सा दिन आपको पसन्द है?

सब चुप थे। थोड़ी देर के बाद गांव के मुखिया ने कहा—बाबा, हमारे लिए सब दिन समान हैं। हम भगवान पर भरोसा करते हैं : कैसा उजाला, और कैसा अंधेरा?

इस जवाब पर संतोष प्रकट करते हुए बाबा बोले—आपकी बात सही है। ये दोनों दिन विशेष चिन्तन के लिए रखे गये हैं। जब कोई भक्त निःस्वार्थ

भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो ईश्वर की कृपा से उसकी ज्योति पूर्णिमा की तरह फैलती है और जब वह ईश्वर में लीन हो जाता है तो अमावस्या की स्थिति में पहुँच जाता है।

इसके बाद बाबा ने उनसे सवाल किया—आपलोग गांव में कौन सा त्योहार या उत्सव मनाते हैं?

एक भाई ने जवाब दिया– स्त्रियां व्रत किया करती हैं और कीर्तन तो गांव में होता ही है। कीर्तन के साथ-साथ हमने अब सूत्र-यज्ञ भी शुरू कर दिया है।

बाबा ने कहा—इसके मानी यह हैं कि आप कर्मयोग का अभ्यास कर रहे हैं!

उस भाई ने अपनी बात जारी रखी—हम रोज सुबह और शाम को सामुदायिक प्रार्थना करते हैं और हर ३० तारीख को सारा गांव मिलकर सूत्र-यज्ञ करता है।

'आपको किसी तरह की तकलीफ या कठिनाई तो नहीं है?'

मुखिया ने कहा—तकलीफ किस बात की। पड़ोस के गांव से हमारी फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं। फिर कुछ रुक कर उन्होंने कहा—बाबा, आदमी की हस्ती ही क्या है। जो कुछ होता है वह सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। आपने जो सर्वोदय विचार हमें दिया है वह तो इतना व्यापक और भारी-भरकम है···यह कहते-कहते उनकी आंखों से आंसू की बूँदे टपकने लगीं। गांव के सारे लोग चुप बैठे थे, उनकी भी आँखें आधी मुंदी थी। बाबा की तो मानो समाधि लग गयी है और उनकी आँखों से भी दो मोती ढुलक पड़े।

अपने आंसू पोछते हुए मुखिया ने कहा—बाबा, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है।

यह कहते-कहते फिर उसकी आँखों में आंसू छलक आये। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा—हमने सहायता के लिए एक गल्ला-गोदाम बनाया है। उसमें से जरूरतमंद लोगों को मदद मुफ्त दी जाती है। गांव की महिलाएं गहने आदि छोड़ रही हैं। अब गांव में किसी पर बाहर का कर्ज नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा और आपका

आशीर्वाद बना रहे ताकि हम आपस के प्रेम और सहयोग से गांव का सारा काम करते रहें।

क्या ही अनोखा दृश्य था! काश, हमारे शिक्षित या विशेषज्ञ लोग उसे देख पाते। इससे उन्हें पता चलता कि इस अहिंसक भूमि-क्रांति में भौतिक समृद्धि के साथ-साथ मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी होती है।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में बाबा बरसात के दिनों में भी सतत घूमते ही रहे। वहां ग्रामदान का तांता लग गया। इस प्रदेश में बाबा की यात्रा ३१ जनवरी १९५५ से ३० सितम्बर, १९५५ तक चली। बिहार की यात्रा को बाबा ने आनंद-यात्रा कहा था। उड़ीसा की यात्रा को उन्होंने शक्ति-यात्रा की संज्ञा दी। इस शक्ति-यात्रा में ९५,७५७ दाताओं से २,५७,२७७ एकड़ भूदान मिला और सारे प्रदेश में ८१२ ग्रामदान हुए। इनमें से ६०५ ग्राम दान तो अकेले कोरापुट जिले के ही थे।

उड़ीसा के बाद बाबा की यात्रा आंध्र में हुई और फिर तमिलनाड में। वहां उन्होंने ग्रामदान से आगे बढ़कर ग्राम-स्वराज्य का विचार रखा। १४ अप्रैल, १९५७ को जब वह कन्याकुमारी में थे तो सागर के बीच विवेकानन्द-शिला पर उन्होंने शपथ ली कि "जब तक देश के हर गांव में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती है, मैं अपनी यात्रा जारी रखूँगा और उसके लिए प्रयत्न करूँगा।"

१८ अप्रैल, १९५७ को बाबा ने केरल प्रदेश की यात्रा शुरू की। केरल के मुख्य मंत्री और सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्री शंकरन नम्बूदरीपाद ने बाबा का स्वागत करते हुए कहा कि आपका हमारे प्रदेश में आगमन बहुत महत्त्व-पूर्ण घटना है। हमारे मंत्रिमंडल ने भूमि समस्या को पहले हल करने का निश्चय किया है। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यह है कि समस्या का एक व्यापक हल निकालें। मुझे विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति में आपकी यात्रा लोगों का दृष्टिकोण बदलने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए बाबा ने कहा—

आज हम एक प्रेम-राज्य से दूसरे प्रेम-राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रदेश को हमने छोड़ा, वहाँ माणिक्यवाचक, नम्मलवार और रामानुज का राज्य चलता है। अब हम जिस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, वहां के राजा हैं ईसा-

मसीह और शंकराचार्य। हम इसमें कोई फर्क नहीं देख रहे हैं। ईसामसीह ने सिखाया कि पड़ोसी से वैसा ही प्यार करो, जैसा हम अपने आप से करते हैं। इसलिए जब हमने सुना कि यहाँ के ईसाई बिशप लोगों ने इस कार्य को माना है, तो हमें आश्चर्य न हुआ। अगर वे इसे न मानते, तभी आश्चर्य की बात होती। क्योंकि इस कार्य को न मानने का अर्थ है, ईसामसीह को न मानना।

शंकराचार्य ने एक कदम आगे बढ़कर अभेद की बात बतायी। जहां अभेद शब्द आया, वहाँ सब प्रकार की मालकियत टूट जाती है। शंकराचार्य ने इस पर स्पष्ट भाष्य लिख रखा है : 'कस्यचिद् धनं'—धन किसका है, मालकियत किसकी है? किसीकी नहीं। हम समझते हैं कि मालकियत मिटाने का इससे स्वच्छ, स्पष्ट आदेश शायद ही कहीं मिल सकता। ऐसे महान पुरुष के राज्य में हम आज प्रवेश कर रहे हैं।

आज १८ अप्रैल है। ठीक ६ साल पूर्व यह आंदोलन शुरू हुआ था। आप और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तो सर्वोदय सम्मेलन में जाहिर कर सकते हैं कि केरल प्रदेश में सबने जमीन की मालकियत प्रेम से छोड़ दी है।

केरल यात्रा के आखिरी दिन, २३ अगस्त, १९५७ को मंजेश्वरम् में बाबा ने शांति सेना की एक टोली बनाने की घोषणा की। उसके नायक केरल के सुप्रसिद्ध और वयोवृद्ध नेता श्री केलप्पनजी थे। इसके बाद से शांति सेना का संगठन बढ़ता चला गया और देश में लगभग इस समय दस हजार शांति सैनिक हैं और छः सौ शांति केन्द्र। सीमावर्ती इलाकों में, विशेषकर नेफा में, शांति सेना की तरफ से कई केन्द्र चल रहे हैं और उपयोगी काम हो रहे हैं। अखिल भारत शांति सेना मंडल के अध्यक्ष श्री जयप्रकाशजी के नेतृत्व में शांति सेना का यह कार्य चल रहा है। देश में इसका एक स्थान बना है और उसकी आवश्यकता तो सभी महसूस करते हैं।

बाबा की मैसूर प्रदेश की यात्रा के दौरान, २१-२२ सितम्बर १९५७ को यलवाल (जिला मैसूर) में एक ऐतिहासिक ग्रामदान परिषद् हुई। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू, प्रधान मंत्री नेहरूजी, जयप्रकाशजी कांग्रेस-अध्यक्ष ढेबर भाई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री गंगाशरण सिंह, केरल के मुख्य मंत्री नम्बूदरीपाद एवं अन्य नेताओं ने भाग लिया था।

उस परिषद् में ग्रामदान पर अपने विचार प्रकट करते हुए विनोबाजी ने कहा—भूमि की मालकियत का ख्याल धर्म-विरुद्ध, विचार-विरुद्ध है। मैंने पूर्ण प्रेम से मांगना शुरू किया तो लोगों ने देना भी शुरू कर दिया। इससे भूमि-समस्या हल होती है, यह तो बिलकुल छोटी सी चीज है। पर यह एक तरीका आजमाया जा रहा है जो गांधीजी का सिखाया हुआ है। शुरू से ही अगर मैं ग्रामदान की बात करता तो वह बनने वाली नहीं थी। भूदान के परिणाम-स्वरूप ही ग्रामदान आ सकता है। भूदान में करुणा थी और ग्रामदान में सहयोग एवं समता की कल्पना है। कारुण्यपूर्वक ही समता आनी चाहिए। अगर दूसरी कृत्रिम रीति से समता आ जाय तो वह कल्याण-कारिणी होगी, इसमें मेरा विश्वास नहीं है।

ग्रामदान का महत्त्व समझाते हुए बाबा ने कहा कि 'ग्रामदान एक डिफेन्स मेजर (सुरक्षा का साधन) है'—

यह बहुत बड़ा पड़ोसी धर्म है, जिसे ईसा ने कहा था : अपने पड़ोसी से वैसा प्यार करो, जैसा अपने से करते हो। सारा धर्म इसमें आ जाता है। सब धर्मों का निचोड़ एक वाक्य में था—पड़ोसी धर्म, जिसे हम आजकल सहयोग (कोआपरेशन) कहते हैं। सहयोग से बेहतर है—पड़ोसी-धर्म। मान लीजिये कि दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाय, तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ गड़बड़ायेंगी। वस्तुओं के भाव बढ़ गये, तो गांव-गांव का बचाव कौन करेगा? अगर अकाल पड़ा तो जिनको नहीं मिलेगा, वे क्या खायेंगे? आपको और हमें मिलने पर भी हमलोग खाना नहीं खा सकेंगे। कुल जिम्मेवारी हमारी रहेगी। इसलिए ग्रामदान को हम 'डिफेन्स मेजर' समझते हैं।

दो दिन की चर्चा के बाद इस परिषद् की ओर से एक सर्वसम्मत वक्तव्य प्रकाशित किया गया। उसमें बताया गया कि ग्रामदान आंदोलन की मुख्य विशेषता है—अहिंसात्मक पद्धति और इसका ऐच्छिक स्वरूप। ऐसा आंदोलन सब तरह की सहायता और प्रोत्साहन की अपेक्षा रखता है। राष्ट्र से इसके समर्थन की अपील करते हुए उस वक्तव्य में कहा गया है—

इस परिषद में उपस्थित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सदस्यों ने ग्रामदान आंदोलन की प्रशंसा करते हुए तथा सहायता करने की इच्छा रखते हुए बताया कि सम्बद्ध सरकारों को अपनी भूमिसुधार संबंधी योजनाओं, यथा भूमि-संबंधी सभी मध्यवर्तीय स्वार्थों के उन्मूलन, जोत की सीमा के निर्धारण तथा जनता की

सहमति से सहकारी आंदोलन की सभी अवस्थाओं में प्रगति-कार्य को आगे बढ़ाना होगा। सरकार की ये योजनाएँ ग्रामदान-आंदोलन के विरोध में नहीं हैं, बल्कि ग्रामदान-आंदोलन से उनको समर्थन मिलता है।

यह भी बताया गया कि सरकार की विकास-खंड योजना और ग्रामदान आंदोलन के बीच घनिष्ठतम सहयोग इष्ट है।

परिषद् ने अपनी दो दिनों की बैठक की समाप्ति पर विनोबाजी के 'मिशन' और उनके अहिंसात्मक तथा सहकारी उपायों से राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रयत्नों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और भारतीय जनता के सभी वर्गों से इस आंदोलन का उत्साहपूर्वक समर्थन करने की अपील की।

यलवाल की इस महत्वपूर्ण परिषद् के बाद मैसूर नगर में बोलते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा —

मुझे खुशी है कि मैं ग्रामदान सम्मेलन में भाग ले सका। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि ग्रामदान का बहुत महत्त्व है; केवल अपने विशेष क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अर्थ-नीति के व्यापक संदर्भ में भी ग्रामदान अब एक काल्पनिक चीज नहीं रह गया है। यह स्थायी चीज है और हिन्दुस्तान की चित्र-भूमि पर एक बहुत ठोस चीज है।

कम्युनिस्ट नेता श्री शंकरन नम्बूदरीपाद (जो उस समय केरल के मुख्य मंत्री थे) ने कहा कि भारत की भूमि-समस्या और ग्रामीण संगठन का जो प्रश्न है, उसके बारे में हमारी पार्टी की एक नीति है, और हम कबूल करते हैं कि ग्रामदान आंदोलन ने इस नीति का एक विकल्प पेश किया है।

अन्य नेताओं ने भी इस परिषद् पर बहुत संतोष व्यक्त किया।

यलवाल परिषद् के अलावा मैसूर प्रदेश की यात्रा में देश को 'जय जगत' का एक नया मंत्र भी मिला।

दक्षिण भारत के चार प्रदेशों में लगभग ढाई वर्ष बिताने के बाद बाबा उत्तर की ओर बढ़े। महाराष्ट्र के पूरबी खानदेश जिले के धड़गांव नामक स्थान में १५ अगस्त, १९५८ को उनका पड़ाव था। उस दिन इस जिले का पूरा अक्राणी ताल्लुका जिसमें १५३ गांव हैं, ग्रामदान में दिया गया। उसके पड़ोस में अक्कलकुआं ताल्लुका है जिसमें २०३ गांव हैं। इसके ६१ गांवों का ग्रामदान तो पहले हो चुका था; ६४ ग्रामदान बाबा की ६४ वीं वर्षगांठ के दिन दिये

गये। इस क्षेत्र में ग्राम निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व सर्वोदय जगत के परिचित सेवक और बाबा के तपे-तपाये निजी सचिव श्री दामोदर दास मूंदड़ा के सुपुर्द किया गया।

महाराष्ट्र के बाद गुजरात की यात्रा चली। वहीं पर १७ दिसम्बर, १९५८ को अहमदाबाद जिले के गांगड गांव में पंडित जवाहर लालजी बाबा से मिलने आये। शाम की प्रार्थना सभा में नेहरूजी ने अपने भाषण के दौरान कहा—

विनोबाजी हमारे देश की एक महान विभूति हैं। आज की दुनिया में जब आणविक अस्त्र-शस्त्रों का ढेर जमा किया जा रहा है, विनोबाजी का मिशन खास अहमियत रखता है। एक तरफ तो हथियारों के बोझ से मनुष्य दबा जा रहा है, वहां दूसरी तरफ भारत में विनोबाजी गांव-गांव घूमकर लाखों लोगों को शांति का संदेश दे रहे हैं। ये दोनों चित्र हमारे सामने हैं। दरअसल ये दो शक्तियों के प्रतीक हैं—हिंसा और अहिंसा। मुझे यकीन है कि तबाही और बर्बादी की ताकतों के ऊपर अहिंसा और शांति, भाईचारे और एकता की ताकतें सफल होंगी।

साबरमती आश्रम में जब बाबा पहुँचे तो बड़ा मार्मिक और प्रेरक दृश्य दीख पड़ा। यह बापू और बाबा दोनों की यह साधना-भूमि रही है। बाबा कहा करते हैं कि "इस स्थान पर जो साधना की गयी है, उसीका परिणाम यह भूदान-ग्रामदान यात्रा है। यहीं पर मुझे पहले अहिंसा का दर्शन हुआ था। मैं इस स्थान का बहुत ऋणी हूँ। यह मेरा मातृस्थान है।"

अपने प्रवचन में वे बोले—

आज बापू की याद रह-रहकर आती है। भगवान की अपार कृपा थी कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। यद्यपि मुझे आदत नहीं है कि मैं हर घड़ी और हर बात में उनका नाम लिया करूँ, तथापि मेरे हृदय में और मेरे जीवन में उनका हृदय और जीवन बैठा हुआ है। उन्होंने जो शिक्षा दी है, उसका अमल मैं कहाँ तक कर पाया, यह नहीं जानता। वे भी नहीं जानते और शायद आप लोग भी नहीं जान सकेंगे। लेकिन मेरा आत्म-विश्वास है कि उनके जिन विचारों को मैंने समझा है, उन पर अमल करने की प्रतिज्ञा सावधानी और कोशिश से करता हूँ। मैं हमेशा यह अनुभव करता हूँ कि वह मेरे आगे हैं, पीछे हैं, चारो तरफ हैं। इन दस सालों में उनके दिखाये

मार्ग पर चलने की कोशिश की है। वे जहाँ भी होंगे, मेरे इस काम को देखकर प्रसन्न होंगे। मैं उनके नाम को जपता हुआ निरन्तर आगे बढ़ रहा हूँ, यह भगवान की महती कृपा है। मुझमें कोई ताकत नहीं है जिसके आधार से भूदान, ग्रामदान, शांति सेना आदि की बड़ी-बड़ी बातें बोल सकूँ। यह बापू की शक्ति ही काम कर रही है। उन्होंने जिस काम को उठाया था, उसी को पूरा करने में मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बापू के साथ जो मेरा संबंध था, वह शब्दों से परे है। मैंने उस संबंध को स्थायी बनाने का मार्ग यही समझा है। इसलिए इस बुढ़ापे में भी उनके काम का संदेश घर-घर पहुँचा रहा हूँ। नहीं तो मैं शायद कहीं आश्रम में बैठकर भक्ति की किताबें लिखता। पर बापू को शायद वह मंजूर नहीं होता।

कहते-कहते बाबा मौन हो गये—आंखों से आंसू ढुलक पड़े। देखने-सुनने वालों में भी कितने ही गद्‌गद् हो गये और अपने को नहीं रोक पाये।

जिन दिनों राजस्थान में बाबा की यात्रा चल रही थी, उन दिनों वहां एक अभूतपूर्व कार्यक्रम संपन्न हुआ। २ मार्च १९५९ को सबेरे शांति सैनिकों का एक जुलूस अमजेर नगर से चला और साढ़े नौ मील की पदयात्रा करके पौने नौ बजे गगवाना पहुँचा। वहां एक रैली हुई और विनोबाजी से संदेश देने की विनती की गयी। पांच मिनट तक बाबा मौन खड़े रहे, मानो समाधि में हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और दो शब्द कहे—'सबको प्रणाम!'

इस शांति-यात्रा में भाग लेनेवाले कुछ नामों को देने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। इसमें थे श्री जयप्रकाशजी और दीदी प्रभावती, केरल के केलप्पनजी, गुजरात के रविशंकर महाराज, महाराष्ट्र के अप्पासाहब पटवर्धन, बंगाल के चारुचन्द्र भांडारी, असम की अमलप्रभा बहन, उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय श्री ब्रह्मदेव वाजपेयी, तमिलनाड के जगन्नाथनजी और बिहार के वैद्यनाथ बाबू। इस यात्रा में कुछ अर्से तक विश्व-विख्यात शांति-वादी नेता डा० मार्टिन लूथर किंग भी हमारे साथ रहे।

राजस्थान के बाद पंजाब। वहां से बाबा कश्मीर चले गये। २२ मई, १९५९ से २० सितम्बर, १९५९ तक कश्मीर में उनकी यात्रा चली। कश्मीर की सीमा में प्रवेश करते हुए उन्होंने कहा : "मैं यहां पर तीन बातें करना चाहता हूँ—(१) मैं देखना चाहता हूँ, (२) मैं सुनना चाहता हूँ, और (३)

मैं प्यार करना चाहता हूँ। जितना प्यार करने की ताकत भगवान ने मुझे दी है, वह सब मैं यहां इस्तेमाल करना चाहता हूँ।"

पहलगांव पड़ाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा—कुरान शरीफ ने एक बात सिखलायी है। 'अल्लाह हुवहद'—यानी अल्लाह एक है। अब इसी तरह नयी तालीम देनी होगी कि इन्सान एक है—'इन्सान हुवहद'। पुरानी तौहीद है कि अल्लाह एक है, नयी तौहीद है कि इन्सान एक है। उसके लिए लफ्ज कुरानशरीफ में मिलेगा। हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, वगैरह सब मजहबों की किताबों में मिलेगा।

कश्मीर की स्थिति पर दुःख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा—मैंने देखा कि कश्मीर में कुदरत खूबसूरत है, लोग खूबसूरत हैं और उनका दिल भी खूबसूरत है। लेकिन बदसूरत है, यहां की सियासत। इसीलिए मेरी अपील है कि अब आप आगे आइये; सियासत से काम नहीं बनेगा; आप को अपनी ताकत बनानी चाहिए।

इसी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारक संदेश दिया : "अब सियासत और मजहब के दिन लद गये और अध्यात्म का जमाना आया है। विज्ञान के इस युग में हमको अपने मसले रूहानियत या अध्यात्म के तरीके से हल करने चाहिए।"

उन्होंने कहा—आज सियासतदां लोगों का बड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आयेगा, जब जिन हाथों ने एटम बम बनाया, वे ही हाथ इन बमों को तोड़ेंगे और लोगों की खिदमत में लगेंगे। यह समझ लेना चाहिए कि जो लोग सियासत से अलग रहकर रूहानियत का आसरा लेंगे, पनाह लेंगे, वे ही साइन्स के जमाने में टिकेंगे। साइन्स के जमाने में रूहानियत मार्गदर्शन देगी और साइन्स रफ्तार बढ़ायेगा। मैं आपके सामने एक समीकरण रखता हूँ।

सियासत + विज्ञान = सर्वनाश

रूहानियत + विज्ञान = बहिश्त

रूहानियत और विज्ञान एक हो जायँ तो दुनिया में बहिश्त (स्वर्ग) आयेगा, यह आप खूब समझ लीजिये। साइन्स का फायदा उठाना है, उससे काम लेना है, तो उसके साथ रूहानियत को जोड़ना होगा और अगर उसका फायदा न उठाना हो, उसकी बदौलत मर मिटना हो, तो बीच में सियासत ले आइये।

भूदान ग्रामदान आंदोलन का रहस्य समझाते हुए बाबा ने एक सभा में कहा—

हर इन्सान में ताकत पड़ी है। अगर सब ताकतों को हम जोड़ना चाहते हैं, सबकी ताकतें इकट्ठा कर नया समाज बनाना चाहते हैं, तो जोड़नेवाली तरकीब चाहिए। जोड़ने वाली तरकीब सियासत या मजहब नहीं हो सकती है, रूहानियत ही हो सकती है। मैंने मजहब और रूहानियत में जो फर्क किया है, उसे समझने की जरूरत है। मजहब पचास हो सकते हैं, लेकिन रूहानियत एक ही हो सकती है। मजहब, सियासत, जबानें चन्द लोगों को इकट्ठा करती हैं और चन्द लोगों को अलग करती हैं। लेकिन रूहानियत कुल इन्सानों को एक बनायेगी। इसलिए आप इस तहरीक की तरफ तबदीली लानेवाली तहरीक की निगाह से देखिये, तभी इसकी असलियत आपको मालूम होगी और आपके दिल का रुझान उसकी तरफ होगा।

कश्मीर के बाद पंजाब और हिमाचल। फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से होते हुए बाबा ने ९ मई १९६० को मध्यप्रदेश के चंबल घाटी-वाले इलाके में प्रवेश किया। वहीं पर १९ और २० मई को एक अद्वितीय घटना हुई—१९ बागियों ने बाबा के सामने अपने हथियार डाल दिये और शांतिमय जीवन बिताने का संकल्प किया। चंबल घाटी में इन भाइयों का समर्पण अहिंसा की शक्ति का एक अद्भुत दर्शन था।

वहां से बाबा इन्दौर गये। इन्दौर में चार सप्ताह रहकर कस्तूरबा ग्राम आये, जहां पर माता कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का प्रधान केन्द्र है। वहां सात दिन तक उनका पड़ाव रहा। बाबा के साथ ट्रस्ट की सभी बहनों ने सलाह-मशविरा करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये, जिनमें एक आगे से शांति सेना का काम उठाने का निर्णय है। ट्रस्ट को बधाई देते हुए २९ अगस्त, १९६० की प्रार्थना सभा में कस्तूरबा ग्राम में बाबा ने कहा: "यहां पर चर्चा अच्छी हुई, बहुत अच्छे ढंग से हुई और कस्तूरबा ट्रस्ट ने बहुत ही अच्छे फैसले किये। उन्होंने शांति सेना का काम उठाने का जो प्रस्ताव किया, वह महत्त्वपूर्ण और अत्यन्त उचित प्रस्ताव है, क्योंकि अहिंसा के काम में स्त्री-शक्ति को ही आगे आना चाहिए। एक बड़ी चीज यह हुई कि उन्होंने सारे फैसले सर्वसम्मति से किये।"

इसी अर्से में असम में भाषा के प्रश्न को लेकर कुछ हिंसक और अशोभनीय कार्य हो गये। वहां के मित्रों ने चाहा कि बाबा असम आयें। साथ ही, पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी एक पत्र उनके पास पहुँचा जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'असम के घाव को आपही भर सकते हैं।' २६ सितम्बर, १६६० को बाबा इन्दौर से निकले और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और काशी जिलों से होते हुए २५ दिसम्बर, १६६० को बिहार की पावन भूमि पर कदम रखा। पहले ही दिन उन्होंने बिहार को एक नया मंत्र दिया : 'बीघे में कट्ठा, दान दो इकट्ठा!'

बिहार की जनता के नाम एक अपील में बाबा ने कहा—

बिहार ने बत्तीस लाख एकड़ भूमि भूदान में देने का संकल्प किया था। इसके पहले या इसके बाद किसी दूसरे प्रांत ने इतना बड़ा संकल्प नहीं किया था। बिहार के लिए यह एक गौरव की बात है और खुशी की बात है कि उस संकल्प को पूरा करने में सब लोगों ने काफी शक्ति लगायी थी और नतीजा भी उसका अच्छा आया था।

···फिर भी वह संकल्प अभी पूरा होना बाकी है। संकल्प अधूरा छोड़ने से आत्म-शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई कारण नहीं कि संकल्प अधूरा रह जाय। फिर से जोर लगाया जाय तो वह पूरा हो सकता है। हिसाब बताता है कि उसका आसान तरीका यह होगा कि हर कोई बीघे में एक कट्ठा दे। उससे गांव-गांव में करुणा का स्रोत फूट निकलेगा और देखते-देखते उसकी बड़ी नदी बन जायेगी।

···मेरा तो विश्वास है कि इस प्रयत्न से ही अहिंसा की कुंजी हमारे हाथ में आयेगी, जिससे बहुत सारे दूसरे मसले भी हल होने की राह खुलेगी। मैंने देखा कि इस बार की यात्रा में हजारों लोग सुनने आते हैं, और उनके सामने जब मैं 'बीघे में कट्ठा' यह एक छोटा सा मंत्र रखता हूँ, तो लोगों के चेहरे पर बहुत आशा और उत्साह की झलक दीख पड़ती है। मुझे आशा है, सब कार्यकर्ता चाहे वे किसी राजनीतिक दल के हों, या रचनात्मक कार्य करने वाले हों, इस काम में सम्मिलित शक्ति लगायेंगे और अपना मूल संकल्प सिद्ध करके ही रहेंगे।

बिहार में बाबा की यह यात्रा ६ फरवरी, १९६१ तक चली। इस अर्से में एक दिन बिहार के प्रमुख लोगों—सर्वश्री गौरी बाबू, वैद्यनाथ बाबू, ध्वजा बाबू और स्वर्गीय रामदेव बाबू एवं श्याम बाबू से बातें करते हुए बाबा ने कहा—"बिहार में ज्योति जल सकती है। इसलिए भूदान को छोड़कर और किसी कार्यक्रम में मुझे उत्साह नहीं आता है। सरकार 'लेवी' लगाने का सोचती है, बीघे में एक कट्ठा लेने की बात करती है। मैं 'देवी' की बात करता हूँ। यानी आप एक बीघे में एक कट्ठा दान दीजिये। भारत भर मैं घूमकर आया हूँ। मेरा निरीक्षण कहता है कि भूदान के सिवा कोई दूसरा विचार मैदान में नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने यही विचार समझाया है।"

उत्तरी बंगाल के चार जिलों—पश्चिम के बाद दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच-बिहार—की यात्रा करने हुए ५ मार्च, १९६१ को असम के गोलपाड़ा जिले से उन्होंने असम की यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने श्रद्धा और प्रेम का संदेश दिया और कहा—"प्रेम तो बिजली है और श्रद्धा बटन है। प्रेम सारी दुनिया में फैला हुआ है। कमी श्रद्धा की है। अगर हम श्रद्धा का बटन दबायेंगे तो आनन्द की ज्योति प्रकट होगी।"

असम के बाद बाबा ने १५ दिन पूर्वी पाकिस्तान में यात्रा की। ५ सितम्बर से २९ सितम्बर, १९६२ तक इस पदयात्रा में उन्हें पाकिस्तान में १७५ बीघा जमीन मिली जो वहीं बाँट दी गयी।

पूर्वी पाकिस्तान के बाद २२ सितम्बर १९६२ से ९ अगस्त १९६३ तक बाबा ने पश्चिम बंगाल की यात्रा की। इसमें उन्हें ३११ ग्रामदान मिले। बंगाल यात्रा के बाद १०, ११, १२ अगस्त—ये तीन दिन बाबा ने बिहार में बिताये। इन्हीं दिनों उन्होंने बिहार सर्वोदय मंडल के विघटन का क्रांतिकारी निश्चय प्रकट किया।

१३ अगस्त से ११ दिसम्बर, १९६३ तक उत्कल में पदयात्रा करते हुए बाबा १२ दिसम्बर, १९६३ को मध्यप्रदेश के रायपुर जिले में आये। २२ से २९ दिसम्बर तक रायपुर में रहे, जहाँ पन्द्रहवां सर्वोदय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में बाबा ने त्रिविध कार्यक्रम देश के आगे रखा।

जैसा सर्वविदित है, अक्तूबर १९६२ में चीन का आक्रमण भारत पर हुआ। पंडित जवाहर लाल के शब्दों में यह आक्रमण केवल कुछ एकड़ जमीन के

लिए नहीं था, बल्कि मुख्यतः वैचारिक था। देश की गरीबी, भुखमरी और विषमता अगर दूर नहीं होती है तो गाँव-गाँव में चीन अपने आप घुस जायगा। इसी पर चिन्तन करते हुए बाबा ने ग्रामदान को एक अभिनव शकल दी। पहले तो ग्रामदान में केवल भूमिवानों से उनकी भूमि की माँग की जाती थी और अन्य किसी को इसमें कुछ करना-धरना नहीं रहता था। लेकिन अगर यह सर्वांगीण क्रांति है तो इसमें हर किसी को कुछ न कुछ हाथ बटाना चाहिए, इस दृष्टि से उन्होंने ग्रामदान का संशोधन किया और इसके लिए निम्नलिखित चार शर्तें रखीं :

(१) हर भूमिवान अपनी कुल भूमि की मालकियत गांव के नाम कर दे।

(२) हर भूमिवान अपनी भूमि का बीसवां हिस्सा भूमिहीन के लिए दान में दे।

(३) गांव की एक ग्रामसभा बने जिसमें गांव का हर बालिग निवासी, स्त्री हो या पुरुष, शरीक हो और यह ग्रामसभा सर्वसम्मति या सर्वानुमति से अपना काम करे।

(४) एक ग्रामकोष स्थापित किया जाय जिसमें गांव के भूमिवान अपनी फसल का चालीसवां हिस्सा दें और मजदूरी या नौकरी पेशा करने वाले अपनी आमदनी का तीसवां हिस्सा दें। फसल या आमदनी का हिस्सा हर साल लगातार देना होगा।

ग्रामदान का यह विचार देश के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को भी बहुत जंचा है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और गोखले संस्थान के संचालक डा० धनंजय राव गाडगिल ने अपने एक लेख में ग्रामदान के बारे में विचार प्रकट करते हुए कहा था—

ग्रामदान अभूतपूर्व आंदोलन है जिसके बहुत पेचीदा पहलू हैं और इसके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएँ भरी हैं। जहाँ ग्रामदान का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से किया जायगा, वहां इसके साथ न्याय करने के लिए विशेष कानूनी और प्रशासनिक सुविधाओं की जरूरत होगी—एक बार जहाँ ग्रामदान का तथ्य जम गया वहाँ अनुकूल स्थिति होने पर वह किसी विशेष प्रचार या बाहरी कोशिश के बिना ही बढ़ेगा और फैलेगा।

डा० गाडगिल की १९५७ में की गयी यह भविष्यवाणी ग्रामदान-तूफान की शकल में अब सच्ची साबित हो रही है।

चौथा अध्याय

तूफान का मंत्र

—अगर आपलोग बिहार में ग्रामदान का तूफान खड़ा कर सकें तो हम फिर से बिहार आने को तैयार हैं।

पवनार में ८ मई, १९६५ को जब बाबा के मुख से यह शब्द निकले तो सुननेवाले दंग रह गये। उनमें थे सर्वश्री वैद्यनाथ बाबू, ध्वजा बाबू और अन्य मित्र।

'आपके इस कहने का मतलब क्या है?'

'तूफान—यानी दस हजार ग्रामदान छः महीने में कीजिये।'

'लेकिन जयप्रकाशजी ने तो इससे ज्यादा की माँग की हैं। उन्होंने चौदह हजार ग्रामदान गाँधी शताब्दी तक प्राप्त करने के लिए कहा है।'

'गांधी शताब्दी तक तो मेरी दो शताब्दियाँ हो जायंगी!'

यह सुनकर सब हँस पड़े।

बाबा ने कहा—मुझे यह भरोसा कहाँ है कि गांधी शताब्दी देखने के लिए मैं रहूँगा या नहीं।...जब वर्धा वालों ने गांधी शताब्दी की योजना बनायी और मेरे सामने रखी तो मैंने कहा कि योजना तो ठीक है, लेकिन शताब्दी से पहले उस काम को पूरा कर लोगे तो गांधीजी को दुःख नहीं होगा।

थोड़ी देर के बाद वैद्यनाथ बाबू की तरफ इशारा करते हुए कहा—यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि जो बेहिसाब सोचनेवाले पागल थे वे तो गये। लक्ष्मी बाबू थे, वे बेहिसाब सोचते थे। विचार आ गया तो एकदम अमल कर दिया। अब वैद्यनाथ बाबू हिसाब के सिवा बोलेंगे ही नहीं। वे अगर हिसाब करके बोलेंगे तो होकर ही रहेगा। बेहिसाब बोलने वाले गये। लेकिन वैद्यनाथ बाबू हिसाब करेंगे तो उसी का करेंगे जो होनेवाला है, और इसलिए वह होकर ही रहेगा। जयप्रकाशजी भी समय दे सकेंगे, उनकी ऐसी

मनःस्थिति है। वहाँ आने की तैयारी इसलिए रखी है कि एक बार तूफान हो जाय। हमने यह भी सोचा कि यह तूफान होगा तो खादी का भी तूफान होगा। शांति सैनिक भारत में सबसे अधिक बिहार ही में हैं। खादी भी ग्रामदान के साथ बढ़ सकती हैं।

किसी ने पूछा कि यात्रा का स्वरूप क्या होगा?

बाबा ने जवाब दिया—यात्रा के स्वरूप के बारे में कोई कल्पना नहीं है। वाहन में नहीं बैठूंगा, ऐसा भी नहीं। इतना ही है कि एकान्त चाहता हूँ। चिन्तन चलता है तो दर्शन का जोर नहीं चलेगा।

दैवयोग से उस दिन लक्ष्मी बाबू की सातवीं पुण्यतिथि थी। ग्रामदान की पदयात्रा करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा था। अब मानों तूफान के रूप में वे सारे बिहार में व्यापक हो रहे हों।

* * * *

उन दिनों गोपुरी (वर्धा) में सर्व सेवा संघ की बैठक हो रही थी। उसी निमित्त से विभिन्न प्रदेशों के साथी वहाँ आये हुए थे। जब बाबा के बिहार जाने की खबर गोपुरी में फैली तो सबमें उत्साह का स्रोत फूट पड़ा। बिहार-वालों के शिविर में तो आनन्द का कोई ठिकाना-ही नहीं था। बाबा ने जब खुद ही बिहार आने की बात कही तो 'न' करने का कोई सवाल ही नहीं था। वे अब यही सोचने लगे कि किस तरह छः महीने में दस हजार ग्रामदान प्राप्त किये जायँ और बाबा का क्या प्रोग्राम रहे।

रायपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद सर्व सेवा संघ में अब लगभग डेढ़ साल के बाद स्फूर्ति आयी। 'तूफान' शब्द गोपुरी में गूँज रहा था। वहाँ संघ की अन्तिम बैठक में अपने प्रवचन के दौरान बाबा ने कहा—

कालगति तीव्र है। काल जोर से आगे बढ़ रहा है। ग्रामदान-मूलक ग्राम-स्वराज्य का विचार आप पांच साल के अंदर सिद्ध करेंगे तभी काम होगा, अन्यथा वह विचार 'कोल्ड स्टोरेज' (शीतागार) में पड़ा रहेगा। विचार अच्छा है, लेकिन शीतागार में पड़े रहने से भारत का काम नहीं होगा। इस विचार में भारत को और सारी दुनिया को बचाने की ताकत है। इस विचार में बड़ी शक्ति है, इसलिए मुझे लगा कि बिहारवालों को जरा 'टेम्प्ट' करूँ (लुभाऊँ)। मैंने यह अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया, बाइबिल की भाषा में—'टेम्प्टिंग गॉड' (ईश्वर को लुभाने) की बात आती है।

आगे उन्होंने कहा—मैंने बिहार वालों को एक मंत्र दिया था। उसका उन्होंने आधा ही हाथ में लिया। मंत्र के दो टुकड़े करके नहीं लेना चाहिए; उसे पूरा ही लेना चाहिए। मैंने कहा था : 'बीघे में कट्ठा, दान दो इकट्ठा'। उसमें से 'दान दो इकट्ठा' को वे भूल गये। उसका अर्थ यह हुआ कि पहले छठा हिस्सा मांगते थे, अब बीसवां मांगने लगे, तो नीचे उतरे। लेकिन जब इकट्ठा दान होता है और सारा गांव खड़ा होता है, तो बीसवां हिस्सा दान मिलने पर भी उसमें क्रांति का तत्त्व दाखिल होता है। वह बड़ा सुन्दर मंत्र है। उसमें काव्य-माधुर्य भी है। पूरब की जनता पर काव्य का बड़ा असर होता है। इस तरह का काव्यमय मंत्र हमने बिहार को दिया था। जब एक भाई ने प्रश्न किया कि 'बीघे में कट्ठा' आन्दोलन में जो जमीन मिली थी, वह भी नहीं बँट सकी, तो इस हालत में दस हजार ग्रामदान का क्या होगा ? मैंने कहा कि जमीन बांटना और न बांटना यह सब ग्रामसभा की जिम्मेवारी है। इसमें या तो जमीन बँटेगी या नहीं बँटेगी, बीच की हालत नहीं होगी। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। पहले के आंदोलन में हमें जो अनुभव आये, उसमें हमने जो गलतियाँ कीं, उनको ध्यान में रखते हुए यह सूत्र बनाया गया और जिम्मेवारी ग्रामसभा की मानी गयी। अब बिहारवाले बाबा को तकलीफ दिये बिना दस हजार ग्रामदान का पराक्रम करें तो यह महान क्रांति होगी और अत्यन्त आकर्षक होगी। लेकिन बाबा ने कबूल किया है कि अगर वैसा होता है और बाबा को जरूरत पड़ती है, और हम जीवित हैं, तो वहां हम जायेंगे।

सर्व सेवा संघ की गोपुरी वाली बैठक में आखिरी भाषण श्री जयप्रकाश-जी का हुआ—बहुत छोटा और बहुत मार्मिक। उन्होंने कहा—अब बोलने का समय नहीं है, करने का है। और करना क्या है, यह भी सामने स्पष्ट है। हम सबको अपने प्रदेशों और क्षेत्रों में जाकर ग्रामदान तूफान में लग जाना चाहिए।

बिहार ने तो एकदम तैयारी शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर में ४, ५, ६ जून को बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रधान कार्यालय में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। सूचना ढाई सौ व्यक्तियों को दी गयी थी, लेकिन बैठक में लगभग चार सौ व्यक्ति उपस्थित थे। बड़ा ही उत्साहजनक वाता-

वरण था। बैठक की अध्यक्षता श्री जयप्रकाशजी ने की। अपने प्रारंभिक भाषण में उन्होंने कहा कि अब इस आंदोलन का एक नया दौर शुरू होगा। सौभाग्य की बात है कि इतिहास का यह नया अध्याय हमारे यहाँ से आरम्भ हो रहा है। बड़ी मार्मिक वाणी में वे बोले—

बाबा के आने का निश्चय हो गया है। इस काम में जनता को, सब पक्षों को आमंत्रण होना चाहिए। एक तूफान आने वाला है। बाबा के व्यक्तित्व के रूप में एक तूफान आ रहा है। उस तूफान की अगुवानी करने की हम तैयारी करें, उसका स्वागत करें और बाकायदा उसके लिए संयोजन करें।

बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ। उसमें निष्ठापूर्वक तूफान के काम में लग जाने का निर्णय किया गया। प्रस्ताव में कहा गया—

यह परम सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र एवं मानवहित के ऐसे महान ऐतिहासिक कार्यक्रम का प्रयोग और प्रेरणा-स्थल बनने का शुभ संयोग बिहार प्रदेश को प्राप्त हुआ है। पूज्य विनोबा के चित्त में सहज-स्फूर्त इस पावन संकल्प तथा उसकी सिद्धि के लिए, अपनी अस्वस्थता के बावजूद, बिहार में समय देने और वाहन से यात्रा करने के उनके निर्णय का, जिला सर्वोदय मंडलों तथा रचनात्मक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की यह बैठक, परिपूर्ण श्रद्धा और उत्साहयुक्त हृदय से स्वागत करती है। साथ ही, सर्वोदय आंदोलन में नव चेतना का संचार करने तथा वर्तमान जटिल राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए देश में स्वस्थ लोकमत निर्माण करने एवं जन-जीवन में पुरुषार्थ जगाने के निमित्त संत के आह्वान पर इस मंगल संकल्प की सिद्धि के लिए हम तन-मन-धन से जुट जाने का निश्चय करते हैं। तदनुसार हम पूज्य विनोबा के यथाशीघ्र बिहार में पदार्पण के लिए तूफान के अनुकूल वातावरण निर्माण में तत्परतापूर्वक संलग्न होते हैं।

तूफान के काम को, इस आन्दोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक ग्रामदान प्राप्ति संयोजन समिति बनायी गयी। श्री जयप्रकाशजी मनोनीत किये गये और मंत्री श्री वैद्यनाथ बाबू। सबसे महत्त्व के जो निर्णय हुए वे तीन थे—

(१) बाबा से ११ सितम्बर को बिहार आने की विनती की जाय।

(२) बाबा के बिहार आने पर तूफान की पहली किस्त के तौर पर एक हजार ग्रामदान भेंट किये जायँ।

(३) इसी अवसर पर बाबा को एक लाख रुपये की थैली अर्पित की जाय जो ग्रामदान कोष के रूप में इस काम को बढ़ाने के काम आवे।

मुजफ्फरपुर की यह सारी जानकारी श्री कृष्णराज मेहताजी ने बाबा को पवनार में जाकर बतायी। उस पर बाबा ने कहा कि बिहार के लिए तो दस हजार ग्रामदान मांगने की बात है। बिहार के तेरह हजार गाँवों में खादी का प्रवेश है। वहाँ पैंतीस हजार गाँवों से भूदान मिला है। शांति सैनिक भी देश में सबसे अधिक वहीं हैं। इतना व्यापक प्रचार कहीं नहीं हुआ है। इसलिए बिहार के लिए दस हजार ग्रामदान प्राप्ति का काम गैर-मामूली नहीं मानता।

बिहार के को-कोने में तूफान की तैयारी शुरू हो गयी—शिविर शुरू हो गये, पदयात्राएँ चल निकलीं, सभाएं होने लगीं। इधर गर्मी जोरों से बढ़ रही थी, उधर कार्यकर्ताओं के अन्दर की ज्वाला जोरों से धधक रही थी। बड़े उत्साह से साथ वे तूफान में कूद पड़े।

दरभंगा जिले में एक शिविर का उद्घाटन करते हुए श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरीजी ने कहा—

जिस तरह १९४२ में महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन चलाया, उसी तरह आज विनोबा का ग्रामदान-तूफान बिहार में क्रांति उत्पन्न करने का संकेत है। ग्रामदान से हम आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की क्रांति कर सकते हैं। अगर हम ग्रामदान में नहीं आते तो जमाना प्रतीक्षा नहीं करेगा।

पलामू जिले के सदर मुकाम, डाल्टेनगंज , प्रमुख नागरिकों की एक सभा में बोलते हुए श्री राममूर्तिजी ने कहा कि कल्याण और राहत के सरकारी कार्यक्रम समाज में नीचे तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमें अब तूफान के माध्यम से अंतिम नागरिक तक पहुँचना होगा ताकि वह अहिंसक क्रांति में और देश की नवरचना में साझीदार बने। आगे चलकर उन्होंने कहा—

एक ओर देश के जनजीवन में विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएँ जगी हैं और दूसरी ओर हमारी निष्क्रियता हद दर्जे तक बढ़ गयी है। संकट की इस अवस्था में विनोबाजी ने ग्रामदान की महान क्रांति का तूफान खड़ा करने का आवाहन किया है। देश की अस्सी प्रतिशत ग्रामीण जनता अपनी व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित कर, सामूहिक मालिकी स्थापित करने का अवसर

ग्रामदान से प्राप्त करती है। इसके द्वारा गांव में से वर्गवाद, राज्यतंत्र और राजनीति का अंत होगा और लोकनीति का श्रीगणेश होगा।

सर्वोदय जगत के वयोवृद्ध वरिष्ठ नायक, श्री धीरेन्द्र मजूमदारजी ने जगह-जगह बिहार में शिविर लिये। उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ ग्रामदान का विचार समझाया। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद, सैनिकवाद और नौकरशाही, इन तीनों से मुक्ति दिलाने वाला यह एक ग्रामदान आंदोलन है; ग्राम-स्वराज्य की लक्ष्य-प्राप्ति के लिए स्वावलंबन का आन्दोलन है। इससे सामूहिक लोकशक्ति का निर्माण तथा स्वावलंबी समाज के अनुष्ठान से भ्रष्टाचार के निराकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस क्रांति में जमीन के समाजीकरण के साथ-साथ पूंजी के समाजीकरण का विचार भी निहित है।

तूफान से बिहार के खादी-परिवार में भी नयी चेतना आ गयी। इस परिवार के मुख्य और देश के सुप्रसिद्ध खादी सेवक श्री ध्वजा प्रसाद साहु ने बिहार की सभी खादी-संस्थाओं से ग्रामदान में जुट जाने की अपील की। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा—

खादी संस्थाओं से निवेदन है कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में दानपत्र लेकर जायँ और काम शुरू कर दें। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अमुक गांव का ग्रामदान होगा और अमुक का नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को यह विश्वास होना चाहिए कि आज की परिस्थिति में ग्रामदान के सिवा कोई सक्षम कार्यक्रम नहीं है। आप अपने इस विश्वास से दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। सभी गांवों का ग्रामदान हो सकता है, इस श्रद्धा के साथ आप अपने क्षेत्र के गांवों में जायँ और घर-घर से ग्रामदान-पत्र पर हस्ताक्षर लेने का प्रयत्न करें। कुछ सफलता आज मिलेगी, कुछ कल मिलेगी और अंत में पूरी सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। एक ऋषि की तपस्या का बल हमारे पास है। हमें विश्वास के साथ निकल पड़ना है।

इस प्रकार बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ ने तत्परता के साथ इस काम में लगने का बीड़ा उठाया। जब यह जानकारी श्री ध्वजा बाबू ने बाबा को भेजी तो उन्होंने पवनार से उनको एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है—

जानकर खुशी हुई कि बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ ने ग्रामदान के काम में प्रत्येक कार्यकर्ता को लगाने का निर्णय लिया है। इसीकी जरूरत थी,

जैसा वेद ने आदेश दिया है : 'सं गच्छध्वं सं वदध्वं'— एक साथ आगे बढ़ो, एक साथ बोलो।

बिहार राज्य गांधी स्मारक निधि ने भी अपने कार्यकर्ताओं को तूफान में लगा दिया। निधि के मंत्री श्री सरयू प्रसाद ने बिहार के रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया, जो २७, २८ जुलाई, १९६५ को सदाकत आश्रम (पटना) में आचार्य बदरीनाथ वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस सम्मेलन में तूफान की आवश्यकताओं पर बल देते हुए श्री जयप्रकाशजी ने कहा—

ग्रामदान से समाज-परिवर्तन का पथ उन्मुक्त होता है। आधुनिक युग की आकांक्षा है कि समाज परिवर्तन हो। यह जमाने की मांग है। जमींदारी गयी, लेकिन उससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समाज का ढांचा ज्यों का त्यों बना रहा, शोषण पूर्ववत् चलता रहा, यह चिंता का विषय है। अब चीनी आक्रमण के संदर्भ में इस परिस्थिति को बदलना अनिवार्य हो गया है। मेरा ख्याल है कि समाज की वर्तमान स्थिति को बदले बिना चीनी साम्यवाद को रोका नहीं जा सकता है। चीनी सेना को रोका जा सकता है, लेकिन चीनी साम्यवाद को नहीं। उसको हम ग्रामदान से ही रोक सकते हैं।

इस सम्मेलन में पूरी शक्ति लगाकर तूफान के कार्यक्रम को पूरा करने का निश्चय किया गया। सम्मेलन द्वारा स्वीकृत निवेदन में कहा गया—

संत विनोबाजी ने बिहार में ग्रामदान का तूफान खड़ा करने को आवाहन किया है। वे आगामी ११ सितम्बर को इस तूफान-कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए बिहार में पधारने वाले हैं। उन्होंने बिहार के लोगों के सामने छः माह के भीतर दस हजार गांवों को ग्रामदान में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस काम के लिए वे जी-जान से जूझना चाहते हैं। उन्होंने इसको अपने जीवन की 'आखिरी लड़ाई' की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी शताब्दी समारोह मनाने का जो हमारा कार्यक्रम है, उसके मार्ग-दर्शक बनकर वे हमारे बीच पधारने वाले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चय करते हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनके संकल्प को पूरा करने में सहायक होंगे।

राजनीतिक पक्षों ने भी अनुकूलता दिखायी। सच तो यह है कि इसके लिए पृष्ठभूमि डेढ़ साल पहले ही बन चुकी थी। श्री जयप्रकाश नारायण के निमंत्रण पर १७-१८ दिसम्बर १९६३ को बिहार में सर्वदलीय ग्रामदान परिषद् सदाकत आश्रम में श्री मनमोहन चौधरी (अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ) की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें भाग लेने वालों में थे—सर्वश्री विनोदानन्द झा और राजेन्द्र मिश्र (कांग्रेस), कर्पूरी ठाकुर (प्रजा समाजवादी), भोला प्रसाद सिंह (समाजवादी पार्टी), भोगेन्द्र झा (कम्युनिस्ट पार्टी), सरदार हरिहर सिंह (स्वतंत्र पार्टी) आदि। श्री कृष्णवल्लभ सहाय, मुख्यमंत्री और सर्वश्री वीरचन्द पटेल, राजस्व मंत्री, मंगेरी लाल, पशुपालन मंत्री और रामलखन सिंह यादव, जनकार्य मंत्री ने भी भाग लिया था। इस परिषद् में ग्रामदान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देने का सबने आश्वासन दिया था।

जिला स्तर पर इसी तरह की सर्वदलीय गोष्ठी १६ जुलाई, १९६५ को पूर्णिया में हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री विद्यासार ने की। बिहार के भूतपूर्व कल्याण मंत्री श्री भोला प्रसाद शास्त्री ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक होते हुए भी आज तक भूमि का मसला हल नहीं कर सकी। उन्होंने ग्रामदान तूफान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की।

मुजफ्फरपुर की बैठक के बाद से तूफान के लिए धूम मच गयी। सभी रचनात्मक संस्थाओं के नेता तथा कार्यकर्ता ग्रामदान के लिए घूमने लगे। श्री कृष्णवल्लभ बाबू (मुख्य मंत्री), श्री विनोदा बाबू (भूतपूर्व मुख्य मंत्री), श्री राजेन्द्र मिश्र, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमिटी आदि ने भी अनुकूल वातावरण बनाने में योगदान दिया। श्री विनोदानन्द झा ने तो सघन यात्राएँ भी कीं और ग्रामदान प्राप्त किये। उन्होंने अपने एक दौरे का अनुभव बतलाते हुए कहा—जनता तैयार है। निष्ठापूर्वक कार्य करने और जनता से संपर्क करने की जरूरत है। निश्चय ही ग्रामदान का काम आगे बढ़ेगा।

पटना के विधायक क्लब में २८ जुलाई की शाम को श्री जयप्रकाशजी ने विधायकों के बीच ग्रामदान का विचार तफसील से समझाया। मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद थे। जयप्रकाशजी ने विधायकों से निवेदन किया कि कत्ल से समाज-परिवर्तन की बात कम से कम मुंह से तो आज कोई नहीं कहता, पर कानून से समाज-परिवर्तन की दिशा में हम ज्यादा प्रगति नहीं कर

पाये हैं। कई समस्याएँ और उलझनें हमारे सामने खड़ी हैं, इसलिए करुणा के रास्ते से, विचार-प्रचार और प्रेम के रास्ते से, जनता का मानस-परिवर्तन करके उनका नैतिक उत्थान करके तथा सामूहिक शक्ति में कर्तृत्व-भावना को विकसित करके समाज-परिवर्तन करने की क्षमता इस सुलभ ग्रामदान में भरी पड़ी है।

फिर तो हर जिले में ग्रामदान मिलने लगे। साधारण कार्यकर्ताओं को भी विश्वास होने लगा कि अगर ठीक से विचार समझाया जाय तो गाँव के लोग खुशी से ग्रामदान में शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने कभी भूदान तक नहीं मांगा था, वे भी सफलता के साथ ग्रामदान लाने लग गये। एक विशेष बात देखने में यह आयी, खास कर पूर्णिया जिले में, कि रचनात्मक कार्यकर्ता अपने-अपने गांव का ग्रामदान कराने की कोशिश करते थे।

एक जगह ग्रामदान के लिए सभा हो रही थी। गाँव के बुजुर्ग और नौजवान सभी जमा थे। कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से विचार समझाया। फिर एक ने कहा—आपको कोई शंका हो तो सामने रखिये।

अधेड़ उम्र के एक भाई बोले—घर में शादी-ब्याह लगे रहते हैं। ग्रामदान होने पर अगर जमीन बेचना ही बन्द हो जायगा तो लड़की की शादी कैसे करेंगे?

इसके पहले कि कार्यकर्ता कोई जवाब दे, सभा में से ही प्रश्नकर्ता के एक परिचित मित्र बोल उठे—भाई, सच बात तो यह है कि इनको चिंता जमीन बेचने की उतनी नहीं है, जितनी खरीदने की। इनके दिल का चोर हम जानते हैं।

यह सुनकर सभी लोग हँस पड़े और प्रश्नकर्ता भी शरमा कर बैठ गया।

इस तरह बिहार में लगन के साथ काम होने लगा और बाबा के आगमन की तैयारी में ग्रामदान प्राप्त किये जाने लगे। उनके स्वागत के आयोजन के लिए एक स्वागत समिति बनायी गयी जिसके अध्यक्ष श्री कृष्णवल्लभ बाबू बनाये गये। समिति की तरफ से ग्रामदान तूफान को सफल बनाने के लिए और पटना में ११, १२, १३ सितम्बर को विनोबाजी के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बिहारवासियों से अपील की गयी। उसमें कहा गया—

बिहार में अब तक सैकड़ों ग्रामदान हुए हैं और नित्यप्रति हो रहे हैं। अब हमें आगामी छः महीनों में दस हजार ग्रामदान के लक्ष्य को पूरा करना

है। विनोबाजी ११ सितम्बर को बिहार आ रहे हैं। उस दिन एक हजार ग्रामदान और एक लाख रुपये की थैली के साथ उनका स्वागत करने का निश्चय किया गया है।

...यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब राज्य की जनता का सक्रिय सहयोग इस अभियान में मिले। आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो, और हमारे देश में न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था का प्रारंभ हो। यह तभी संभव होगा जब हम इसके निमित्त त्याग करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। इससे देश में एक नये लोकमानस का निर्माण होगा। संत विनोबा के मार्ग-दर्शन में इस ऐतिहासिक कार्य में योगदान करने का हमें अवसर मिला है, यह हर बिहारवाले के लिए परम सौभाग्य की बात है।

...आज हमारे समाज की जो स्थिति है, उसमें परिवर्तन करने के लिए तूफान का वेग और शक्ति चाहिए। इसलिए बिहार की जनता तथा उन सभी लोगों से, जो समाज का नव निर्माण करना चाहते हैं, हम अपील करते हैं कि वे इस ग्रामदान-तूफान में सहयोग दें और उसको सफल बनावें।

बिहार का बड़ा भाग्य है कि उसे जयप्रकाशजी जैसा नेता—यह कहना चाहिए—मार्गदर्शक, सलाहकार और हमदर्द मिला है। वे दो-ढाई घंटे तक सभाओं में बोलते हैं और लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुनते रहते हैं। अगस्त के महीने में उनकी यात्रा पूर्णिया और सहरसा जिले में जब चल रही थी तो इन पंक्तियों के लेखक को भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला था। सर्वोदय प्रकाशन समिति के सहमंत्री श्री रामनन्दन सिंह भी साथ थे।

हमलोग एक ग्रामदानी गाँव में गये हुए थे। जयप्रकाशजी से मिलने के लिए वहां के निवासी जमा हो गये। जयप्रकाशजी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि 'आपके सामने जो सवाल हैं, उनपर चर्चा करें तो ठीक होगा।' एक वयोवृद्ध सज्जन खड़े हुए और बोले—'हमने अपनी जवानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में बितायी और उम्मीद यह थी कि आजादी के बाद कुछ सुख-सुविधा मिलेगी। लेकिन अब स्थिति यह है कि बोतल में चावल मिल रहा है और त्राहि-त्राहि मची हुई है। फिर ऊपर से आप ग्रामदान देने की बातें कहते हैं।'

यह सुनकर जयप्रकाशजी को बहुत दुःख हुआ। कहने लगे कि अगर कोई नयी उम्र का आदमी ऐसी बात कहता तो ज्यादा ताज्जुब नहीं होता,

लेकिन आप जैसे पुराने साथी यह कहें तो तकलीफ किसे नहीं होगी ? उन्होंने समझाया कि स्वराज्य के पुराने सिपाही अगर अपने कर्तव्य का पालन करने में चूकेंगे तो उससे दो नुकसान होंगे। एक तो नौजवानों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और दूसरे, देश को भी नुकसान होगा।

बाद में आम सभा में जयप्रकाशजी ने विस्तारपूर्वक समझाते हुए कहा— ग्रामदान में गांव का दान कोई नहीं मांगता। ग्रामदान का अर्थ 'ग्रामस्य दानम्' (गांव का दान) नहीं, बल्कि 'ग्रामाय दानम्' (गांव के लिए दान) है। दान गांव के लिए चाहिए, और दान का अर्थ खैरात नहीं, बल्कि 'दानम् संविभागः' है। इस तरह ग्रामदान का अर्थ हुआ—गांव के लिए गांव की जमीन तथा अन्य साधनों का सम्यक् वितरण या न्यायपूर्ण बँटवारा। अगर यह बँटवारा नहीं किया जाता है और देश की आर्थिक स्थिति तथा विषमता बरकरार रहती है, तो फिर हिंसा की शक्तियों को रोकना संभव नहीं होगा। जमाने की मांग यह है यह बँटवारा शांति के साथ और खुशी-खुशी हो और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाय।

भूदान आंदोलन में जो जिले आगे रहे हैं, वहाँ ग्रामदान मिलना स्वाभाविक ही है। लेकिन आश्चर्य और आनन्द का विषय यह था कि जो जिले भूदान में पिछड़े हुए थे वे भी ग्रामदान में तेजी से आगे बढ़ने लगे। भागलपुर जिला बहुत संपन्न और समृद्ध जिला है। लेकिन सन् १९५२-५४ और ६४ में बाबा की यात्रा के अलावा वहां और कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। मगर ग्रामदान के काम में वहां बिजली-सी पैदा हो गयी। अगस्त के महीने में जयप्रकाशजी को वहां एक ही बार की यात्रा में २२ ग्रामदान मिले। जैसा कि 'ग्रामोदय' साप्ताहिक के संपादक श्री सच्चिदानन्द ने 'तूफान की संभावनाएं' शीर्षक अपने एक अग्रलेख में लिखा था—

बिहार में अब तूफान की संभावनाएँ प्रकट हो रही हैं और लगता है कि विनोबा के यहाँ आते-आते ग्रामदानों का तांता लग जायगा...अब यह स्पष्ट है कि इस तूफान में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाएँ भी भरी हुई हैं। १९६७ के पूर्व तूफान का नारा देकर विनोबाजी ने समग्र देश के राजनीतिज्ञों को ललकारा है। अगर उन्होंने इस ललकार को समझा तो १९६७ में लोकनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा और सच्ची लोकशाही

की स्थापना देश में हो सकेगी। तूफान की संभावनाएँ प्रकट हो रही हैं। देर केवल इसमें शक्ति लगाने की है।

सारे साथी यह अच्छी तरह जानते थे कि छः महीने में दस हजार ग्रामदान क्रांति का केवल एक प्रारंभिक चरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं। उनके अंदर तो दूसरी प्रेरणा काम कर रही थी। श्री जयप्रकाशजी ने कार्यकर्ताओं की एक सभा में नम्रतापूर्वक, लेकिन दृढ़तापूर्वक कहा था—

बाबा को दस हजार ग्रामदान देकर हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। बिहार में सत्तर-इकहत्तर हजार गाँव हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रदेश का एक-एक गांव ग्रामदान में आवे। हमें अपना मानस इस तरह का बनाना चाहिए, और जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, चैन नहीं लेना चाहिए।

सचमुच उन्होंने चैन नहीं लिया। उनकी ही प्रेरणा से बाबा के बिहार आने तक लगभग आठ सौ गांव ग्रामदान में प्राप्त हो गये। इसके बाद जब बाबा की तूफान-यात्रा शुरू हुई तो उसमें उन्होंने प्राण फूँक दिया।

पाँचवाँ अध्याय

तूफान यात्रा

'...आज भारत खतरे में है। आपको सावधान करना चाहता हूँ, डराना नहीं चाहता। चीन और पाकिस्तान के हमले का डर नहीं है। डर है अन्दर के हमले का। बाहर का तो निमित्त हो जाता है। बाहर के हमले का सामना करना आसान रहता है, लेकिन अंदर के हमले का उतना आसान नहीं। अगर अन्दर ही अन्दर देश में असंतोष बना रहता है तो वह बड़ा खतरनाक साबित होगा।

...इसलिए अब देर की गुंजाइश नहीं है। कानून में कहा जाता है कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'—न्याय में देर करना न्याय से वंचित करना है, उसी तरह मैं कहता हूँ कि—'ग्राम-स्वराज्य डिलेड इज ग्राम-स्वराज्य डिनाइड'—ग्राम-स्वराज्य में देर-करना ग्राम-स्वराज्य से वंचित करना है। इसलिए मुझे जल्दी है। परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं है। भारत के आस-पास आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान में सेना का राज्य है। बर्मा, नेपाल, चीन, इंडोनेशिया, रूस, इजिप्ट आदि का भी यही हाल है। आपके इर्द-गिर्द सेना का राज्य है। आक्रमण से बचने के लिए आपने सेना बढ़ायी है। लेकिन अगर सेना का ही आक्रमण हो तो सेना से आप को कौन बचायेगा? उस समय ये जो मिट्टी के पुतले—जिन्हें मिनिस्टर नाम दिया जाता है—कमजोर साबित होंगे। इसलिए मुझे उतावली है, और रात-दिन यही चिंता है कि देश कैसे सुरक्षित और मजबूत बने। भगवान ऐसी तीव्रता आप सबको दें...।'

इसे वेदना कहें या तीव्रता! यही वह चीज है जिसने बाबा को पवनार में बैठने नहीं दिया और तूफान के हेतु उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। बिहार के लिए निकलते समय २३ अगस्त, १९६५ को उन्होंने वर्धा शहर की आमसभा में कहा—'मैं महायात्रा पर जा रहा हूँ। आपको चिन्ता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मैं लौटूँगा या नहीं या कब लौटूँगा। बल्कि वर्धा, को जो भारत की हृदय-धानी है, सर्वोदय-धानी बनाना है। जो तूफान बिहार में होने

जा रहा है, वह बढ़-चढ़ कर यहाँ भी हो, और गाँव-गाँव में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना हो'।

मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों से होते हुए (यह यात्रा मोटर से हुई), बाबा ७ सितम्बर को काशी पहुँचे। वहाँ सर्व सेवा संघ के प्रधान केन्द्र में चार दिन रहे और उसके बाद (जैसा हम पहले अध्याय में कह चुके हैं) ११ सितम्बर, १९६५ को सबेरे तूफान एक्सप्रेस से पटना पहुँचे। यहाँ वे तीन दिन रहे। पटना के नागरिकों की एक आम सभा के अलावा उनकी छः सभाएँ और हुई, जिनमें उन्होंने युवकों, साहित्यिकों, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, खादी कार्यकर्ताओं, सर्वोदय मित्रों, अधिकारियों और अन्य लोगों से भेंट की। १४ सितम्बर को भी वे पटना जिले में ही रहे। उस दिन का पड़ाव मोकामा में था।

१५ सितम्बर से प्रदेश-व्यापी दौरा शुरू हो गया। बाबा रोज सबेरे छः बजे अगले पड़ाव के लिए निकल जाते थे। यात्रा की दूरी ५० मील के आस-पास रहती थी। करीब ८ बजे तक पड़ाव पर पहुँच जाते थे, जहाँ स्वागत-सभा का कार्यक्रम होता था। ११ बजे स्थानीय नागरिकों से भेंट करते थे। फिर दो बजे कार्यकर्ताओं से प्रश्नोत्तर और शंका-समाधान चलता था। शाम के चार बजे आम सभा होती थी। सभा के शुरू में बाबा का प्रवचन होता था और आखिर में पाँच मिनट मौन प्रार्थना होती थी। ग्रामदान अर्पण का कार्यक्रम भी सभा में ही होता था।

पहला हफ्ता मुंगेर जिले में बीता। आचार्य राममूर्तिजी साथ रहे। उनका ज्यादातर समय शाम की सभा की तैयारी और यात्रा-टोली की चिंता में बीतता था। रात को सात बजे बाबा के सो जाने के बाद राममूर्ति भाई अगले पड़ाव के लिए निकल जाते थे। कई जगह देखा कि सुबह को जब हमलोग पहुँचे तो वे जलपान की तैयारी कर रहे हैं या फिर थोड़ी देर बाद रसोई में सब्जी काट रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती देवी तथा उनकी तीनों पुत्रियाँ—श्रीमती गायत्री सिंह, श्रीमती अनुराधा देवी और सुश्री उषा—रोटी बना रही हैं या दूसरा काम कर रही हैं। सर्वश्री ब्रजमोहन शर्मा, भाई गोखले, निर्मलचन्द्र और खादीग्राम के कई साथी भी आठों दिन यात्रा में साथ रहे।

मुंगेर जिले के आखिरी पड़ाव पर बाबा ने यह कहते हुए कि बिहार में हमको ११ दिन पूरे हो गये हैं, कार्यकर्ताओं का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकृष्ट किया—

(१) साहित्य-प्रचार के लिए स्वतंत्र आयोजन करना चाहिए। स्कूल के लड़कों की टोलियाँ घर-घर जानी चाहिए। गीता-प्रवचन, ग्रामदान और स्त्री-शक्ति जैसी किताबें हर पढ़ने वाले के पास पहुँचनी चाहिए।

(२) सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए ग्रामदान-प्राप्ति के लिए घूमें।

(३) ज्यादा-से-ज्यादा पीले साफे वाले होने चाहिए और शांति सेना का विचार लोगों को समझाना चाहिए।

(४) जहाँ ग्रामदान हो जाय वहाँ खादी लेकर खादीवाले फौरन पहुँच जायँ, कोई देर न हो; और जहाँ खादी चलती है, वहाँ ग्रामदान-प्राप्ति की कोशिश हो।

दोपहर में मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलक्टर, श्री शंकर शरण आये। उन्होंने बाबा से तबियत के बारे में पूछा और कहा कि सरकार का हुक्म है कि आपकी डाक्टरी जाँच रोज होती रहे।

बाबा ने बताया कि 'मेरा स्वास्थ्य ठीक है।'

शंकर बाबू कुछ आश्चर्य के साथ देखने लगे। जरा देर बाद बाबा ने कहा—'मैं भोगी भी हूँ, रोगी भी हूँ—अपना देख लेता हूँ। सब फ्रंट संभाल कर चलता हूँ।'

यह सुनकर सब हंसने लगे।

उस दिन शाम को ही (बिहार भूदान कमिटी के अध्यक्ष श्री गौरी-शंकरशरण सिंह बाबा से मिलने आ गये। कल से उनके गया जिले में यात्रा चलेगी। उनसे बातें करते हुए बाबा ने कहा—अपना काम 'वार फुटिंग' (युद्ध-स्तर) पर होना चाहिए। ग्रामदान की रिपोर्ट टेलिग्राम से पटना जाय और फिर वहां से सबके पास भेजी जाय। इस तरह काम होगा तो तूफान एक शक्ल लेगा।

गया जिले का पहला पड़ाव सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा में था। श्री जयप्रकाशजी और दीदी प्रभावती चार दिन पहले से ही सब व्यवस्था

करने के लिए यहां आ गये थे। बड़े सुन्दर ढंग से सारा इंतजाम किया गया था। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी और कुछ पूछने या कहने की भी जरूरत नहीं होती थी। आश्रम पहुँचते ही मंत्री श्री त्रिपुरारिशरण तथा अन्य मित्रों ने बाबा का स्वागत किया।

वहां पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम हो गया है। इसका हवाला देते हुए बाबा ने कहा कि असली युद्ध-विराम तो अपने मन के अन्दर होना चाहिए; यह मन ही सारे युद्ध की जड़ है।

दूसरे दिन वर्षा की वजह से सबेरे ६ बजे निकलने की बजाय दोपहर को १२॥ बजे निकल सके। आश्रम के निकट जो सड़क है वह पानी में डूबी हुई थी। जयप्रकाशजी खुद उसे देखने गये कि शायद कोई सूरत निकले। लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना नामुमकिन था। इन्तजार करते-करते दोपहर हो गया। ख्याल यह था कि कुछ दूर जाने बाद कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ दूर चलकर जब कादिरगंज पहुँचे, तो वहां लोगों ने बताया कि आगे कंधे तक पानी है। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़े। पानी कम हो चला था। हमारी जीप आगे बढ़ी। उसके बाद गौरी बाबू की स्टेशन-वैगन भी आ गयी। लेकिन बाबा की गाड़ी का निकलना मुश्किल था। उसके ड्राइवर श्री मुरली मनोहर ने कहा कि पानी और कम हो तभी आगे चलेंगे। पानी कम होने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी।

लेकिन हम लोग नवादा भी नहीं पहुँचे थे कि फिर वही मुसीबत सामने आ गयी। हमारी जीप और स्टेशन-वैगन उस पार, बाबा की गाड़ी इस पार। इसी बीच इन्तजार करते-करते जब सबेरे के आठ से दोपहर के डेढ़ बज गये, तो गया के मित्रों ने द्वारका भाई को खबर लेने भेजा। सारी कहानी सुनने पर वे बोले अब क्या किया जाय, इसके आगे तो कोई चारा ही नहीं है। इन कठिनाइयों के बावजूद शाम को पौने छः बजे बाबा गया पहुँचे। टाउन हाल में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां स्वागत समिति के अध्यक्ष और बिहार के शिक्षामंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने कहा—"हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी इस पुनीत कार्य में आपको सहयोग देंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रामदान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।" बाबा ने कहा—"तूफान में परिंदे ही नहीं, पत्ते भी उड़ते हैं। इसमें अहिंसा से मसले हल करने के नये तरीके का शोध है। हमको यह दिखाना है कि क्या अहिंसा

से आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है ? यह पराक्रम अहिंसा को करके दिखलाना है। इस वास्ते तूफान का शब्द निकला। गया जिले में पूरा काम होना चाहिए। थोड़ा या ढीला काम नहीं। इसका नाम गया है, गया-बीता नहीं।"

गया नगरी में दो दिन निवास था। जिला सर्वोदय मंडल के संयोजक, दिवाकर भाई ने दो दिन का कार्यक्रम फिर एक ही दिन में 'फिट' किया। ११ बजे बाबा गया कालेज में गये, जहां मगध विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री जब्बार हुसैन ने उनका स्वागत किया। बाबा ने कहा : "विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने की शक्ति अपने अन्दर पैदा करनी चाहिए। अध्ययन रोज चला करे, इन्द्रियों पर काबू और नींद पर नियंत्रण हो। सहूलियत का जीवन विद्या के अनुकूल नहीं पड़ता। मेरी आपसे सिफारिश है कि आप अपने को समर्थ बनायें। विद्या स्कूल या कालेज में पूरी नहीं होती, उसको पूरा करने के लिए अपने आप में सामर्थ्य पैदा करें।"

तीसरे पहर पंचायत-परिषद् के कार्यकर्ता बाबा से मिले। बिहार पंचायत परिषद् के उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह त्यागी ने कहा कि 'इस समय पंचायतें उद्‌बुद्ध हो रही हैं; आशा है कि ग्रामदान में वे पूरा हाथ बटायेंगी।' बाबा ने कहा कि 'पंचायतों को सेवा-संस्था बनाने का रास्ता ग्रामदान खोल देता है।' श्री जयप्रकाशजी भी बैठे हुए थे। उन्होंने पंचायत परिषद् के मित्रों से पूछा कि आप कितने ग्रामदान कराइयेगा ? जवाब मिला कि कोशिश करेंगे।

गया जिले की यात्रा के दौरान दो दिन हमारा पड़ाव समन्वय आश्रम में रहा। श्री द्वारको भाई सुन्दरानी और साथियों ने बड़ी लगन से सारी व्यवस्था की थी। विजय-पर्व वहीं बीता। बाबा की पहली सभा बोधि-वृक्ष के नीचे प्रातः काल हुई। बाबा ने कहा कि यह स्थान बोलने का नहीं है; ध्यान, चिंतन और मनन करने का है। समन्वय आश्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा—"वह आप सबकी सेवा के लिए है। जो भी यहां आयें, वे रह सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यहां खुदाई करते समय भगवान बुद्ध की एक बड़ी सुन्दर मूर्ति मिली थी। इस आश्रम के लिए इससे बढ़कर भगवान बुद्ध का प्रसाद और क्या हो सकता है ? दूसरे, हमने गौतम बुद्ध के वचनों का 'धम्मपद' के नाम से संकलन किया है। हम चाहते हैं कि यहां उसका अच्छा अध्ययन हो और पूरे एशिया के देशों की भाषाओं में उसका तर्जुमा हो।"

दशहरे के दिन समन्वय आश्रम में श्री काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में समन्वय-पर्व मनाया गया। बिहार राज्य गांधी निधि के मंत्री श्री सरयू प्रसाद की इसमें विशेष रुचि है। इस पर्व के पीछे कल्पना यह है कि सब धर्मों के लोग मिलें, सत्संग करें और विचार-विनिमय भी हो।

बाबा ने अपने प्रवचन में कहा—"आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ही मंगल-दिन है ; क्योंकि एक नवीनतम सद्‌विचार का आरंभ हो रहा है। विज्ञान ने चेतावनी दी है कि सब धर्मों को सावधान हो जाना चाहिए। विज्ञान उनसे कह रहा है कि तुम एक हो जाओ या मिट जाओ। आज की परिस्थिति में पुराने ढंग से काम नहीं चलेगा। सत्य, प्रेम, करुणा की बात दुनिया भर में चली। यह विचार बहुत पुराना है। लेकिन समन्वय भारत का अपना विचार है। यह दुनिया के लिए भारत की विशेष देन है। अब जमाना आया है कि भिन्न-भिन्न धर्मों का समन्वय होना चाहिए।"

गया जिले का आखिरी पड़ाव रजौली में था। यह गौरी बाबू का अपना गांव है। वह खुद ही यात्रा-दल की आवभगत में लगे थे, और सबको बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। शाम की सभा में बाबा ने मांग की कि 'रजौली जैसा गांव तो ग्रामदान में जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसका असर दूर-दूर तक पड़ेगा।'

इसके बाद का हफ्ता छोटानागपुर में बीता। पलामू जिले में श्री कर्मवीर प्रसाद सिंह और श्री परमेश्वरी दत्त झा तथा हजारीबाग में श्री श्याम प्रकाश सिंह निष्ठापूर्वक जुटे हुए थे। रांची में हमलोग आदिम जाति सेवा मंडल के (जिसके मंत्री श्री नारायणजी हैं) मेहमान रहे। रांची में ही बिहार के राज्यपाल श्री अनन्तशयनम आयंगर बाबा से मिलने पड़ाव पर आये। शाम की सभा में भी वह शरीक हुए। रात को श्री गौरी बाबू और श्री कृष्णराज भाई राज्यपाल से मिलने गये और उन्हें सर्वोदय साहित्य भेंट किया।

छोटानागपुर के बाद एक पड़ाव मुंगेर जिले के चकाई नामक गाँव में था। वहां से देवघर जाते हुए बाबा श्री महावीर प्रसादजी पोद्दार के प्राकृतिक चिकित्सालय में कुछ देर तक ठहरे। वहाँ दस मिनट तक प्रवचन भी दिया। उन्होंने कहा—"बहुत खुशी की बात है कि इस पुण्य-पावन स्थान में आने का मौका मिला। यहाँ बीमारों की सेवा प्रकृति के सम्पर्क से चलती है, प्रकृति माता के आधार पर चलती है। इसलिए इस सेवा की

पावनता और बढ़ती है। कभी इधर के लोग मिलते हैं तो उनको उपचार के लिए जसीडीह का नाम सुझाता हूँ। यह स्थान मेरे ध्यान में है।"

देवघर में ११ बजे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विनोदानन्द झा बाबा से मिलने आये। वे बहुत निष्ठा के साथ ग्रामदान के काम में लगे थे और स्वयं गांव-गांव जाकर इसका अलख जगाते थे। बाबा से उन्होंने कहा कि 'मुझे आशानुरूप सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ; लोगों में उत्साह है और ठीक काम करके उन्हें दिखाना होगा।' बाबा ने मुस्करा कर कहा कि 'अगर यह जिला ग्रामदान हो जाये तो इसका श्रेय मालूम है,किसको देना होगा ?' बाबा ने खुद ही जवाब दिया—श्री कामराज* को! यह सुनकर हम सब हँस पड़े।

अपने प्रवचन में बाबा ने कहा—"देवघर तो एक बहुत बड़ा तीर्थस्थान हमारे देश का है। नाम भी इसका देवघर है। जाहिर है कि यहाँ का हर घरवाला अपने घर को अपना घर नहीं मानता, भगवान का घर मानता है —'देवघर'। और यही बात समझाता हुआ मैं देश में १३-१४ साल से घूम रहा हूँ कि भाई, जो गाँव की जमीन है वह भगवान की है, किसीकी मालकियत नहीं हो सकती। हर गाँव देव-गाँव है, हर घर देव-घर है, हर राष्ट्र देव-राष्ट्र है। मैं आशा करता हूँ कि संथाल परगना जिला, जो आदिवासी और पिछड़ी हुई जमातों का जिला माना जाता है, देव-जिला हो जायगा।"

संथाल परगना के सुप्रसिद्ध सेवक और भक्त-हृदय श्री मोतीलाल केजरीवाल जिले की यात्रा में साथ रहे। जिला सर्वोदय मंडल के संयोजक श्री लक्ष्मीनारायण राय और अन्य मित्र तो थे ही।

दूसरे दिन दो पड़ाव हुए—सबेरे सारठ में और फिर उसके बाद घोड़मारा में। वहाँ दोपहर को श्री बैद्यनाथ बाबू और ध्वजा बाबू बाबा से मिलने आये। बाबा ने कहा कि हमको बिहार में आये एक महीना हो गया। रोज दस ग्रामदान का औसत इस महीने में पड़ा। इस गति से तो १० हजार ग्रामदान के लिए तीन साल लगेंगे। इसके माने हैं कि बादल ही आये हैं, तूफान नहीं। तूफान को जगाना चाहिए।" इस पर बैद्यनाथ बाबू ने कहा कि

* श्री विनोदानंद झा कामराज-योजना के अंतर्गत बिहार के मंत्रि-पद से हटकर जनता के बीच आये थे। बाबा का संकेत इसी ओर है।

"इस महीने में तो ज्यादा काम हो नहीं सका, क्योंकि ११ सितम्बर को पटना में लगभग ८०० ग्रामदान भेंट किये ही गये थे। उसके बाद काम करने का समय नहीं मिला। लेकिन अब एक महीना पूरा बीत गया है और जगह-जगह काम हो रहा है। भगवान ने चाहा तो दूसरे महीने के अन्त में आपको कहीं ज्यादा अच्छा काम दिखलायी पड़ेगा।"

जब सारठ से बाबा घोड़मारा के लिए निकलने लगे तो वहां बाबा की मोटर में आगे के हिस्से में एक गोला फूलों के साथ संजोकर लगा दिया गया। उसमें सारठ में प्राप्त चौदह ग्रामदानी गाँवों के नाम की पर्चियाँ भी थीं। मोटर तेज गति से घोड़मारा आयी। उस गोले के वे पर्चे हवा में फर-फर उड़ते रहे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक भी फटा नहीं। बाबा ने इस चीज का हवाला देते हुए शाम को अपने प्रार्थना-प्रवचन में कहा: "इन पर्चियों के न फटने पर मेरे ध्यान में आया कि ये जो ग्रामदान बने हैं, वे टूटेंगे नहीं। उसका मतलब मैंने लगाया कि ये ग्रामदान पक्के हैं। मुझे तो ऐसी चीजों से विलक्षण दर्शन होता है। वह मुझे बल देता है।"

इस जिले का सदर मुकाम दुमका में है। वहाँ दोपहर की गोष्ठी में एक भाई ने पूछा कि आप अगर विदेश जायें तो सर्वोदय का प्रचार अच्छा होगा। बाबा ने कहा कि 'इनका मतलब यह है कि बाबा चाहे परदेश जायँ या परलोक जायँ, लेकिन बिहार को इनसे पीछा छूट जाय! यह सुनकर सभी हँस पड़े।

इस क्षेत्र के संसद-सदस्य श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका ने आश्वासन दिया कि ग्रामदानी गाँवों को व्यापारी मदद देंगे। प्रभुदयालजी ७४ वर्ष के नवयुवक जैसे हैं और पिछले ५५-६० साल से सार्वजनिक सेवा में लगे हैं। देश के अनेक शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं से आपका संबंध है। प्राकृतिक चिकित्सा में आपकी विशेष रुचि है। बाबा की यात्रा में वह संथाल परगना के आठो पड़ाव पर साथ रहे।

दोपहर की सभा के पहले जिले के सब कार्यकर्ता जमा हुए और चार महीने के अन्दर डेढ़ हजार ग्रामदान प्राप्त करने का निश्चय किया। बाबा को उसकी सूचना दी गयी। इसपर वे बोले कि यह ठीक है, लेकिन यह नाश्ता ही है। इस पर मोती बाबू ने कहा कि 'आप हमें एक महीने का समय इस जिले में दीजिये तो जिलादान-रूपी भोजन और तस्मय आपको खिलायेंगे।' बाबा हंसते हुए बोले कि 'तब तो हम नाश्ते पर ही संतोष करेंगे!'

इसके बाद भागलपुर जिला। शुरू में वहाँ भूदान का काम अच्छा हुआ था, लेकिन फिर कुछ सुस्ती आ गयी और ऐसा लगता था कि ग्रामदान की दृष्टि से शायद यह पिछड़ा हुआ रहेगा। सौभाग्य से यहाँ के नवयुवकों में स्फूर्ति आयी और वे लग गये। उनके बीच एक हैं प्रोफेसर रामजी सिंह जो भागलपुर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक हैं। यूनिवर्सिटी में कुशलतापूर्वक वे अपना काम करते हैं और क्या शिक्षकों, क्या छात्रों, सभी के आदर के पात्र हैं। जितना समय भी वे बचा पाते हैं, वह सब का सब इस क्रांति में लगा रहे हैं। नतीजा यह है कि तरुणों की एक अच्छी सेना भागलपुर जिले में खड़ी हो गयी है। साथ ही खादी-ग्रामोद्योग संघ के मित्रों का भी पूरा सहयोग है।

भागलपुर नगर में १६ अक्तूबर को पड़ाव था। उस दिन बाबा से मिलने के लिए डा० सुशीला नायर दिल्ली से आयीं और श्री नारायण देसाई काशी से। ११ बजे प्रो० रामजी सिंह भागलपुर के पाँच प्रमुख व्यक्तियों—श्री भागवत झा आजाद एम० पी०, श्री जागेश्वर मंडल, अध्यक्ष, जिला बोर्ड, श्री कीर्तिनारायण सिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमिटी, श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह, राज्य परिवहन मंत्री और श्री सियाराम सिंह—के साथ बाबा के पास पहुँचे और कहा कि अगर ये पाँचों व्यक्ति थोड़ी दिलचस्पी लें तो जिले में काम बहुत बढ़ सकता है।

उनसे बाबा ने कहा : "आपको यह सोचना होगा कि अपने बाद आप किसके हाथ में सारी चीज सौंपने वाले हैं। आप—जिनका गांधीजी के साथ सीधा संबंध कुछ रहा है—किसके हाथ में यह देश छोड़ने वाले हैं? किसी तरह अपनी मिनिस्ट्री बनी रहे, यह सवाल नहीं है। दूसरे लोग ज्यादा लायक नहीं हैं तो जनता नालायकों में से ही चुन लेगी—कुछ लोगों को कम नालायक समझ कर। जिन्हें लोगों का आदर प्राप्त हो, उनका विश्वास हासिल हो और जाने के बाद जिनके हाथ में आप जनता को सौंपते हैं, उन्हें वह मानती हो—वे कैसे आगे आवें सवाल तो यह है।...आज साम्यवाद और सम्प्रदायवाद बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है। ऐसी हालत में भारत के नये लोग किधर झुकेंगे? पुराने लोगों पर जिम्मेवारी है कि जितना हो सके करते जायं। इसलिए सवाल यह है कि आगे भारत को हम किसके हाथ में छोड़कर जाते हैं। इधर से विज्ञान का तकाजा है, उधर से मृत्यु का। इसलिए तीव्रता के साथ सोचना चाहिए।"

भागलपुर से शाम को हमलोग सुलतानगंज चले गये और अगले दिन नौगछिया। वहाँ मौलाना अबुल लैस (सदर, जमायत इस्लामी, दिल्ली) बाबा से मिले। उन्होंने पूछा कि 'सर्वोदय के बुनियादी विचार क्या हैं?' बाबा ने जवाब दिया : 'तीन हैं—सत्य यानी हक, प्रेम यानी मुहब्बत और करुणा यानी रहम।' मौलाना साहब का एक सवाल यह भी था कि 'हम आपकी तहरीक में क्या मदद कर सकते हैं?' बाबा ने कहा : 'एक ही बात करनी है। वह यह कि इस तहरीक को आपकी बजाय मेरी समझें। इतना कर लेने पर आपको खुद मालूम हो जायगा कि आपको क्या करना है।' मौलाना साहब को बाबा से मिलकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि 'बाबाजी बहुत-सी ऐसी बातें फरमाते हैं जो हमारे दिल की आवाज है।'

बाबा २१ अक्तूबर को सबेरे ६ बजे नौगछिया से निकले। कोई १२ मील तय करने के बाद कोशी नदी के किनारे आये और उसे जहाज से पार किया। वहाँ से कुछ दूर पर कुरसेला गांव में पूर्णिया जिले की ओर से श्री वैद्यनाथ बाबू ने स्वागत किया। आगे रास्ते में जगह-जगह स्वागत-द्वार बने हुए थे। पौने नौ बजे बाबा पूर्णिया नगर में पहुँचे। बाबा ने वहां कहा कि 'यह जिला हमारा खास चुना हुआ जिला है और इसको ग्रामदानी जिला बनाना चाहिए।'

इस जिले की यात्रा में वैद्यनाथ बाबू के अलावा, सर्वश्री अनिरुद्ध प्र० सिंह, संयोजक, जिला सर्वोदय मंडल, बिन्देश्वरी प्र० सिंह 'विन्दु', मंत्री, सर्वोदय आश्रम, पूर्णिया, रामेश्वर जयसवाल और अन्य मित्र साथ थे।

शाम को पूर्णिया की आम सभा में बाबा ने इस बात पर दुःख जाहिर किया कि पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, उनमें पार्टी वाले घुसपैठ करते हैं। उन्होंने कहा : "पार्टीवालों का तरीका बन गया है कि जहाँ कहीं अच्छा काम होता हो, वहाँ घुसपैठ करो और उसे बिगाड़ दो। यह घुसपैठ जोरों से चल रही है। इसमें कुछ है 'घुस', कुछ 'पैठ'। 'घुस' याने लोगों की इच्छा के मुताबिक घुस जाना और 'पैठ' यानी ऐसी कुशलता से अपने लिए जगह बना लेना कि लोग स्वागत करें। कश्मीर में घुसपैठ बाहर की थी, यह घुसपैठ अन्दर की है। सेवा के स्थानों को इन्होंने सत्ता का स्थान मान लिया है। इससे अधिक बेवकूफी क्या हो सकती है? इससे देश का बहुत नुकसान होता है। ग्रामदान इन सब झगड़ों को मिटाने वाला है।"

अगले दिन का पड़ाव किशनगंज में था। रास्ते में जगह-जगह पर पलटन दिखलायी पड़ी। पटसन के खेत भी दीखे। सीमा-प्रदेश होते हुए भी यहाँ भयानक गरीबी है। किशनगंज पहुँचे तो वहां श्री अनाथकांत बसु और स्वामी सत्यानंदजी मौजूद थे।

यहां व्यथित हृदय से बाबा ने कहा : "यह सही है कि सेना बाहर के हमले से बचाने के काम आती है। लेकिन कल अगर सेना का ही हमला हो जाय तो उससे कौन बचायेगा? बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, मिश्र, चीन, रूस आदि में क्या हुआ? देश की सेना से देश को कौन बचायेगा? थोड़ी सी अक्ल होती तो हम यह सारा हिस्सा ग्रामदान में ले आते और शांति सेना खड़ी करते।"

इतनी देर में एक पतला-दुबला आदमी आगे बढ़ा और बाबा के पैर छूने लगा। उसे लोगों ने हटाया और दूर ढकेलने की कोशिश की। बाबा ने कहा कि इसे क्यों तंग करते हो। फिर बोले : "कितना निर्बल उसका शरीर है! उसमें कोई जान ही नहीं जान पड़ती है। सीमा-क्षेत्र में अगर ऐसे ही लोग रहेंगे तो इसकी क्या हालत होगी? इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामदान हो ताकि सभी लोग सुखी हों, आपस के भेदभाव हटें और सुरक्षा का दूसरा मोर्चा खड़ा हो—मजबूत वैचारिक मोर्चा। फिर कोई सेना भी आपको नहीं हटा सकती।"

पूर्णिया जिले का तीसरा पड़ाव कटिहार में था। वहाँ बाबा ने प्रखंडदान की मांग जाहिर की और कहा कि अब इसके आगे प्रखंडदान ही चलना चाहिए।

दिवाली के दिन हमारा निवास श्री वैद्यनाथ बाबू के सर्वोदय आश्रम, रानीपतरा में था। आश्रम के अध्यक्ष श्री सरयू बाबू, रामेश्वर बाबू (व्यवस्थापक) और आश्रम के सारे कार्यकर्ता जुटे थे। दोपहर को साढ़े ग्यारह बजे आश्रम के पुस्तकालय के अंतर्गत 'श्रीकृष्ण सदन' का उद्घाटन-समारोह संपन्न हुआ। उसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्य मंत्री श्री कृष्णवल्लभ सहाय ने की। अपने उद्घाटन-भाषण में बाबा ने कहा "श्रीबाबू राजनीति में व्यस्त रहते थे। कभी ग्रस्त भी हो जाते थे, लेकिन कुल मिलाकर वे मस्त रहते थे। उनका अध्ययन और पूजा-पाठ रोज बड़ी फजर चलता था। स्वाध्याय से जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है।"

श्री कृष्णवल्लभ बाबू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 'अध्ययन उसी तरह जरूरी है, जैसे रेलगाड़ी के लिए इंजन जरूरी है।' बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' ने कहा कि 'स्वाध्याय का मतलब है अपने को पढ़ना। चिंतन-मनन का प्रभाव रक्त पर भी पड़ता है।'

रानीपतरा से जाते समय करीब दो बजे मुख्यमंत्रीजी बाबा से मिलने आये। उन्होंने बताया कि ग्रामदान का आर्डिनेन्स प्रसारित हो गया है और जल्दी ही उसके नियम आदि भी बन जायेंगे। फिर बोले कि 'बाबा जब भी बुलायेंगे मैं चला आऊँगा।'

२७ अक्तूबर को जब बाबा रुपौली से बनमनखी जा रहे थे तो रास्ते में एक करुण दृश्य दिखलायी पड़ा। एक माता सर पर पटसन का बोझ लिए हुए थी और अपने बच्चे की उंगली पकड़े जा रही थी। पड़ाव पर पहुँचकर इसका हवाला देते हुए बाबा ने कहा : "इस इलाके में पटसन पैदा कर और गाड़ियों में लाद-लाद कर बाहर भेजते हैं। इस पटसन से शहर वालों की भूख नहीं मिटेगी। उन्हें अन्न चाहिए और देहात वालों को भी अन्न चाहिए। पैसा तो लफंगा है और उसका भाव बदलता रहता है। अगर अनाज पैदा करना है तो ये सब तरीके बदलने होंगे। आपका कल्याण न 'जूट' से होगा और न 'झूठ' से होगा। राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या सबको खाना पहुँचाना है, और यह तभी होगा, जब मालिक, मजदूर और महाजन में परस्पर सद्भावना और विश्वास पैदा हो। इसीलिए ग्रामदान है।"

बाबा ने आगे कहा : "ग्रामदान ऐसी चीज नहीं जो प्रेम-चिह्न के तौर पर दी जाय। वह तो आर्थिक और सामाजिक जीवन को बदलने की योजना है। आर्थिक विषमता घटनी चाहिए और सामाजिक विषमता मिटनी चाहिए। आध्यात्मिक मूल्य सामने आवें, परस्पर सहकार बढ़े, और यह तुरन्त होना चाहिए। जो इसकी तीव्रता महसूस करेंगे वे इसमें लग जायेंगे और बिना इसको पूरा किये चैन नहीं लेंगे।"

कुरसेला पड़ाव पर कार्यकर्ता-सभा में किसी भाई ने लिखकर पूछा कि अगर ग्रामदान सफल नहीं होता है तो क्या होगा?' बाबा ने मुस्कराते हुए कहा : "बड़ा अजीव सवाल है। आप शादी करते हैं तो यह नहीं सोचते कि शादी सफल नहीं होगी तो फिर क्या होगा। खुद मुझे इस विषय में

काफी शंका आयी कि पता नहीं कि वह चांडालिनी होगी या क्या होगी, इसलिए मैंने डर के मारे शादी नहीं की ! जहां कि मैं डरता रहा, वहां आप हिम्मत करते हैं ! फिर इतने हिम्मतवाले होकर, इस तरह का सवाल क्यों करते हैं ?"

पूर्णिया के बाद सहरसा। इस जिले में चार दिन का कार्यक्रम था। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मिश्र और बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष श्री गोपालजी झा शास्त्री चारों दिन साथ रहे। बाबा ने कहा : "इस जिले में तो 'डबल इंजन है—मिश्रजी और शास्त्रीजी। हम आशा करते हैं कि यह जिला नम्बर एक में जायगा।" श्री महेन्द्र नारायण सिंह और श्री टेकनारायणजी यहां ग्रामदान के कार्य में जोरों से लगे थे।

कर्जन बाजार की सभा में बाबा ने कहा : "सरकार को शराब की आमदनी का चस्का लग गया है। ऐसी हालत में देश आगे कैसे बढ़ेगा ? महत्त्व का सवाल यह है कि क्या अफीम-मुक्त चीन का मुकाबला शराब-युक्त भारत कर सकता है ? देश में शराब बढ़ रही है, सिनेमा बढ़ रहा है, बीड़ी-सिगरेट बढ़ रही है, अश्लील साहित्य बढ़ रहा है। कांग्रेसवाले अपनी ही सरकार होते हुए लाचारी महसूस करते हैं। अठारह साल तक सरकार जैसे सोयी हुई थी और अब वह जागी है। हमारे प्रधान मंत्री अब कह रहे हैं : 'जय किसान !' बड़ी कृपा है कि १८ साल बाद भारत का किसान याद आया। अभी तक चलता था—'जय कारखाना, हार किसान।' अब सूझा है—'जय किसान।' क्यों सूझा ? अमरीका ने नाक दबायी। नाक दबने पर मुंह खुलता है। अब समझ में आया है कि लड़ाई की हालत में अनाज मंगाना मुश्किल हो जायगा और अनाज मंगाना ठीक भी नहीं है। बड़े-बड़े कारखाने और बड़े-बड़े डाम बनाये गये, लेकिन कुएं तो बने नहीं। हर खेत में अगर १० एकड़ जमीन के पीछे एक कुंआ बनता तो आज सारे भारत में खाने का इन्तजाम होता।"

फिर बोले : "बेचारा किसान आज कैसे टिकेगा ? उसके खिलाफ कितनी ही ताकतें खड़ी हैं। साहूकार का, व्यापारी का, वकील का, पुलिस का, सरकारी अधिकारी का मुकाबला उसे करना है। इन सबका मुकाबला अगर वह अलग-अलग करेगा तो कैसे टिकेगा ? इसलिए किसानों को एक होना पड़ेगा, तभी उसकी जय होगी। इसीलिए ग्रामदान जरूरी है।"

सहरसा के बाद भागलपुर जिले में एक दिन और रहे। बिहपुर में पड़ाव था कार्यकर्ता-सभा में सवाल पूछा गया कि 'क्या संख्या बढ़ने से गुण की हानि नहीं होती है?' बाबा ने कहा : "यह विरोध मानना बड़ा भारी भ्रम है। यह मत डरो कि संख्या बढ़ेगी तो हम बिगड़ जायेंगे। यह उम्मीद रखनी चाहिए कि सज्जनता लगातार बढ़ती जायगी तो सारा समाज सात्विक बनेगा। लेकिन आप बिलकुल हारे हुए लोग हैं। आपने पराजय की मनोवृत्ति बना ली है, और इसलिए घबड़ा जाते हैं। यह हिन्दुस्तान की हारी हुई सज्जनता है। इसी वजह से तो हिन्दुस्तान में सज्जनों का मेल सज्जनों से नहीं बैठता। अलग-अलग पंथ हो गये हैं—यह शंकर-पंथी है, वह रामानुज पंथी है; यह कबीर पंथी है, और वह नानक-पंथी है। इनका इनसे नहीं बनेगा, उनका उनसे नहीं बनेगा। मालूम नहीं काहे के सज्जन कहलाते हैं।"

गुरुवार ४ नवम्बर को बाबा ने दरभंगा जिले में प्रवेश किया। पहला पड़ाव रोसड़ा में था, जहाँ ८ मई १९५८ को श्रद्धेय लक्ष्मी बाबू ने शरीर छोड़ा था। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा ने कहा— "**महात्मा लक्ष्मी बाबू करुणा के सागर थे। उनकी विशेषता थी कि उनसे कोई डरता नहीं था। अभय-दान वही है, जिससे सामनेवाला मनुष्य निर्भय हो जाय। इस अर्थ में लक्ष्मी बाबू पूरे निर्भय थे। भगवान की आज्ञा के अनुसार वह गये—बहुत ही धन्य है उनका जीवन! हम चाहते हैं कि खादीवाले सारे गाँव ग्रामदान में आ जायं और यह दरभंगा का पूरा जिला ग्रामदान हो जाय। महात्मा लक्ष्मी बाबू की स्मृति में यह सबसे अच्छा स्मारक होगा।**"

दरभंगा जिले में समस्तीपुर की सार्वजनिक सभा बहुत शानदार रही। इसका आयोजन श्री रामश्रेष्ठ राय, व्यवस्थापक, लक्ष्मीनारायणपुरी (पूसा रोड) ने किया था। समस्तीपुर का पटेल मैदान खचाखच भरा हुआ था। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा—"जमीन की मालकियत को मैं हराम मानता हूँ। ग्रामदान में उसका विसर्जन होता है। ग्रामदानी गांवों की जो ग्राम-सभा बनेगी, उसके कोष में महाजनों को ४०वां हिस्सा देना चाहिए और कर्ज भी देना चाहिए। सूद लेने की बजाय वे छः फीसदी घटाव कबूल करें और एक रुपया देकर ८४) पैसे वापस लें। तेरह साल की पदयात्रा के दौरान भारत का जो मुझे अनुभव हुआ है, उसके बल पर कहना चाहता हूँ कि मुझे आशा

है, मेरी इस मांग को भारत का हर महाजन कबूल करेगा। इससे बढ़कर दान और धर्म हो ही नहीं सकता।"

६ नवम्बर को समस्तीपुर से बहेड़ा जाने के रास्ते में स्वागत के लिए जगह-जगह भीड़ होने के कारण लगभग पैंतीस मील का फासला सवा तीन घंटे में तय हो पाया। यहाँ पहुँचने पर स्वागताध्यक्ष श्री रमापति चौधरी, सह-मंत्री, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ ने कहा : "आप ग्रामदान को 'डिफेन्स मेजर' (defence measure) कहते हैं, लेकिन हमको तो यह 'मेजर डिफेन्स' (major defence) मालूम होता है।" बाबा को यह शब्द बहुत पसन्द आया और उन्होंने कहा : "आपकी बात सही है क्योंकि असली डिफेन्स तो गांव का करना है। सीमा की रक्षा तो गौण चीज है। अब आपको प्रखंडदान में लग जाना चाहिए।"

बहेड़ा में श्रीमती फूलमाया देवी और उनकी दोनों पुत्रियां बाबा से मिलीं। उन्होंने ढाई सौ नम्बर का सूत कात कर दिखाया। फूलमायी बहन बारीक कताई में सारे देश में अग्रणी मानी जाती हैं। ५०० नम्बर का सूत भी वे कुशलता से कात लेती हैं।

जयनगर जाते हुए बाबा कपसिया-स्थित खादी केन्द्र में ठहरे जो बारीक मसलिन के लिए मशहूर है। वहाँ बहुत महीन कताई होती है। यहाँ बाबा ने कहा : "किसी संग्रहालय के लिए या भगवान की मूर्ति को पहनाने के लिए थोड़ा बारीक सूत कात लिया जाय तो बात समझ में आती है। लेकिन मुठीभर लोगों के लिए इस तरह मेहनत करके बारीक माल पैदा करना अनुचित है। मेरी राय में इसमें तुरंत बदल करना चाहिए।"

कपसिया केन्द्र के व्यवस्थापक ने बाबा को ६० नम्बर सूत का थान भेंट किया। बाबा ने उसे धन्यवाद के साथ वापिस कर दिया और कहा : "ऐसी खादी पहनने पर लोगों को शंका होगी कि बाबा मिल का कपड़ा पहने है या खद्दर। खद्दर भी पहने और शंका भी बनी रहे, यह ठीक नहीं। या फिर बाबा को अपने माथे पर लिखना होगा—'खद्दरपोश'! इसलिए इस थान को आप अपने पास रखिये और इसे गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकें तो अच्छा है।" यह कहकर बाबा ने वह थान लौटा दिया।

अगले दिन बेनीपट्टी में दोपहर को कार्यकर्ता-सभा में बाबा ने बताया—"हम ग्राम-राज्य बनायेंगे। इसमें से 'ग्' को हटाओ—'ग्' यानी गर्व और

अभिमान—तो रामराज्य हो जायेगा। ..मुझे ग्रामदान से कम फिकर खादी की नहीं है। आज वह बेबुनियाद मकान की तरह है। ...यह तालाब सूखता जा रहा है। मैं उसे बहता हुआ चश्मा बनाना चाहता हूँ।"

१० नवम्बर को सबेरे पौने सात बजे बाबा मधुबनी पहुँचे। यह स्थान 'खादी का मैनचेस्टर' माना जाता है, और इसके आसपास के इलाके में हजारों करघे और चर्खे चलते हैं। श्री ध्वजा बाबू ने वहाँ बड़े स्नेह के साथ व्यवस्था की थी। श्री गोपालजी झा शास्त्री, श्री गजानन बाबू, मंत्री, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजकिशोर बाबू, मंत्री, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, श्री जयलोक ठाकुर, सह-मंत्री, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ और अन्य कई साथी मौजूद थे। इस मौके पर सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध-समिति की बैठक भी वहाँ रखी गयी थी।

दोपहर को कार्यकर्ता-सभा में सारे कार्यकर्ता सपरिवार मौजूद थे। उनमें से कुछ भाइयों ने ग्रामदान में काफी काम किया था। प्रबन्ध समिति के सदस्य भी मौजूद थे। बड़ा सुन्दर समागम था। शुरू में ही, एक सवाल जो बिहार के खादी जगत में गूंज रहा था, पूछा गया : "खादी कार्यकर्ताओं को समवेतन देने का जो आपका प्रस्ताव था, वह आज की स्थिति में कहाँ तक ठीक है?"

मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा : "वह प्रस्ताव अपनी जगह कायम है। लेकिन उसमें जो ६० रुपये से १०० रुपये वाला कालम है, उसमें कुछ फर्क करने की जरूरत है। इस अर्से में मँहगाई आदि के कारण ६० रुपये के ६० और १०० के १५० रुपये होने चाहिए। बाकी प्रस्ताव अपनी जगह ठीक है।" यह सुनकर सबके चेहरे पर आनन्द की लहर दौड़ गयी!

शाम को बाबा के पास पिछले तीस दिनों के काम का लेखा-जोखा हुआ। उन्हें बिहार में आये दो महीने पूरे हो रहे थे। पहले महीने में ३०० ग्रामदान मिले। प्रतिदिन १० का औसत रहा। लेकिन ११ अक्तूबर से १० नवम्बर तक ११५४ ग्रामदान मिले और औसत ३७ का रहा। इससे पता चला कि तूफान की गति तेज हो रही है।

दरभंगा जिले का आखिरी पड़ाव लहेरियासराय में था। वहाँ ११ बजे कुछ कम्युनिस्ट मित्र बाबा से मिलने आये। उन्होंने कहा : "हमारा यह विश्वास है कि दुनिया में साम्यवाद की जीत होगी और मानव जाति के लिए

वही एकमात्र रास्ता है। ग्रामदान आन्दोलन को हम उसका पूरक मानते हैं और इसी नाते उसमें साथ भी देते हैं।" इस पर बाबा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा : "आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपका जो विश्वास है, उस पर आपको कायम रहना चाहिए। आपने ग्रामदान को पूरक माना है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना सिद्धान्त छोड़कर आप इधर आयें, यह मैं नहीं चाहता।"

शाम की सभा में स्वागताध्यक्ष श्री देवकीनन्दन बाबू बोले कि 'वह दिन दूर नहीं, जब सारे दरभंगा जिले का ग्रामदान हो जायगा।' अपने प्रवचन में बाबा ने कहा : "पहले तो नया विचार सामने आता है, फिर वाणी में प्रेरणा आती है और मनुष्य बोलने लगता है। इसके बाद कृति का आरंभ होता है। आपने अभी जिला-दान की बात सुनी। मुझे विश्वास है कि यह होकर रहेगा और जल्दी ही होगा...मुझे यह स्पष्ट दीख रहा है कि बिहार में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का आरंभ हो गया है और वह पूरी होकर रहेगी।"

मुजफ्फरपुर जिले का पहला पड़ाव नरसिंहपुर में था, जहाँ स्वागत के लिए श्री महेश प्रसाद सिंह, सिंचाई मंत्री, बिहार आये हुए थे। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा : "उत्पादन बढ़ाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो जड़-संयोग, यानी अच्छे बीज, खाद, पानी आदि की व्यवस्था हो। दूसरे, चेतन-संयोग, यानी मालिक, मजदूर और महाजन तीनों का अच्छी व्यवस्था हो। केवल जड़-संयोग अगर होगा और चेतन-संयोग नहीं होगा, तो काम नहीं बनने वाला है। चेतन-संयोग का काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार अस्पताल खोल सकती है, लेकिन सेवा की भावना पैदा नहीं कर सकती। वह स्कूल और कालेज खोल सकती है, लेकिन अध्ययनशीलता नहीं पैदा कर सकती। गुण पैदा करना, चेतन पैदा करना सरकार के वश की बात नहीं। ग्रामदान से चेतन-संयोग सधेगा।"

अगले दिन सीतामढ़ी में बाबा ने कहा—"बिहार में अकसर यह सवाल उठता है कि ग्रामदान में जमीन की मालकियत ग्रामसभा को सुपुर्द करने के बाद शादी कैसे करेंगे ? इसका बड़ा सुन्दर हल मैं सुझाना चाहता हूँ। वह यह है कि गाँव की कुल शादियाँ हनुमान-जयंती के दिन होनी चाहिए। शनि, मंगल, राहु, केतु आदि जितने ग्रह हैं, वे सबके सब और सूर्य भी हनुमान से डरता है ! महावीर हनुमान के सामने किसी की कुछ नहीं चलेगी। इसलिए

हमारा सुझाव है कि महावीर-जयंती के दिन शादी करो और कोई ज्योतिषी इसके खिलाफ बोले तो उसे बाबा के सामने खड़ा कर दो। मुसलमानों की शादी भी उसी दिन हो। कुरान से निकाह पढ़ा तो मुसलमान की शादी हो गयी, वेद से मंत्र पढ़ा तो हिन्दू की शादी हो गयी। इससे 'डबल' आशीर्वाद हासिल होगा! किसी शादी में कम आनन्द या उत्सव मनाया जाय और किसी में ज्यादा, यह गलत बात है और धर्म के विरुद्ध है। गरीब हो या अमीर—हर शादी को बराबर आशीर्वाद मिलना चाहिए। तब कल्याणकारी औलाद पैदा होगी और सबका मंगल होगा।"

१५ नवम्बर को साढ़े आठ बजे बाबा मुजफ्फरपुर पहुँचे। बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रधान कार्यालय, सर्वोदयग्राम में निवास था। श्री ध्वजा बाबू, संघ के पदाधिकारी तथा खादी कार्यकर्ता बड़ी तायदाद में इस अवसर पर उपस्थित थे।

सिक्किम के सात तरुण खादी-कार्यकर्ता, पाँच भाई और दो बहनें, उस दिन बाबा से मिलने आये। साथ में श्री वीरेन्द्र प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक, सिक्किम खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण योजना भी थे। सौभाग्य से श्री वैद्यनाथ बाबू भी आये हुए थे। उन्होंने बताया कि 'इनके खादी-कार्य को मदद नहीं मिल रही है, शायद बन्द करने की नौबत आ जाय।'

इस पर बाबा बोले—"सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करे। यह जो हिन्दुस्तान का बजट बनता है, उसमें हजार करोड़ रुपये सेना पर खर्च है। पाकिस्तान भी लगभग तीन सौ करोड़ रुपये सेना पर खर्च करता है। दोनों तय कर लें कि पाकिस्तान के गरीबों के लिए हिन्दुस्तान हजार करोड़ रुपया खर्च करेगा और पाकिस्तान भी जरूरत पड़ने पर हिन्दुस्तान के गरीबों के लिए तीन सौ करोड़ खर्च करेगा। आज जो भय खाते खर्च हो रहा है, वह प्रेम खाते होना चाहिए। इसको रस्किन ने कहा है—'बाइंग पैनिक ऑफ ईच अदर'—एक दूसरे का भय खरीद लेना। सिक्किम और भूटान में यह काम खूब बढ़ना चाहिए और सरकार को उसमें मदद देनी चाहिए।"

इसके बाद बाबा ने आठ दिन चम्पारण जिले में बिताये। पहला पड़ाव महेसी में था। वहाँ पहुँचते ही बाबा ने पीले साफों की मांग की और कहा कि जितने लोग मेरे सामने इस सभा में बैठे हैं, वे सब पीला साफा पहन लें। स्वागताध्यक्ष श्री विपिनविहारी वर्मा एम० पी० बाबा की बगल में ही बैठे थे।

उन्होंने तुरंत ही पीला साफा मंगाया और सिर में बांध लिया। बाबा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 'श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, समाज उसका अनुसरण करता है।'

चम्पारण जिला महात्मा गांधी का जिला माना जाता है। बापू ने अंगरेजी राज्य के खिलाफ भारत में पहला सत्याग्रह यहीं पर किया था। उस समय एक भावना यहाँ बनी और सारे भारत में चम्पारण का नाम फैल गया। बाबा ने कहा—"इस चम्पारण ने सारे भारत का नेतृत्व किया और अगुआ बना। क्या वह ग्रामदान में पिछड़ा रहेगा? इसमें भी उसे अगुआ बनना चाहिए और महात्मा गांधी का स्वप्न साकार करना चाहिए।"

महेसी में श्री जगन्नाथनजी, अध्यक्ष, तमिलनाड सर्वोदय मंडल दिनभर साथ रहे। उन्होंने बाबा को तमिलनाड आने के लिए दावत दी। बाबा ने कहा: "मैं अपने को भावी कार्यक्रम से बांधता नहीं। मैंने अपना 'माइंड फ्लयूइड' रखा है, 'फ्रोजन' नहीं। मैं बांधता नहीं अपने को।"

यहां एक अमरीकन भाई बाबा से मिलने आये। वे संसार में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का एक नया संगठन खड़ा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पूछा कि 'नये काम के लिए आन्तरिक शक्ति कैसे पैदा हो?' बाबा ने कहा: "आन्तरिक शक्ति पैदा करने के लिए आप रोजाना कुछ समय चिंतन में लगायें। जिस तरह शरीर के लिए रोजाना स्नान जरूरी है, उसी तरह मस्तिष्क के लिए ध्यान जरूरी है।" शाम का सभा में बाबा का भाषण सुनने के बाद उस भाई ने कहा कि 'ग्रामदान बहुत ही वैज्ञानिक और क्रान्तिकारी आन्दोलन है।'

अगले दिन बाबा ने नाव से बूढ़ीगंडक पार की और ९ बजे ढाका पहुँचे। साढ़े ग्यारह बजे नेपाल के प्रसिद्ध सर्वोदय सेवक श्री तुलसी मेहरजी बाबा से मिले और उन्हें नेपाल आने के लिए दावत दी। बाबा ने कहा—"नेपाल में यात्रा करने की मेरी इच्छा है। लेकिन कब आ सकूँगा, यह निश्चय नहीं, और आ सकूँगा या नहीं, यह भी नहीं जानता।"

१९ नवम्बर को पौने आठ बजे बाबा रक्सौल पहुँचे, जो भारत-नेपाल की सरहद पर है। वहाँ से काठमांडू को पक्की सड़क जाती है। बाबा ने वहाँ कहा: "सीमा-क्षेत्र के लोगों में प्रेम पैदा करना, एकता लाना और लोकशक्ति का निर्माण करना बहुत जरूरी है। यह सारा इलाका ग्रामदान में आना चाहिए,

और यहां शांति सेना खड़ी होनी चाहिए तथा खादी-ग्रामोद्योग भी खूब चलने चाहिए।"

मोतिहारी से श्रीमन्नारायणजी*, उनकी पत्नी मदालसा बहन और तुलसी मेहरजी साथ थे। रक्सौल में दोपहर के समय श्रीमनजी से बातचीत के दौरान बाबा ने कहा : "संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि या तो वह अपनी कोई सेना न रखे और रखे तो शांति सेना रखे। आज जो उसने अपनी सेना रखी है, उससे बड़ी सेना तो अमरीका की और रूस की है। उसने छोटी सेना रखकर बिलकुल गलत काम किया है। अगर संयुक्तराष्ट्र सेना नहीं रखता है तो उसकी नैतिक शक्ति बढ़ेगी। या फिर एक सूरत यह हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र ही सेना रखे और दुनिया के जितने राष्ट्र हैं, वे सब अपनी-अपनी सेना उसको समर्पण कर दें। लेकिन यह चीज तो तभी होगी जब विश्व-राष्ट्र बनेगा।"

अगले दिन सबेरे ही श्रीमनजी और मदालसा बहन बाबा से बात करने लगे। श्रीमनजी ने नेपाल के महाराजाधिराज की नैनीताल पर लिखी हुई एक कविता दिखायी। महाराजाधिराज हाल ही में एक सप्ताह नैनीताल रहे थे। बाबा ने वह कविता पढ़ी और फिर पीठ पर यह लिख दिया—

राजा भी हो और कवि भी, ऐसा संयोग अकसर देखने को नहीं मिलता। कारण जाहिर है। राजा होता है भारी और कवि को चाहिए भार-मुक्तता। दोनों योग जिसको सधे, उसको अनासक्ति कुछ सधी होनी चाहिए।

बगहा की आम सभा में बाबा ने कहा : "गोरखपुर की तरह चम्पारण जिले में भी चीनी की मिलें हैं। हमको भय है कि आगे जाकर गल्ले और गन्ने की लड़ाई होगी। मनुष्य के छः रिपुओं — काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर की तरह—गल्ले के भी छःरिपु हैं। इनमें दो तामसी हैं—तम्बाकू और चाय; दो राजसी हैं—जूट और कपास; और दो सात्विक हैं—मूंगफली और गन्ना। आज हिन्दुस्तान की सबसे बेहतरीन जमीन तम्बाकू में चली जाती है...चीनी बाहर भेजना और गल्ला बाहर से मंगाना बड़ा मँहगा सौदा है। अगर देश को अन्न में स्वावलम्बी बनाना है तो यह सारी नीति बदलनी होगी।

अरेराज में बाबा ने अपने प्रवचन में कहा : "मिलों में चावल तराशने से उसका पोषण-तत्व लगभग १४ प्रतिशत कम हो जाता है।"

* नेपाल में भारत के राजदूत।

इसलिए मिलवालों से सरकार कह रही है कि चावल ज्यादा मत तराशो, केवल ४ प्रतिशत तक तराशो। मेरी समझ में नहीं आता कि हाथ-कूटा चावल क्यों न चलाया जाय और मिलें बन्द क्यों न की जायं? क्या कारण है सिवा इसके कि मिलवाले आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और लोग ऐसे बेवकूफ बने हैं कि उनको तराशे हुए सफेद चावल ही अच्छे लगते हैं? कहा जाता है कि तराशे हुए चावल ज्यादा दिन टिकते हैं। यह ठीक ही है, क्योंकि उनमें पोषण इतना कम होता है कि उनको कीड़े भी खाना नहीं चाहते।... जिस हिन्दुस्तान में १० प्रतिशत अनाज कम हो, वहाँ के चावल में १४ प्रतिशत ताकत कम करना गुनाह मानना चाहिए। सरकार की ओर से जाहिर होना चाहिए कि यह देशद्रोह है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि १४ प्रतिशत अनाज फेंक दिया।"

चम्पारण जिले के बाद चार दिन फिर मुजफ्फरपुर जिले में। २४ नवम्बर को पड़ाव मोतीपुर में था, जहाँ श्री नवल किशोर सिंह, जो इसी क्षेत्र के रहनेवाले हैं और बिहार सरकार के राज्य मंत्री हैं, बाबा से मिले। उन्होंने बताया कि जिस जोश-खरोश के साथ कांग्रेसवाले भूदान आन्दोलन में लगे थे, उस तरह ग्रामदान में नहीं लगे हैं। बाबा बोले : "फिर भी मैं लोगों का उपकार मानता हूँ, जो इसमें समय दे रहे हैं।"

अगले दिन सरैया में कार्यकर्ता-सभा हुई जिसमें बाबा ने बड़े दुःख के साथ कहा : "अन्न, सुरक्षा और शिक्षा—तीनों में बड़ा गड़बड़ हुआ है। अब कुछ चेतना आ रही है और इनके ऊपर ध्यान जा रहा है। ...लगान पैसे की बजाय गल्ले की शकल में लिया जाय। अगर लोग लगान में सोना देंगे तो आप लेंगे या नहीं? अनाज तो सोने से भी बहुमूल्य है।"

२६ तारीख को सरैया से निकलकर १५ मिनट में बाबा वैशाली के प्राकृत जैन-शास्त्र तथा अहिंसा शोध-संस्थान में पहुँच गये। वहाँ संस्थान की ओर से उनका स्वागत किया गया और उसके प्रकाशन भेंट किये गये। बाबा ने अपने प्रवचन में कहा : "महावीर स्वामी की पद्धति प्रहार की नहीं, बल्कि उपहार की थी और उनकी जीवन-दृष्टि एक विशेष थी, जिसे मध्यस्थ-दृष्टि कहा जायेगा। विचार का आग्रह रखना भी हिंसा हो जाता है। समग्र, समस्त, मध्यस्थ समन्वय की दृष्टि होनी चाहिए। ...अहिंसा का व्यापक

शोध यहाँ होना चाहिए और ग्रामदान को व्यावहारिक विज्ञान का प्रयोग मानना चाहिए।"

जिले का आखिरी पड़ाव हाजीपुर में था। सात बजे बाबा वहाँ पहुँचे। गाँधी स्मारक निधि की बिहार शाखा के मंत्री श्री सरयू बाबू ने स्वागत करते हुए इस बात के लिए खेद प्रकट किया कि क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं हो सका। अपने प्रवचन में बाबा ने सर्वोदय राजनीतिक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि अगर देश में जनतंत्र को सुरक्षित रखना है और गरीबों को ऊपर उठाना है तो समाज में एक के ऊपर दूसरे का अंकुश लगाना होगा। सेना पर अंकुश लगना चाहिए सिविल शासन का, सिविल शासन या सरकार पर अंकुश होना चाहिए जनता का, और जनता पर अंकुश होना चाहिए नैतिक मूल्यों का। ग्रामदान से जनता का अंकुश सरकार पर आयेगा और नैतिक मूल्यों का अंकुश जनता पर होगा।"

सवा तीन बजे बिहार के राजस्व मंत्री श्री वीरचन्द पटेल बाबा से मिलने आये और ग्रामदानी गांवों के विकास में प्रशासनिक सहयोग देने का वचन दिया। बाबा ने कहा : "५ अप्रैल, १९६६ डेड लाइन है। तबतक दस हजार ग्रामदान बिहार में होने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि हम अपना प्रत्येक क्षण इस काम के लिए देंगे। मोमबत्ती दोनों सिरों से जल रही है।"

हाजीपुर से बाबा छपरा गये। वहाँ अपने एक प्रवचन में आपने कहा कि यह जिला अपनी खास हैसियत रखता है। भारत को इसने महान नेता दिये हैं—राजेन्द्र बाबू, मजहरुल हक, जयप्रकाशजी। राजेन्द्र बाबू जो बहुत बड़े समाज-सेवक, सत्यनिष्ठ, भूतदया-सम्पन्न, अत्यन्त नम्र, परम साधु, सरल व्यवहार करने वाले, ऊँचे स्थान पर रहने पर भी जिन्हें यह भान नहीं हुआ कि ऊँचे स्थान पर हैं, किसानों से एकरूप, महात्मा गांधी के अत्यन्त प्रिय, तथा हम सब लोगों के लिए आदरणीय थे, इसी जिले से मिले। उनका सच्चा स्मारक यही हो सकता है कि यह सारण जिला पूरा का पूरा ग्रामदान हो जाय।"

हथुआ पड़ाव पर श्री प्रभुनाथ तिवारी ने बाबा तथा उनके सहयोगियों का स्वागत किया। प्रभुनाथजी प्रान्तीय कांग्रेस की तरफ से सारे बिहार में कांग्रेसजनों को ग्रामदान की तरफ मुखातिब करने का काम करते हैं। बाबा

ने यहाँ एक भाषण में कहा : "बिहार में लेवी की बात चलती है। एक तरफ छोटा किसान है और दूसरी तरफ सारी सरकार। एक-एक किसान से जमीन लेने में बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ग्रामदान दीजिये, अपनी जमीन की मालकियत ग्रामसभा को सुपुर्द कर दीजिये। तब फिर सरकार के साथ व्यवहार किसान को नहीं, ग्रामसभा को करना पड़ेगा।"

तीन दिसम्बर को स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू का जन्मदिन था। रास्ते में एक जगह से उनका गांव जीरादेई ढाई मील पर पड़ता था। थोड़ा ज्यादा सफर करते हुए बाबा जीरादेई गये। गांव के लोग तुरंत जमा हो गये। बाबा ने कहा : "हम आज यहाँ आये, ताकि इस स्थान का दर्शन करें और आप सबको राजेन्द्र बाबू की जयंती के दिन भक्तिभाव से प्रणाम करें। हम आशा करते हैं कि यह जिला ग्रामदान में आयेगा और जीरादेई के लोग इस स्थान को तीर्थक्षेत्र बनायेंगे।"

मैरवा में हमलोग कुष्ठ-आश्रम में ठहरे थे। यहाँ शाम की आम सभा में कुष्ठ-आश्रम के अध्यक्ष श्री ध्वजा बाबू ने बाबा का स्वागत किया। उन्होंने स्वर्गीय बाबा राघव दास को श्रद्धांजजि अर्पित की, जिनकी प्रेरणा से यहाँ कुष्ठ-आश्रम खोला गया था। बाबा ने कहा कि राघवदासजी में अहंकार और आलस्य छू तक नहीं गया था। उनका चरित्र बड़ा रमणीय और जीवन अनुकरणीय था।

मैरवा से सीवान जाते हुए रास्ते में एक नया उद्घोष सुना गया—

गांव-गांव में गूंजे नारा। ग्रामदान हो जिला हमारा॥
गांव-गांव में गूंजे नारा। ग्रामदान हो सारण सारा॥

पड़ाव पर पहुँचकर बाबा ने इस नारे का हवाला देते हुए कहा : "शब्द की महिमा बड़ी है। 'भारत छोड़ो' का अनुभव हम सब को है। एक चीज जो शब्द के रूप में आती है, वह फिर वास्तविक रूप में भी आ जाती है।"

दोपहर को कार्यकर्ता-सभा में बाबा ने विस्तार के साथ ग्राम-पंचायत की योजना पर अपने विचार रखते हुए कहा : "मुझे इससे कभी कोई आशा नहीं थी। जिस ढंग से ये पंचायतें बनी हैं उसको देखकर मैंने १२ साल पहले चम्पारण में कहा था कि यह विकेन्द्रित शोषण-योजना है। ग्राम

पंचायत सत्ता का टुकड़ा है; उसमें सेवा का अंश नहीं। पंचायतों में राजनीतिक पक्षों ने घुसपैठ की। पंचायत की यह सारी रचना अभारतीय है। इसमें बहुमत-अल्पमत चलता है, जिसकी वजह से झगड़े और मत्सर बढ़ते हैं। पंचायतों में मत्सर का राष्ट्रीयकरण हुआ है।"

रविवार ५ दिसम्बर। बाबा छः बजे सीवान से निकलकर साढ़े आठ बजे ताजपुर पहुँचे। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जलेश्वर दुबे ने, जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपने गांव का ग्रामदान कराया और फिर मांझी प्रखंड के ग्रामदान में जुट गये। (इसका प्रखंड-दान भी हासिल हो चुका है।) ताजपुर में ठहरने की व्यवस्था गांधी-घर में की गयी थी। यहां बाबा ने कहा: "भारत के पांच लाख गांवों में से हर गांव में, गांधी-घर होना चाहिए। लेकिन वह ईंट, चूने, पत्थर का नहीं—सत्य, प्रेम एवं करुणा का बनेगा। वही असली गांधी-घर होगा। गांव-गांव का ग्रामदान होने पर हर गांव गांधी-घर बनेगा।"

अगले दिन गंगा पार करने के बाद बाबा साढ़े सात बजे पुनः पटना पहुँचे। सदाकत आश्रम में पहले तो उन्होंने प्रान्तीय कांग्रेस कार्यालय में श्रीकृष्ण-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके बाद राजेन्द्र-स्मृति-भवन के पास प्रान्तीय कांग्रेस के सदस्यों और विधायकों से मिले। वहां श्री राजेन्द्र मिश्र ने आश्वासन दिया कि 'बाबा के उद्देश्य की पूर्ति में हम पूरी ताकत लगायेंगे और इस आन्दोलन को सफल करेंगे।' इसका हवाला देते हुए बाबा ने कहा कि "राजेन्द्र मिश्र जी ने जो अभी कहा है, उसमें मेरी यह तरमीम है कि 'बाबा' शब्द की जगह 'हमारा' रखा जाय। बाबा बेचारा आज हैं कल नहीं, इसलिए आप अपना काम समझकर इसे उठायें, तभी क्रान्ति होगी।"

शाम की आम सभा श्री रामलखन सिंह यादव (मंत्री, लोक निर्माण विभाग) की अध्यक्षता में हुई। श्री कृष्णवल्लभ सहाय और श्री राजेन्द्र मिश्र भी मौजूद थे। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा: "हमको भारत की एकात्मता बनानी होगी और गरीबों को दर्शन कराना होगा कि उनके लिए हम जी-जान से कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामदान के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिहार में दो प्रसिद्ध नाम हैं—प्राचीन काल में गौतम बुद्ध और अर्वाचीन काल में राजेन्द्र बाबू। भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, और राजेन्द्र बाबू जैसा करुणावान मनुष्य भारत में इन दिनों देखने में नहीं

आया। राजेन्द्र बाबू का सच्चा स्मारक यही होगा कि सारा विहार ग्रामदानी हो।"

इसके बाद आठ दिनों तक शाहाबाद जिले में यात्रा चली। पहला पड़ाव आरा में था। वहां एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा ने कहा : "हिन्द-पाकिस्तान का संघ बने, लेकिन बनाया न जाय। बनायें तो हम गांव-को बनायें। गांव-गांव को एक बनायें, भारत को एक बनायें, तो पाकिस्तान को विश्वास हो जायगा। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के मसले तब हल होंगे, जब वे प्रेम से एक होंगे। दोनों का संघ बने, यह मैं चाहता हूँ; लेकिन बनाया जाय, इसका समर्थन नहीं करता हूँ।"

९ दिसम्बर को दोपहर में मित्र-मिलन का कार्यक्रम हुआ। श्री वल्लभ-स्वामी के देहान्त को आज एक साल पूरा हुआ। बाबा ने लगभग २० मिनट तक प्रवचन दिया और कहा : "अध्यात्म विचार का सार एक शब्द में बताया जाय तो 'गुण-ग्रहण' है। गुणवर्धन, गुणगौरव, गुण-स्मरण, गुण-मार्जन, और गुण-ग्रहण—वल्लभस्वामी इसमें लगभग अद्वितीय थे। चित्त से अलग होने का अभ्यास हमें करना चाहिए।"

१२ तारीख का पड़ाव सासाराम में था। यह शेरशाह शूरी का जन्म-स्थान है। प्रार्थना सभा में बाबा ने कहा : "कवि ने गाया है—'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना'। आपस का बैर नहीं होने मात्र से कोई धार्मिक नहीं बन जाता। मेरा आप पर प्यार होना चाहिए, तभी धर्म सधेगा। इसलिए शेरशाह की इस नगरी में नया शेर आपके सामने रखता हूँ—'मजहब तो है सिखाता आपस में प्यार करना।"

मंगलवार, १४ दिसम्बर को सबेरे आठ बजे बाबा डालमियांनगर पहुँचे। वहां उन्होंने श्रीमानों, महाजनों और व्यापारियों को समझाते हुए कहा : "आपके दान-धर्म से ताकत नहीं बन रही है। वह तभी बनेगी जब वह दान धर्म सबसे नीचे के लोगों को ऊपर उठाने में लगेगा। फिर उन्होंने सर्वोदय का गणित समझाते हुए कहा : "माना यह जाता है कि पब्लिक सेक्टर जितना बढ़े, उतना अच्छा है। कोशिश यह है कि यह पब्लिक सेक्टर ५० से ६० और प्राइवेट सेक्टर ५० से ४० हो जाय। ५०+५०=१०० की बजाय ६०+४०=१०० हो। फिर इसी तरह प्राइवेट सेक्टर कम होता

* सर्व सेवा संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष

जाय और पब्लिक सेक्टर बढ़कर पूरा १०० हो जाय, यानी १००+०= १०० हो। लेकिन सर्वोदय क्या मानता है : १००+१००= १०० हो।

"...यह सर्वोदय का गणित है। यह गणित आपको अजीब मालूम होगा। यह गणित कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य सब पार्टियों के गणित से भिन्न है। इसके पीछे आशा यह है कि प्राइवेट सेक्टर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उठा ले और पब्लिक सेक्टर बन जाय। अगर पूंजीपति ट्रस्टी के नाते काम करेंगे तो सारा प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में बदल जायेगा और कोई द्वन्द्व नहीं रहेगा। इस लिए मेरी अपील है कि मालिकों के पास जो धन है, और योजना-शक्ति है, उसे आप ट्रस्टी के नाते इस्तेमाल कीजिये और ग्रामदान को मदद देने के लिए सामने आ जाइये।"

१५ दिसम्बर को पड़ाव बाराचट्टी (जिला गया) में था। श्री जयप्रकाशजी और दीदी प्रभावती दोनों वहाँ मौजूद थे। जे० पी० को जब यह मालूम हुआ कि बाबा की तबियत ठीक नहीं है और बैठने में भी तकलीफ होती है तो उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि फिलहाल यात्रा स्थगित कर दें और तबियत ठीक होने पर कार्यक्रम चलायें। द्वारको भाई ने कहा कि समन्वय आश्रम चलकर विश्राम करें। बाबा बोले : "कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमने तो गोपुरी में ही कहा था कि अब तूफान यात्रा में अगर बाबा आराम को कहे तो आप उससे कहियेगा कि अगले पड़ाव तक चल-चलें फिर इन्तजाम करेंगे।"

अगले दिन बाबा सबेरे ८॥ बजे बगोदर (हजारीबाग) पहुँचे। वहां श्री श्यामप्रकाश, संयोजक, जिला सर्वोदय मंडल ने आश्वासन दिया कि 'हजारीबाग से हजार ग्रामदान का संकल्प पूरा करेंगे।' जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पुनीत राय ने कहा कि 'इसकी पूर्ति के लिए अपनी जो शक्ति है, उसे लगाने की चेष्टा करूंगा।'

हजारीबाग से धनबाद पहुँचकर बाबा ने कहा : "प्रजातंत्र में मत्सर का राष्ट्रीयकरण हुआ है। सारी सत्ता ऊपरवालों के हाथ में है। नाम सोशलिज्म का लेते हैं, लेकिन है वह स्टेटिज्म या स्टेट कैपिटलिज्म है। डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है। लोग अनाथ जैसी हालत में हैं। अगर गांव के लोग ग्रामदान में आते हैं और आप शहर को सर्वोदय-नगर बनाते हैं तो यह नक्शा बदलने में आप समर्थ होंगे।

सबेरे ५।। बजे निकलकर १८ दिसम्बर को ८७ मील की दूरी तय कर बाबा ८। बजे चांडिल पहुँचे। ठीक १२ साल पहले वे जब बीमार पड़े थे, तो १८ दिसम्बर को ही चांडिल में दवा ली थी और उससे उनका बुखार उतरा था। इसके बाद वे यहां तीन महीने रहे और सर्वोदय सम्मेलन भी यहीं हुआ। बाबा चांडिल को अपना घर मानते हैं। इसलिए उन्हें इस बात का बड़ा दुःख था कि जिस घर में तीन महीने रहे थे, उसमें न ठहराकर एक धर्मशाले में उन्हें ठहराया गया। गांव के लोगों के आपसी द्वेष के कारण ऐसा हुआ। अपने स्वागत प्रवचन में बाबा ने कहा कि 'चांडिल का सारा इलाका ग्रामदान में आना चाहिए।'

११ बजे श्री ढेबर भाई और खादी कमीशन के सदस्य बाबा से मिले। उन्होंने कहा कि 'खादी को संरक्षण सरकार से नहीं, ग्रामभावना से मिल सकता है; इसलिए मैं ग्रामदान की मांग करता हूँ।' २।। बजे भी ये मित्र बाबा से मिले और उनसे ग्रामोद्योग के बारे में चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि "आज जो संतति-नियोजन चल रहा है, उससे कुल-के-कुल 'मॉरल स्टैण्डर्ड' को खतरा है। सारी चीज बहुत 'रिवोल्टिंग' लगती है।"

रविवार, १९ दिसम्बर को सबेरे ६। बजे चांडिल से निकलकर ७ बजे बाबा जमशेदपुर पहुँचे। निवास की व्यवस्था जमशेदपुर के वीमेन्स कालेज में की गयी थी। वहाँ एक बजे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुरजी शास्त्री बाबा से मिलने आये। एकान्त में डेढ़ घंटे तक बातचीत होती रही। करीब सवा तीन बजे श्री जे० आर० डी० टाटा मिलने आये। उन्होंने बाबा से कहा कि 'स्वास्थ्य की दृष्टि से आप यहां कुछ ठहर जायं और विश्राम करें।'

चार बजे आम सभा शुरू हुई। शास्त्रीजी और श्रीमती ललिता शास्त्री दोनों मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता बिहार के मुख्य मंत्री श्री कृष्णवल्लभ बाबू कर रहे थे। विनोबा स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री आर० एस० पांडे (रेजिडेन्ट डायरेक्टर, टाटा कंपनी) ने अभिनन्दन-पत्र दिये—एक बाबा को और दूसरा शास्त्रीजी को। उन्होंने ५१,०००) हजार रुपये की थैली ग्रामदान कोष के लिए बाबा को और एक लाख की थैली नेशनल डिफेन्स फंड के लिए शास्त्रीजी को भेंट की। जमशेदपुर जिला शांति सेना के संयोजक श्री श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि बिहार में अब तक ४,०८० ग्रामदान हो चुके हैं।

अपने प्रवचन में बाबा ने लोगों से कहा : "आप दो भाइयों का मिलन देख रहे हैं। एक वह है जिसके सिर पर चिंता का पहाड़ रखा हुआ है। लेकिन आपके प्रेम और विश्वास के कारण उस पहाड़ का वहन उसने आसानी से कर लिया। दूसरा वह है जो सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त है और तटस्थ चिंतन करता रहता है। इस प्रकार हम बीच-बीच में मिलते रहते हैं। पंडित नेहरू ने जिस तरह भारत को सम्हाला, उनके बाद कौन सम्हालेगा, इसकी चिंता उनके सामने से ही लोग करने लगे थे। मैं शास्त्रीजी को आपकी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शांति और शक्ति का जो संयोग दिखाया, उससे देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है। मैं अहिंसा को मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि देश-देश के मसले लड़ाई से हल नहीं हो सकते। फिर भी पाकिस्तान और भारत की इस लड़ाई में मैंने भारत का पूरा समर्थन किया; क्योंकि मेरा मानना है कि यह युद्ध भारत पर लादा गया था।"

आगे आपने कहा : "बिहार सरकार का मुझे अभिनन्दन करना है, जिसने ग्रामदान का आर्डिनेन्स बनाया, जैसा कि किसी दूसरे स्टेट ने नहीं किया। फिर असेम्बली शुरू होने पर कानून भी बन गया। इसके अलावा बिहार की प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी ने भी इस काम को अपनाते हुए, प्रस्ताव किया। दूसरे पक्षों का भी समर्थन हासिल है।···अभी सारण जिले में जिलादान का नारा गूँजा।···मैंने उद्घोष किया कि 'चलो देहात'। देहात-देहात में ग्राम-स्वराज्य होने से दिल्ली निश्चिंत होगी। 'चलो दिल्ली' की बजाय 'चलो देहात'।···मुसलमान-काल में देश गुलाम था, लेकिन देहात आजाद था। अंग्रेजी राज्य में देश भी पराधीन था और गाँव भी पराधीन। इन दिनों तीसरी हालत है। आज देश तो स्वाधीन है, लेकिन गाँव पराधीन है। अब चौथी अवस्था लाना है—देश भी स्वाधीन और गाँव भी स्वाधीन हों।···हमारी सामाजिक विषमता से पाकिस्तान को और हमारी अद्वितीय गरीबी से चीन को आकर्षण होता है। अगर गरीबी के खिलाफ जिहाद करें और साम्प्रदायिकता मिटा दें तो दोनों का मुकाबला सफलता से होगा और कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा।···इस नगर को आप सर्वोदयनगर बनायें।"

अपने भाषण में श्री शास्त्रीजी ने कहा : "मैं आज जमशेदपुर में श्रद्धेय विनोबाजी के दर्शन के निमित्त आया हूँ। मैं समय-समय पर इस बात की

कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे मिलूं, उनके विचारों को जानूँ, और उनसे प्रेरणा प्राप्त करूँ।···विनोबाजी अपने देश का प्रभावशाली ढंग से मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। डिमोक्रेसी प्रजा के अनुसार चलती है। डिमोक्रेसी की असली ताकत कानून नहीं, हथियार नहीं, पुलिस नहीं है। उसकी असली ताकत तो जनता है, और उसमें लोकमत के अनुसार सरकार चलती है।···इसलिए जनमत बनाना, लोगों में आत्म-विश्वास पैदा करना, यह काम जो आज आचार्य विनोबाजी कर रहे हैं, वह असली चीज है। वह एक महान कर्मयोगी हैं। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत निर्बल होते हुए भी वर्षों उन्होंने पद-यात्रा की है। गाँव-गाँव और नगर-नगर में सर्वोदय का संदेश, ग्रामदान और भूदान का संदेश बराबर देते चले आये हैं। उससे देश में महान जागृति पैदा हुई है, नयी भावना जगी है। इसलिए आज इनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और हमें बल देने वाली है।...ये गाँधीजी की ही एक कड़ी हैं। गाँधीजी और विनोबाजी की जो यह कड़ी है, वह राजकार्य में पवित्रता लाना चाहती है। वह सच्ची राजनीति का आदर्श हमारे सामने रख रही है।"

शाम की सभा के बाद शास्त्रीजी दुबारा बाबा के पास आये और करीब एक घंटे तक उनके साथ रहे।

दूसरे दिन, २० तारीख को सबेरे बिहार के मित्र बाबा से मिले। बाबा ने कहा : "बिहार में घूमने की मेरी तैयारी पहले जैसी है। आपको ४,०८० ग्रामदान मिल चुके हैं, अब दस हजार ग्रामदान मिलने में देर नहीं होनी चाहिए।"

तीसरे पहर जिला शांति सेना समिति, जमशेदपुर के संयोजक और जमशेदपुर में बाबा के निवास और कार्यक्रम के उत्साही इन्चार्ज श्री श्याम बहादुरजी अपने साथ काम करने वाले भाई-बहनों को लेकर बाबा से मिले। उन्होंने बताया कि 'सबके सहयोग से जमशेदपुर में कुछ काम करना संभव हुआ है और लोगों का विश्वास भी मिला है।' बहनों ने बाबा से संदेश माँगा तो उन्होंने कहा—'पीला साफा।'

शाम को पटना से दो डाक्टर बाबा को देखने आये। जमशेदपुर के स्थानीय डाक्टर भी मौजूद थे ही। सबकी सलाह से यह तय पाया कि बाबा का आगे का कार्यक्रम स्थगित रहेगा और यहीं पर बाबा का इलाज तथा विश्राम चलेगा।

इस प्रकार बिहार में बाबा की सौ दिनों की यह तूफान-यात्रा पूरी हुई। जमशेदपुर में वह १६ मार्च तक रहे। वहाँ से रानीपतरा चले गये। जुलाई में १५ दिन बिहपुर ठहरे और उसके बाद पूसा रोड गये।

तूफान यात्रा ने बिहार के जनमानस में हलचल और उत्सुकता पैदा कर दी। भूमिहीनों में उम्मीद पैदा हुई और भूमिवानों का डर कम हुआ।

सन् १९५२-५४ की आनन्द-यात्रा में भी आखिरी छः महीने बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिला था। उन दिनों अकसर यह दिखायी पड़ता था कि श्रीमान लोग उनकी सभाओं से दूर रहते थे। एक तरफ से कानून का हौआ उनके ऊपर सवार था, दूसरी तरफ से यह डर कि बाबा सब लूटने आया है, चाहे प्रेम से ही सही। दीन-दुःखी लोगों में उस यात्रा के दौरान एक आशा पैदा हुई थी। पर उन्हें विश्वास नहीं होता था कि उनको जमीन मिलेगी। लेकिन इस बार की यात्रा से उनको भरोसा हो गया कि जमीन पर मालिकी किसी को रहने वाली नहीं है।

बाबा की सभाओं में उपस्थित रहने की इच्छा लोगों को कितनी रहती थी, इसका एक जगह अजीब दर्शन हुआ। कुछ लोग एक लाश को कंधे पर रखकर लिये जा रहे थे। शाम का वक्त हो गया था और दाह-संस्कार की जल्दी थी। लेकिन जब उन्होंने एक जगह बहुत भीड़ देखी और सुना कि जमीनवाला बाबा आया है और सभा में बोल रहा है, तो उन्होंने नीम के गाछ तले लाश को रख दिया। छः आदमी थे। एक लाश के पास बैठा रहा और बाकी पाँच सभा में चले गये। बाबा का भाषण उन पाँचों ने सुना, पाँच मिनट की मौन प्रार्थना में हिस्सा लिया। फिर वे आये और दाह-संस्कार के लिए लाश को उठा ले गये।

युवकों और बच्चों को बाबा के प्रति विशेष आकर्षण है। मानो वे बाबा में एक वृद्ध का नहीं, बल्कि अपने जैसे बचपन वाले एक दोस्त का दर्शन करते हैं! एक जगह शाम को कहीं सभा होने वाली थी। एक दूकान पर एक १२ साल का लड़का पहुँचा और घर के लिए दियासलाई और तेल खरीदने लगा। दूकानदार ने कुछ देर की, तो लड़का बिगड़कर बोला—'अजी, तुम्हें देनी है या नहीं? हमें देर हो रही है। विनोबा बाबा आये हुए हैं। उनकी सभा में हमें जाना है।' 'दूकानदार ने कुछ लापरवाही दिखायी तो उस लड़के ने

कहा—(पैसा उसने पहले ही जल्दी में दे दिया था) 'अच्छा मैं जाता हूँ, पैसा तुम रखे रहो। सभा के बाद आऊंगा और तब सामान ले जाऊंगा।' उसने इतमीनान के लिए पूछा—'तब तक दूकान खुली रहेगी न ?' दूकानदार ने कहा—'हाँ, खुली रहेगी।' यह सुनते ही वह दौड़ता हुआ सभा में चला गया।

महिलाएं भी इस बार की यात्रा में ज्यादा तायदाद में शरीक होती थीं। पिछले ११-१२ वर्षों में स्त्रियों के बीच तालीम फैलने का यह असर है। सभाओं में स्त्रियां बहुत शांति रखती थीं और बड़ी भक्ति के साथ बाबा का प्रवचन सुनती थीं। एक जगह तो उन्होंने तमाशा ही कर दिया। लम्बा-सा बरामदा था, चौड़ाई कम थी। बाबा पड़ाव पर पहुँचने वाले थे। स्थानीय आयोजकों ने कहा कि मर्द आगे बैठेंगे, महिलाएं पीछे। महिलाओं ने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया और सब की सब आगे बैठ गयीं। मजबूरी से भाई लोग पीछे बैठे। इतनी देर में बाबा पहुँच गये और उन्होंने यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हुए। उन्होंने कहा : "यह नक्शा आगे आने वाले समाज का है। नये समाज में अहिंसा का ही मुख्य आधार होगा और उसका नेतृत्व महिलाएं करेंगी। हिंसा के दौर में पुरुष आगे रहें, लेकिन अब अहिंसा के युग में महिलाएँ उनका मार्गदर्शन करेंगी।"

एक पड़ाव पर बाबा पहुँचे तो देखा कि महिलाएं भी जमा हैं। उनकी वेष-भूषा को देखकर समझ गये कि संपन्न घरानों की हैं। बाबा ने कहा : "इन गहनों ने बहनों को कैदी बना दिया है, जिसकी वजह से पुरुषों का आसरा तकती हैं। बहनों को शांति-रक्षा और शील-रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये तभी आ सकेंगी जब गहनें छोड़ेंगी।" यह सुनते ही एक बहन उठी और अपने कान के आभूषण बाबा को निकाल कर दिये। कई बहनों ने ऐसा किया। श्री ध्वजा बाबू बाबा के पास ही बैठे हुए थे। बाबा ने वह चीजें उनकी तरफ बढ़ा दीं और कहा : "इस तरह बहनें करेंगी और ग्रामदान एवं शांति सेना का काम उठा लेंगी तो क्रांति जल्दी आयगी और समाज उन्नत होगा।"

पहले की आनंद-यात्रा और अभी की तूफान-यात्रा - दोनों को मिलाकर देखें तो यह दावा किया जा सकता है कि शायद पिछली कई शताब्दियों में बिहार के जनजीवन में बाबा की तरह का शायद ही कोई व्यक्ति रम गया

होगा।' लाखों लोगों ने उनको देखा है और उनके मुख से क्रांति का संदेश सुना है। मानों बिहार की दो पीढ़ियों से बाबा एकरूप हो गये हैं और यहां एक खास समा बंध गया है, जो भारत के दूसरे सूबों में मुश्किल से दीखेगा। तूफान-यात्रा ने बिहार के मानस को बहुत गहराई तक स्पर्श किया है और भूमि तथा स्वामित्व संबंधी पुरानी मान्यताओं एवं धारणाओं को हिला दिया है। इसी का नतीजा है कि बिहार में अब प्रखंडदान की धारा बह निकली है।

छठा अध्याय

प्रखंडदान का प्रवाह

शनिवार १६ जुलाई, १९६६। शाम का समय। साहबपुर-कमाल (जिला मुंगेर) में जनता की आम सभा।

बाबा मंच पर आये। आकाश 'जय जगत', 'जय ग्रामदान' और 'संत विनोबा की जय' के नारों से गूंज उठा।

खड़े-खड़े बाबा ने सबको प्रणाम किया और फिर बैठ गये।

तब उनके सामने पहुँचे श्री ब्रजमोहन शर्मा, जिनके पास ग्रामदान के घोषणापत्रों का ऊँचा-सा गट्ठर था।

गद्‌गद् वाणी में शर्माजी बोले—बाबा साहबपुर-कमाल का प्रखंडदान आपके चरणों में समर्पित है।

यह कहते-कहते उनकी आँखों से आँसू ढुलक पड़े।

* * *

गत ६ जुलाई को बाबा बिहपुर (भागलपुर) में ठहरे हुए थे। श्री वैद्यनाथ बाबू से आगे के कार्यक्रम की बात चल रही थी। बिहपुर के बाद बाबा का निवास पूसारोड में होने वाला था। दोनों के बीच की दूरी लगभग ११२ मील की है। तो सोचा गया, बीच में एक दिन बाबा कहीं रुकें।

इत्तफाक से श्री ब्रजमोहन शर्मा मौजूद थे। शर्माजी मुंगेर जिला सर्वोदय मंडल के अग्रणी हैं और बिहार के प्रतिष्ठित सर्वोदय-सेवक हैं। लगभग पाँच वर्ष तक उन्होंने बिहार में सतत पदयात्रा की है और उत्तर मुंगेर का तो हर आदमी उनकी सेवाओं से परिचित है।

श्री वैद्यनाथ बाबू ने शर्माजी से कहा—आपके मुंगेर में एक पड़ाव रखा जा सकता है।

ब्रजमोहनजी बोले—जरूर रखिये।

मगर समझ में नहीं आता था, कहाँ रखें। सब चुप थे। तब बाबा ने नक्शा देखकर कहा—साहबपुर-कमाल में पड़ाव रखा जा सकता है। वह लगभग बिहपुर से ८० मील है।

ब्रजमोहनजी ने कहा—अच्छा बाबा।

बाबा—लेकिन वहाँ का प्रखंडदान होना चाहिए।

यह सुनकर सब बाबा की तरफ ताकने लगे। अचानक ब्रजमोहनजी के मुंह से निकल गया—हो जायगा, बाबा!

श्री वैद्यनाथ बाबू ने पूछा—आपने कैसे कह दिया कि हो जायगा? प्रखंडदान क्या आपकी जेब में रखा है? इतना बड़ा प्रखंड, बड़े-बड़े काश्तकारों का इलाका! और आपकी सारी शक्ति तो गोगरी प्रखंड में लगी है। आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं हैं। लेकिन आपने कह दिया, हो जायगा। कैसे होगा?

बाबा—हमें भी लगता है कि वहां अगर मेहनत से काम किया जाय तो प्रखंडदान हो जायगा।

वैद्यनाथ बाबू—लेकिन बाबा। समय भी तो नहीं है। ६ तारीख आज हो चली। १६ को आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं। ६ ही दिन तो बीच में हैं।

ब्रजमोहनजी ने दृढ़ता के साथ दोहराया—हाँ बाबा, हो जायगा।

बाबा—तो साहबपुर-कमाल का कार्यक्रम निश्चित।

* * *

७ जुलाई।

सबेरे ही ब्रजमोहनजी साहबपुर-कमाल पहुँच गये। उनका घर भी उसी क्षेत्र में है। उन्होंने अपने दो मित्रों को बुलाया—कमलधारी बाबू और सरजू बाबू को। कल की सारी बातचीत उन्हें बतायी और कहा—बाबा को प्रखंडदान का हम वचन दे आये हैं! हमारी, आपकी, सबकी लाज कैसे बचे, यह सवाल है।

कमलधारी बाबू—हाँ, हो जायगा!

सरजू बाबू—हमें भी लगता है कि हो जायगा! इधर जो हवा हम देख रहे हैं, उसके बल पर हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हो जायगा!

* * *

८ जुलाई।

श्री रामनारायण बाबू* के भेजे हुए पांचों जवान आ गये। कुछ और मित्र भी जमा हो गये।

---

* बिहार के एक प्रमुख सर्वोदय-सेवक।

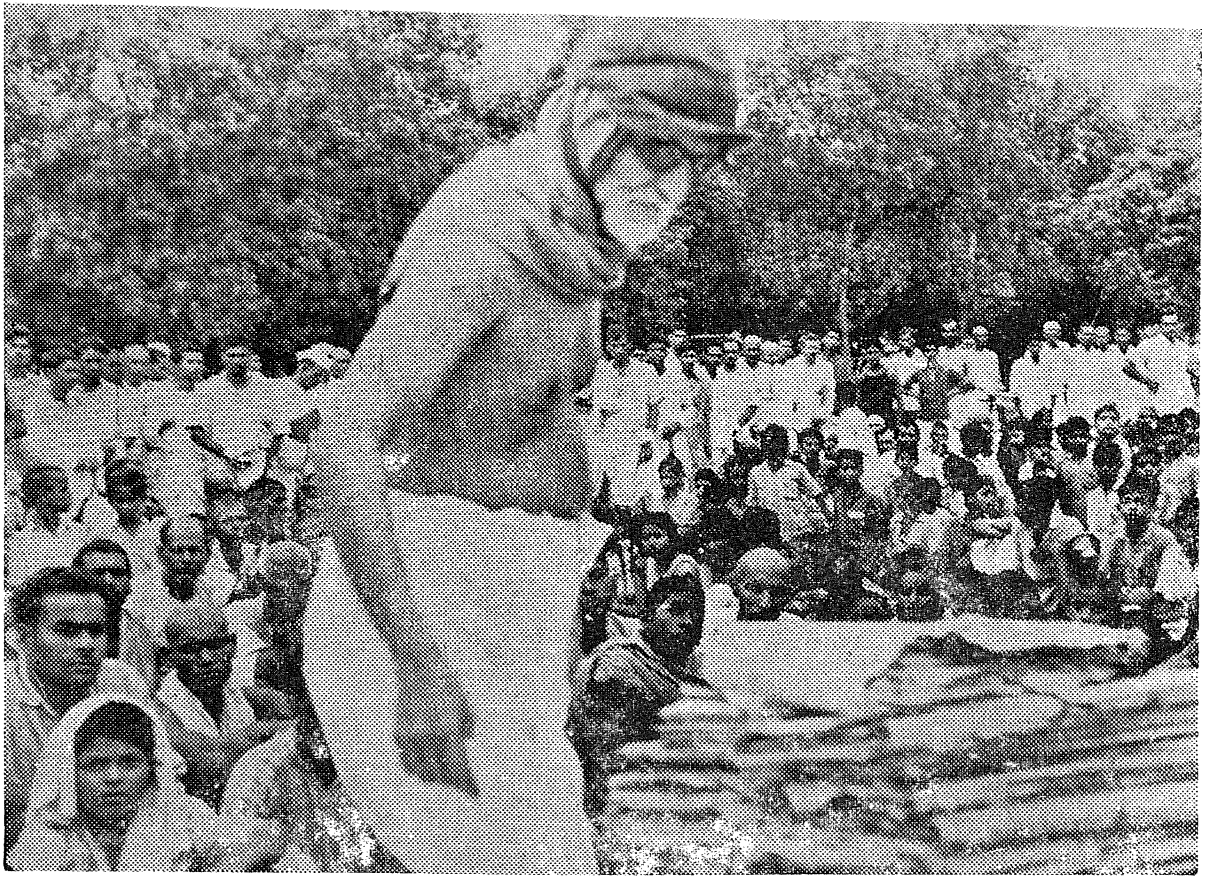

संत विनोबा : प्रखंड भर के ग्रामदानपत्रों का निरीक्षण करते हुए।

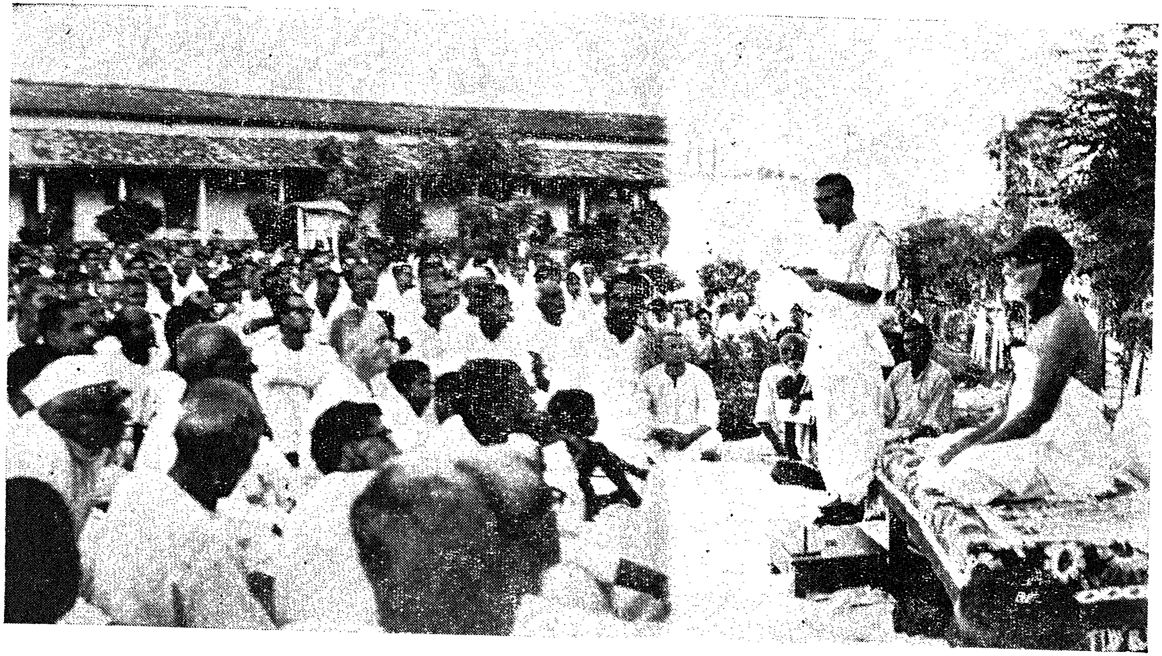

सायंकालीन सभा में विनोबा : श्री कृष्णराज मेहता ग्रामदान की प्रगति का विवरण पढ़ रहे हैं।

ब्रजमोहनजी ने कहा—देखो, इस प्रखंड में ६३ गाँव हैं। सात टोलियाँ रहेंगी, हर एक में तीन-तीन आदमी। हर टोली के हलके में नौ या दस गांव रहेंगे। हम आपको इन गाँवों के नाम और वहाँ के काश्तकारों और प्रमुख लोगों की सूची देते हैं। आपका काम यह होगा कि आप इनमें से हरएक से मिल लें, बात करें और देखें कि कौन ग्रामदान के लिए राजी हैं, कौन नहीं। जो राजी न हों, उनके नाम पर निशान लगा लीजियेगा और जब हम आपके यहाँ पहुँचें तो हमें सब जानकारी दीजियेगा।

सात तारीख को ही ब्रजमोहनजी ने पूरी व्यूह-रचना कर ली थी।

थोड़ा रुककर ब्रजमोहनजी बोले—लेकिन एक शर्त है। सात दिनों तक पूरी तरह इसमें पिल पड़ना है। घर का मुंह नहीं देखना है।

उनमें से एक युवक ने कहा—पक्की बात है। पहले यह काम होगा, बाद में दूसरा कुछ। घर में भाई मर गया हो तो कोई परवाह नहीं। लाश पड़ी रहेगी। दिन में यह काम करेंगे और रात में जाकर भाई को फूकेंगे।

ब्रजमोहनजी—बस, इसी भावना से काम करना है।

सब टोलियाँ निकल पड़ीं।

* * *

ब्रजमोहनजी, कमलधारी बाबू और सरजू बाबू ने अपने लिए यह निश्चय किया कि हम रात-दिन पूरे प्रखंड में घूमेंगे और सबसे मिलेंगे। उन्होंने एक जीप ले ली और निकल पड़े।

आगे बढ़ने के पहले इन दोनों मित्रों का—कमलधारी बाबू और सरजू बाबू का परिचय देना जरूरी है। ये दोनों ही संपन्न घरानों के हैं, धनाढ्य और प्रतिष्ठावान हैं तथा ब्रजमोहनजी के पुराने मित्र हैं। जिन दिनों ब्रजमोहनजी भूदान के लिए पदयात्रा करते थे, उसी समय उन्होंने कुछ भूदान-साहित्य कमलधारी बाबू को दिया था। उन्होंने उसे पढ़ा और बड़े प्रभावित हुए। तब से वे इस विचार के अनुकूल हो गये। आज वे स्वयं ही नहीं, बल्कि उनका सारा परिवार भू-क्रांति के काम में जुटा है। सरजू बाबू आरंभ में बहुत विरोधी थे। तरह-तरह के तर्क-वितर्क करते थे। लेकिन जब सुलभ ग्रामदान की कल्पना आयी तो उन्होंने इसमें सबका हित देखा—गरीब भूमिहीन का

और संपन्न भूमिवान का भी। अब तो वे इसके प्रबल समर्थकों और सेनानियों में से हैं।

* * *

टोलियां तो अलग-अलग गांवों में निकल गयीं। जीप से ब्रजमोहनजी चले। कमलधारी बाबू और सरजू बाबू साथ थे। जीप चला रहे थे कमल धारी बाबू के सुपुत्र सर्वजीत बाबू।

सबसे पहले साहबपुर-कमाल पंचायत के एक बड़े गांव में गये। वहां ज्यादातर आबादी मुसलमान भाइयों की है। कमलधारी बाबू को देखकर लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि वे अपने घर से कम निकलते थे। ब्रजमोहनजी भी बहुत दिनों के बाद वहाँ गये थे। गाँव के मुखिया ने पूछा—कहिये, कैसे तकलीफ की ? ब्रजमोहनजी ने ग्रामदान का विचार समझाया और कहा—जगह-जगह के लोग जमीन की मालकियत छोड़ रहे हैं और ग्रामदान-प्रखंडदान कर रहे हैं। आपको भी इस तहरीक में आगे आना चाहिए। इसके पीछे बुनियादी ख्याल यह है कि जमीन की मालकियत सिर्फ अल्लाह की ही हो सकती है। किसी भी आदमी के लिए अपने को जमीन का मालिक कहना पाप और गुनाह समझा जाना चाहिए।

बड़े ध्यान से लोगों ने सुना। इसके बाद एक जवान ने सवाल पूछा—ग्रामदान में आप जमीन की मालकियत सरकार के सुपुर्द कर देते हैं। तब बाल-बच्चों के लिए क्या इन्तजाम है ?

ब्रजमोहनजी ने जवाब देते हुए कहा—माफ कीजिये, आप ग्रामदान को समझे नहीं। ग्रामदान की खासियत यह है कि उसमें आप अपनी जमीन की मालकियत सरकार के नहीं, बल्कि ग्रामसभा के सुपुर्द करते हैं और वह ग्रामसभा गांव के सब बाशिन्दों की एक राय से काम करती है। फिर दूसरी खूबी यह है कि जमीन पर खेती करने का और विरासत में औलाद को देने का हक बरकरार रहता है।

उस नौजवान ने कहा—बहुत खूब। इसका मतलब मैं यह समझा कि सरकारी व्यवहार ग्रामसभा करेगी और खेती वगैरह हम पहले की तरह खुद करते रहेंगे।

ब्रजमोहनजी—इतनी बात जरूर करनी होगी कि अपनी जमीन का बीसवां हिस्सा अपने गांव के बेजमीनों के लिए छोड़ना होगा।

थोड़ी देर में यह सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा—यह हमें खुशी से मंजूर है। यह एक ऐसा ख्याल है कि अगर सब लोग इसे अमल में ले आयें तो हमारे देहात की मुसीबत दूर हो जायगी, और गांव फिर से खुशहाल होंने लगेंगे।

मुखिया बोले—सब सुनकर हमें यह लगता है कि यह बहुत माकूल ख्याल है। ये सारे लोग साहबपुर-कमाल ब्लाक के दान के लिए निकले हैं। हमें इनकी बात मंजूर करनी चाहिए।

ब्रजमोहनजी ने उनके सामने घोषणा-पत्र रख दिया। उन्होंने दस्तखत कर दिये। फिर तो एक के बाद एक दस्तखत होने लगे और ग्रामदान का एलान हो गया।

* * *

दूसरा गांव।

ब्रजमोहनजी ने विस्तार के साथ ग्रामदान का विचार रखा। एक सज्जन खड़े हुए जो कमलधारी बाबू के पुराने मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा—शर्माजी की यह बात हमें बहुत पसन्द आयी; अब डूबेंगे तो गांव के सब घर एक साथ डूबेंगे, और बचेंगे तो सब एक साथ बचेंगे। जो सबकी गति वही हमारी गति।

क्षण भर रुक कर वे बोले—लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आता कि अब तक कमलधारी बाबू ने ग्रामदान के लिए हस्ताक्षर क्यों नहीं किये। अगर वे पहले आगे आते हैं तो हम उनके साथ हैं।

सभा का वातावरण एकदम बदल गया।

कमलधारी बाबू उठकर खड़े हो गये—हम तो दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सोचते थे कि अकेले हमारे करने से क्या होगा।

एक आवाज—जो आप करेंगे, वही हम सब करेंगे।

उन्होंने दस्तखत किये और तब दूसरों ने भी दस्तखत करना शुरू किया।

आधी रात हो चुकी थी, लेकिन सभा चल रही थी। जब सबके दस्तखत हो चुके और ग्रामदान की घोषणा हो गयी, तब कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सभा से जब लोग चलने लगे तो कुछ नवयुवकों ने ब्रजमोहनजी से पूछा—क्या हम भी आपके इस काम में लग सकते हैं?

ब्रजमोहनजी—इसे मेरा काम क्यों कहते हो, तुम्हारा ही काम है। तुम जवानों को ही यह करना है और पूरे प्रखंड में जा-जाकर एक-एक गांव का ग्रामदान कराना है।

उन्होंने भी अपना कार्यक्रम सबेरे से ही घूमने का बना लिया।

* * *

६ जुलाई।

सवेरे आठ बजे ब्रजमोहनजी जिस गांव में पहुँचे, वहां पर कल से आयी हुई टोली के एक कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ बड़ी विचित्र हालत है; भूमिवान तो राजी हैं ग्रामदान के लिए, लेकिन भूमिहीन खिलाफ हैं और वे किसी तरह नहीं मानते।

एक नवयुवक ने कहा—ग्रामदान में रखा ही क्या है? आप बीसवां हिस्सा दिलाकर उन्नीस हिस्से उनके पास हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। जहां हमने पीढ़ी-दर-पीढ़ी अब तक सब्र किया, वहां थोड़ा और सब्र करें। एक न एक दिन तो सारी जमीन जोतने वाले को मिलेगी ही। यों बहकाने में आज आ जायेंगे तो हमेशा पछताते रहेंगे।

उनमें से एक वयोवृद्ध बोले—बेटा, मिलने वाली चीज को छोड़ना ठीक नहीं। 'आधी छोड़ सारी को धावे, आधी खोवे न सारी पावे।'

दूसरा नवयुवक—दादा, बीसवें हिस्से में गांव के जब सारे भूमिहीनों की जरूरत पूरी नहीं होगी तो उसे लेने से फायदा क्या है?

ब्रजमोहनजी ध्यान से सुनते रहे। जब खिलाफ में सब लोग बोल चुके तो उन्होंने खड़े होकर कहा—आपकी शिकायत हम अच्छी तरह समझ गये। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि अंग्रेजी राज्य में झंडेवाले आते थे और आपको सुनहले सपने दिखा जाते थे। मगर उससे कुछ भला आपका हुआ?

जवाब—कुछ नहीं।

ब्रजमोहनजी—स्वराज्य के बाद कांग्रेस ने जमींदारी खत्म की, मगर इस गांव में आपमें से किसी को एक कट्ठा भी जमीन मिली?

जवाब—किसी को नहीं।

ब्रजमोहनजी—चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस और अनेक पार्टीवाले यहां आये और तरह-तरह के सब्जबाग दिखला गये। लेकिन किसी गरीब को उससे कुछ भी हासिल हो पाया?

जवाब —किसी को नहीं।

ब्रजमोहनजी—सन १९५२-५३-५४ में विनोबाजी हमारे बिहार में घूमे तो इस इलाके में भी आये थे ?

जवाब - आये थे।

ब्रजमोहनजी—इस गांव में उनको कुछ भूमिदान मिला था ?

एक आवाज – करीब पांच एकड़।

ब्रजमोहनजी—वह पांच एकड़ जमीन क्या हुई ?

एक आवाज – उसे चार आदमी जोत-बोकर खेती कर रहे हैं।

ब्रजमोहनजी—तो आप खुद सोचिये कि वायदे करने वाले आये और चले गये, लेकिन गांव को कुछ नहीं दे सके। मगर विनोबाजी आये और आपको पांच एकड़ जमीन दिला गये।

जवाब—सो तो ठीक है।

ब्रजमोहनजी—उन्हीं विनोबाजी ने अब ग्रामदान का मंत्र दिया है। इससे आज आपको खेती के लायक जमीन मिलेगी, जमीनवाले अपनी मालिकी छोड़कर गांव के नाम जमीन लिखेंगे, हर बालिग मर्द-औरत जिसमें शामिल हो, ऐसी ग्रामसभा बनेगी और एक ग्रामकोष बनेगा, जिसमें सभी किसान मन पीछे एक सेर उपज का हिस्सा देंगे और मजदूर एक दिन की मजदूरी देगा। आप समझे ?

जोरदार आवाज—समझ गये।

एक हरिजन भूमिहीन भाई ने दस्तखत किये, दूसरे ने अंगूठा लगाया। भूमिवानों के दस्तखत तो पहले से ही हो गये थे। बस, ग्रामदान हो गया।

दोपहर को दूसरे गाँव के लिए निकले। चार मील लम्बा दलदल था। जीप धीरे-धीरे जा रही थी। इतनी देर में पानी बरस गया। पौन घंटे तक खूब मूसलाधार बारिश हुई। ब्रजमोहनजी और उनके साथी भींग गये और जीप भी दलदल में फँस गयी।

एक वयोवृद्ध ने कहा—जब बारिश हुई तो हम समझ गये कि आपकी गाड़ी दलदल में फंस जायगी और यह दलदल ऐसा भयानक है कि भगवान ही बचाये। ढोर इसमें से नहीं निकल पाते, जीप की कौन कहे। इस वास्ते गाँव के लोग आये हैं, ताकि जीप कन्धे पर उठाकर आपको दलदल पार करा दें।

कैसा अनोखा है यह प्यार !

बोलो 'संत विनोबा की जय', 'गांधी महात्मा की जय'—कह कर उन्होंने जीप को उठा लिया और हँसी-खुशी उसे दलदल के पार पहुँचा दिया।

* * *

इस प्रकार सारे प्रखंड में धूम मच गयी। जहाँ ग्रामदान होता, वहाँ के लोग ही दूसरे गाँव में जाकर ग्रामदान का विचार समझाते। जैसे एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है, उसी तरह एक ग्रामदान से दूसरा ग्रामदान होता था। क्या जवानों में, क्या बूढ़ों में, सब में उत्साह की लहर दौड़ गयी थी।

साहबपुर-कमाल में ६६ गाँव हैं, परिवार संख्या १२,१३६ आबादी ६८,०४७ और काश्त के लायक जमीन का रकबा २६,२१५ एकड़ है। इनमें से ४५ गाँव १०,१२० परिवार और आबादी ५८,१६५ और करीब २७,००० एकड़ जमीन ग्रामदान में शामिल हुई।

इस तरह साहबपुर-कमाल का प्रखंडदान हो गया। लोगों की जनशक्ति के सहारे जितना काम हो सकता है, उसका अगर प्रमाण देखना हो तो यह प्रखंडदान में मिलेगा। साहबपुर-कमाल का प्रखंडदान सचमुच एक कमाल है। सर्वोदय आंदोलन के विकास में यह एक अभूतपूर्व कदम है। विश्व के इतिहास में भूमि-क्रांति की दृष्टि से यह एक अद्भुत घटना है।

लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? कहां पहले भूदान भी मुश्किल से मिलता था, और अब सात दिन के अन्दर प्रखण्डदान होने लगे! इससे पता चलता है कि भू-क्रान्ति का यह मार्ग भारतीय प्रतिभा के अनुकूल है। वह समय की मांग को पूरा करता है और जनता उस पर चलने के लिए तैयार है।

यहां एक सवाल उठ सकता है कि पहले भूदान में भी छठा हिस्सा मांगा जाता था, लेकिन ग्रामदान में बीसवें हिस्से पर ही संतोष कर लिया गया। बात ऐसी नहीं है। सच यह है कि जब छठा हिस्सा मांगा जाता था, तो बाकी पांच हिस्से पर दाता की कानूनी मिल्कियत कायम रहती थी। व्यक्तिगत दान हो जाता था, पर समाज के लिए समर्पण कुछ नहीं होता था। अब ग्रामदान में सारी जमीन की मिल्कियत व्यक्ति की न रहकर ग्राम-सभा

की हो जाती है और स्वेच्छा से होती है। दुनिया में भूमि-सम्बन्धी कोई क्रान्ति इससे अधिक की आकांक्षा नहीं कर सकती।

फिर हमें यह भी नहीं भूलना है कि समाज का प्रवाह हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। अगर बीसवें हिस्से से भूमिहीनों का काम नहीं बनता है और गांव का हित नहीं सधता है तो ज्यादा भी मांगा जा सकता है। उड़ीसा के ग्रामदानी गांवों में यह दृश्य देखने में आया। वहाँ यदि बीसवाँ हिस्सा भूमिहीनों के लिए काफी नहीं पड़ता था तो ग्राम-सभा की सिफारिश पर भूमिवानों ने तुरंत उतना और देकर, दसवाँ हिस्सा पूरा कर दिया। इसी तरह जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा हिस्सा खुशी से लोग दिया करेंगे।

सवाल हिस्सा देने का नहीं है, बल्कि लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर बनाने का है। इसे विनोबा चेतन संयोग कहते हैं। आज तो आपस में अविश्वास है, द्वेष है, तिरस्कार है, और क्या नहीं है। एक बार गांव का वातावरण बदला और आपस के रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा, इतमिनान और भाईचारा पैदा हो गया तो कुल की कुल जमीन भी ग्राम-सभा को सौंपने में एतराज नहीं होगा। ग्राम-सभा की नेकनीयती और सचाई और साख कायम हुई तो उसके इशारे पर सारी जमीन छोड़ देना या ऐसा कोई कदम उठाना मुश्किल नहीं होगा।

इलाहाबाद जिले के एक ग्रामदानी गांव, बरनपुर, का किस्सा है। एक विधवा के पास ३० एकड़ जमीन थी। वह उसने ग्रामदान में दे दी थी। उसका सात वर्ष का इकलौता लड़का था। किसी ने उससे पूछा—"तुमने अपनी सब जमीन तो दे डाली, कल अगर तुम्हारी आँखें मुंद जायें तो तुम्हारे लड़के को कौन संभालेगा ?"

अत्यन्त शांत मुद्रा में उस महिला ने जवाब दिया—"अब ग्रामदान होने पर सारा गांव मानो एक परिवार बन गया है और मेरी सब चिन्ता मिट गयी है। अब गांव का परिवार ही मेरे लड़के को अच्छी तरह संभालेगा जैसा कोई मां-बाप भी नहीं कर सकते।" फिर क्षण भर रुककर वह बोली—"भगवान चाहे तो मुझे अभी उठा ले। मैं बड़ी खुशी और शांति से चलने को तैयार हूँ।"

* * *

शुरू में जब तूफान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामदान मिले तो ज्यादातर छोटे गांव मिले थे। मामूली टोले आ रहे थे और अकसर राजस्व गांव (रेवेन्यू विलेज) शामिल नहीं होता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन श्री वैद्यनाथ बाबू की मौजूदगी में श्री गौरी बाबू ने बाबा के सामने शिकायत पेश की और कहा कि ऐसे टोलों के दान से हम तो बहुत तंग आ गये हैं और आखिर में जब कानूनी जांच में ये ग्रामदान फेल करेंगे तो हर कोई मेरा ही गला दबायेगा। वैद्यनाथ बाबू ने कहा—"ऐसी बात नहीं है। अगर किसी टोले की आबादी कम-से-कम सौ हो तो उसका ग्रामदान कानूनी तौर से मान लिया जायेगा।"

लेकिन गौरी बाबू को संतोष नहीं हुआ। वे दु खी होकर बाबा से कहने लगे—"ये चीजें रुकनी चाहिए।"

बाबा ने कहा—"यह तो समुद्र है, इसमें नदियां भी आयेंगी, नाला भी आयेगा।"

लेकिन गौरी बाबू का समाधान नहीं हुआ।

अन्त में बाबा बोले—"यह झगड़ा सत्य विरुद्ध प्रेम का है। दोनों का हक है।"

अब, इस प्रखण्डदान में टोलादान का पूरा इलाज है। शायद इसी वजह से पूर्णिया जिले की यात्रा में जब बाबा को भेंट किये जाने वाले ग्रामदानों की तायदाद बढ़ने लगी तो उन्होंने कटिहार की आम सभा में कहा—"आप कहते हैं कि चालीस ग्रामदान, साठ ग्रामदान, या सौ ग्रामदान। लेकिन अब मुझे इतने बड़े आँकड़े नहीं चाहिए। मैं तो छोटा-सा आंकड़ा चाहता हूँ—एक प्रखण्डदान, दो प्रखण्डदान। इस तरह एक-दो, छोटी गिनती बोलिये तो मेरे लिए बस है।"

अब तो बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाड में भी प्रखण्डदान खूब होने लगे हैं। सच तो यह है कि तमिलनाड में तालुका-दान या अनुमंडल-दान भी हो चुके हैं। वहाँ जनशक्ति का भी विराट दर्शन हो रहा है। वहाँ के सर्वोदय आन्दोलन के प्राण श्री जगन्नाथनजी ने एक भूमिसेना का संगठन खड़ा किया है। उनकी योजना है कि इस सेना के द्वारा एक साल के अन्दर तिरुनेलवेली जिले में कम-से-कम सौ कुएँ खुदवा लें।

श्रमदान-सेना के लोग करेंगे और सामान के लिए जो पैसा लगेगा उसकी व्यवस्था स्थानीय सहायता लेकर किया जायगा।

जगन्नाथनजी की भूमि-सेना में सैकड़ों जवान अभी तक भर्ती हो चुके हैं। ये ज्यादातर १८ और ३५ साल के बीच के हैं। कोशिश यह होगी कि इसमें एक हजार नवयुवक शामिल हो जायँ। कुआँ खोदने के साथ-साथ भूमि-सुधार, बांध बनाने, पुराने कुओं और तालाब की मरम्मत, सड़क आदि बनाने के काम भी किये जायेंगे। इस तरह ग्रामदान और प्रखण्डदान के विधायक परिणाम सामने आ रहे हैं।

* * *

अगर कोई पूछे कि प्रखण्डदान हासिल करने की तरकीब क्या है, तो कोई एक जवाब हमेशा के लिए देना मुश्किल है। कई तरीके सामने आये हैं। बिहार का पहला प्रखण्डदान हजारीबाग जिले में प्रतापपुर प्रखण्ड का हुआ। उसकी कहानी बताते हुए, श्री श्याम प्रकाश सिंह (संयोजक, जिला सर्वोदय मंडल) ने 'ग्रामोदय' साप्ताहिक में लिखा है : "पचीस कार्यकर्ताओं के साथ प्रतापपुर प्रखण्ड में काम शुरू हुआ। दो-दो कार्यकर्ताओं की टोलियाँ बनीं और एक-एक पंचायत के सभी गांवों में उन्हें भेजा गया। जैसे-जैसे ग्रामदान मिलने लगे, ग्रामदान मांगने वालों की तायदाद भी बढ़ती गयी। हर सप्ताह हमलोग आपस में मिलते थे और काम का लेखा-जोखा करते थे। अशिक्षित होने के कारण इस प्रखण्ड के बहुत-से लोगों ने ग्रामदान-संकल्पपत्र पर दस्तखत करने की बजाय अंगूठे का निशान ही लगाया, और बड़े इतमिनान और भरोसे के साथ लगाया।

प्रतापपुर प्रखण्डदान का अभिनन्दन करते हुए बाबा ने एक पत्र दिया था और उस पर अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ अंगूठे का निशान भी लगाया था। अपने संदेश में उन्होंने कहा था :

इन दिनों ग्रामदान तूफान में बिहार ने अच्छा काम किया है और ग्रामदान की संख्या साढ़े आठ हजार से कुछ ज्यादा हो गयी। यह एक अच्छा यश माना जायगा। उसमें भी हजारीबाग जिले ने प्रतापपुर प्रखण्डदान प्राप्त करके सारे बिहार के लिए प्रखण्डदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह हजारीबाग के लिए गौरव की बात है। प्रतापपुर प्रखण्ड में जो हालत है,

वहीं आसपास के अनेक प्रखण्डों में है। मैं आशा करता हूँ कि सारा का सारा चतरा अनुमंडल त्वरित ग्रामदान में आ जायगा।

वहाँ की सारी जनता अशिक्षित होने के कारण अंगूठे की अधिकारी हैं। इसलिए मैंने इस अभिनन्दन-पत्र पर अपने दस्तखत के साथ अंगूठा भी जोड़ दिया है। जय जगत! जय ग्रामदान!

रानीपतरा, जिला पूर्णिया (अंगूठे का निशान)
बिहार प्रदेश, ५-६-१९६६ विनोबा

पलामू जिले में गारू का प्रखण्डदान हुआ है। इसमें स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग मिला था। वहाँ का अनुभव बताते हुए श्री कर्मवीर प्रसाद सिंह ने 'ग्रामोदय' में लिखा है—"हर बड़े गांव में हमको चार से छः बार तक जाना ही पड़ा। एक गांव के मुखिया हैं जो हैं तो आदिवासी, लेकिन संस्कार सरकार का है। उनसे चार बार मिला तो एक ही उत्तर देकर वे लौटाते रहे कि गांववालों से सम्मति लेकर ही जवाब देंगे। एक दिन गांव की सभा हुई तो मालूम हुआ कि हमलोग ग्रामदान के बारे में जो कुछ कहते हैं, ठीक उसके विपरीत, वे मुखिया गांववालों को समझाते हैं। उस सभा में तीन घंटे तक सवाल-जवाब होते रहे। अब मुखियाजी के पास सवाल कोई नहीं रहा, लेकिन जवाब यही देते रहे कि गांव की राय लूंगा तब! इतने में एक आदमी उठा और बोला कि हमने ग्रामदान समझ लिया है, हम हस्ताक्षर करेंगे। बात-बात में पन्द्रह हस्ताक्षर हो गये। अब मुखियाजी की समझ में आया कि गांव का रुख ग्रामदान के पक्ष में है। झट उन्होंने भी आकर हस्ताक्षर कर दिये। इस तरह वह ग्रामदान हो गया।"

कह सकते हैं कि प्रतापपुर और गारू की जमीन तो पहाड़ी है और उसका ज्यादा महत्व नहीं है। इस शंका का जवाब उत्तर बिहार के प्रखण्डदानों में मिलता है। पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और दरभंगा जिले के जो इलाके प्रखंडदान में आये हैं, वे उपजाऊ जमीन वाले हैं। यहाँ की मिट्टी के बारे में कहते हैं कि सोना उगलती है।

भागलपुर जिले में बिहपुर का प्रखण्डदान कराने में शिक्षकों का बड़ा सहारा मिला। हमारे एक साथी श्री शमशेर बहादुर सिंह 'शतदल' जब उस प्रखण्ड में गये तो पहले एक पाठशाला में पहुँचे। वहाँ गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे।

उनकी उम्र ५० से कुछ ज्यादा होगी। शमशेरजी ने उनसे ग्रामदान के बारे में पूछताछ की तो गुरुजी ने बताया कि "हमारे गांव का ग्रामदान हो चुका है और हमने स्वेच्छा से संकल्पपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामदान का आन्दोलन शीघ्र सफल हो।"

इस क्षेत्र में प्रखण्डदान-प्राप्ति के लिए प्रो० रामजी सिंह ने 'हरिबोल' की पद्धति निकाली थी। उन्होंने देखा कि जब वे गांव में ग्रामदान के लिए जाते थे तो शाम की सभा में लोग राजी तो हो जाते थे, लेकिन दस्तखत करने से बचने का प्रयास करते थे और कह देते थे कि अब तो भोजन आदि होगा, और फिर कल सवेरे देखा जायगा। रामजी बाबू को क्या सूझा कि उन्होंने एक गांव में लोगों से कहा कि आप सब भोजन करने बैठिये, लेकिन जो लोग ग्रामदान को समझ गये हैं और खुशी से राजी हैं, वे दस्तखत करना शुरू कर दें। अब उधर 'हरिबोल' के साथ लोग भोजन करना आरंभ करते थे, इधर 'हरिबोल' के साथ हस्ताक्षरों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रामजी बाबू ने देखा कि इस तरह काफी दस्तखत पहले फेरे में हो जाते हैं और फिर बाद का काम आसान हो जाता है। उन्होंने सफलतापूर्वक यह 'हरिबोल' पद्धति अपनायी और कई प्रखण्डदान हासिल किये।

दरभंगा जिले में खादी का काम बहुत बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित ढंग से चलता है। वहाँ की खादी ने ग्रामदान के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। वहाँ के अधिकांश निवासी कुशलतापूर्वक चर्खा चला लेते हैं। जब उनको यह बताया गया कि उनके सूत की बुनाई मुफ्त हो जायेगी, तो ग्रामदान के लिए उनका उत्साह बढ़ा; क्योंकि ग्रामदान होने पर जब हर परिवार के पास कुछ-न-कुछ जमीन हो जायगी तो कपास उपजाने की पूरी सुविधा रहेगी। घर की कपास होगी, घर की पूनी होगी, घर की कताई होगी, और बुनाई मुफ्त की होगी। इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया — और ठीक ही लगाया—कि ग्रामदान होने से हम खाने और कपड़े के मामले में किसी के मुंहताज नहीं रहेंगे और अपनी मेहनत से, इज्जत और आबरू के साथ अपना पेट भर सकेंगे और तन ढँक सकेंगे।

ग्रामदान के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कहीं-कहीं लोक कला मंच का कार्यक्रम आचार्य राममूर्तिजी की देखरेख में शुरू किया गया। इसमें नाटक, प्रहसन और कथा-कहानी रहा करती हैं जिससे गांवों की आज की

स्थिति और ग्रामदान से होनेवाली क्रान्ति की झांकी मिल जाती है। संगीत और भजन आदि का भी कार्यक्रम रहता है। मुंगेर और भागलपुर दोनों जिलों में लोक कला मंच बहुत सफल हुआ और इसके अच्छे परिणाम सामने आये। इस आयोजन को प्रदेश के हर जिले में पहुँचाने की तैयारी चल रही है।

ग्रामदान के काम में बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ तथा अन्य रचनात्मक संस्थाएं भी जोरदार ढंग से साथ दे रही हैं। मधुबनी में १० नवम्बर को श्री ध्वजा बाबू ने कार्यकर्ताओं से कहा था : "हम तो हमेशा के जुआड़ी रहे हैं। बनाया, फूँक दिया और फिर बना लिया। आपलोग यह जो बड़े-बड़े मकान देख रहे हैं, उनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर यह चले जायेंगे तो फिर और चीज खड़ी होगी जो इससे भी ज्यादा लोकप्रिय और लोकाधारित होगी।"

रानीपतरा में बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ ने तूफान को वेग देने के लिए यह निश्चय किया कि संघ अपने छः में से एक कार्यकर्ता को तूफान में पूरा लगा देगा। इस तरह संघ के चार सौ कार्यकर्ता पूरे समय के लिए ग्रामदान तूफान में लगे रहेंगे। अगर यह संख्या कम समझी गयी तो संघ और भी कार्यकर्ता इस काम में लगाने पर विचार करेगा। संघ की मान्यता है कि ग्रामदान से ही खादी घर-घर में प्रवेश कर सकेगी। हमारा नारा होगा : जो कातें वे पहनें ; गांव का अनाज गांव में रहे और कपड़ा खरीदने के लिए कोई बाहर न जाय।

रानीपतरा में संघ की नीति स्पष्ट करते हुए संघ के मंत्री श्री राजकिशोर प्रसाद ने कहा : "हम अनुभव करते हैं कि बिना ग्रामदान के खादी का असली स्वरूप प्रकट नहीं होगा, और बिना खादी के ग्रामदान प्राप्त होने पर भी कमजोर रहेगा। इसलिए हमारी योजना होगी कि जहां ग्रामदान हुआ है, वहां खादी का प्रवेश हो और जहां खादी है, वहां ग्रामदान प्राप्त हो।"

रानीपतरा में सम्मेलन की तरफ से, सर्वसम्मति से, एक निवेदन प्रकाशित किया गया। उसमें कहा गया : "अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। हमारी उपलब्धि भले ही बड़ी दीखती हो, किन्तु हमारा यह आरंभ है, अन्त नहीं। जब तक बिहार का प्रत्येक गांव ग्रामदान में शामिल नहीं हो जाता, तब तक हम अपने सातत्य एवं सम्पूर्ण निष्ठा से इसमें लगे रहेंगे। प्रस्तुत उपलब्धि

ने आन्दोलन एवं कार्यक्रम की सफलता के प्रति हमारी आस्था और जनता का विश्वास दृढ़ किया है।"

उपर्युक्त सारे प्रयत्न बहुत बलशाली और प्रभावकारी हैं। लेकिन बिहार के प्रखण्डदान का रहस्य यहां के मित्रों और साथियों की अपनी निजी तैयारी में है। जिस श्रद्धा, निष्ठा और बलिदान की भावना से वे इस क्रांति में लगे हैं, उसकी मिसाल अन्य प्रान्तों में मुश्किल से मिलेगी। इसका दर्शन जो ४-५ जून, १९६६ को सर्वोदय आश्रम, रानीपतरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ। उस समय तक बिहार में ८,५८७ ग्रामदान मिल चुके थे, लेकिन इसका अहंकार किये बिना उन्होंने रानीपतरा में भीषण आत्म-निरीक्षण किया। आचार्य राममूर्तिजी बोले कि "ग्रामदान से ज्यादा जोर ग्रामदान के कागज पर पड़ गया...नतीजा यह हुआ कि हमारी अपनी 'कान्सेन्स' तो ढीली हुई ही, ग्रामदान को जो सामाजिक 'कन्सेन्सस' मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली...। आपने कहा कि "नये नेतृत्व का निर्माण करना मेरी समझ में हमारे आन्दोलन की मुख्य समस्या है।"

यह स्वीकार करते हुए कि प्रचार कार्य में बहुत कमी है, श्री रामनन्दन सिंह बोले कि सभी तरह के लोगों को आन्दोलन का सर्वांगीण दर्शन नहीं हो पाया; बौद्धिक वर्ग को भी ग्रामदान की मुख्य जानकारी नहीं हो पायी है। श्री निर्मलचन्द ने कहा कि दस हजार के लक्ष्य में से आठ हजार ग्रामदान मिल चुके हैं, लेकिन जब हम जनसंख्या गिनते हैं तो मुश्किल से सवा तीन प्रतिशत लोग ग्रामदान में शरीक हुए दीखते हैं.. होना चाहिए था सोलह प्रतिशत, पर संभव हुआ सवा तीन प्रतिशत...हमारा आन्दोलन जन-आन्दोलन की दिशा में आगे नहीं बढ़ सका है और यह शंका होती है कि हमने कहीं कोई बड़ी भूल तो नहीं की। श्री कैलाश प्रसाद शर्मा ने बताया कि कुछ ही गांव के घोषणापत्र और समर्पणपत्र विहित रीति से पूर्ण-रूपेण भरे गये हैं; बाकी सारे के सारे घोषणापत्रों एवं समपर्णपत्रों पर सिर्फ हस्ताक्षर ही प्राप्त हुए हैं...उनका सारा ब्योरा भरना अभी बाकी है...एक के बाद दूसरे अभियान की योजना हम बनाते गये और कागजात भरने का काम अधूरा ही छूटता गया। श्री हरिकृष्ण ठाकुर ने निर्माण कार्य का हाल बताते हुए कहा कि ग्रामदानी गांव के विकास कार्यों में वर्तमान संगठन और वर्तमान कार्य-पद्धति अक्षम साबित हुई है।

जिले-जिले में जो अनुभव आ रहे हैं, उनकी रूपरेखा भी रानीपतरा में पेश की गयी। श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह ने बताया कि साम्प्रदायिक सद्-भावना के निर्माण में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। श्री त्रिपुरारि शरण बोले कि बनिया और महाजन, जिनका सारा व्यवहार ही ठगी और शोषण पर आधारित है, की ओर से प्रायः अड़चनें आती हैं...जहां ग्रामदान होता है, वहां वे कर्ज और खाने का सामान देना बन्द कर देते हैं और कई प्रकार की शंकाएं खड़ी करते हैं, जिससे ग्रामीण लोगों में नाउम्मीदी फैल जाती है। भाई गोखले ने कहा कि आज हम ग्रामदान से प्रखण्डदान के स्टेज में प्रवेश करने की कल्पना तो करते हैं, लेकिन 'स्टेज-बैरियर' को तोड़ने की ओर हमारा ध्यान नहीं है...हम यह भूल जाते हैं कि नये संदर्भ के लिए नयी पद्धति और नये संयोजन की आवश्यकता होगी और इसको पाना हमारे लिए अभी बाकी है। प्रो० रामजी सिंह ने कहा कि राजनीतिक पक्षों के नेताओं ने बाबा को तो आश्वासन दे दिया, लेकिन हमें उनका समय और सहयोग नहीं मिल सका...जनसहयोग तो मिल रहा है, लेकिन जनशक्ति का दर्शन नहीं हो रहा है...शिक्षित वर्ग हमारे आन्दोलन के प्रति बहुधा उदासीन ही रहा है।

कैसा आश्चर्यजनक और रोमांचकारी यह मंथन है! यही बिहार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रदेश में इतने खरे और गहराई में उतरने वाले कार्यकर्ता होंगे, वहां क्रान्ति किसी के रोके नहीं रुक सकती है। ऊपर से सोने में सुगंध का काम करता है श्री जयप्रकाशजी का नेतृत्व और बाबा की प्रेरणा। रानीपतरा में जयप्रकाशजी ने कहा—

"आज की परिस्थिति में हमको त्रिविध कार्यक्रम और उसके साथ जुड़े हुए पुराने कार्यक्रमों को छोड़कर नयी बात नहीं दीख रही है। ग्रामदान में भूमि-व्यवस्था का बुनियादी तौर से सुधार हो जाता है। अगर देश के कुल के कुल गांव ग्रामदान में आ जाते हैं, और गांव की पूरी व्यवस्था गांव के हाथ में आ जाती है, तो उसकी 'मेन स्ट्रीम' (मुख्य धारा) बन सकती है।...'मेन स्ट्रीम' लोक सभा में नहीं, लोक के बीच में है...इसके लिए हमने जो रास्ता पकड़ा है उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता हमारी नजर में नहीं आता।"

रानीपतरा में बाबा ने ही अपने एक बहुत बड़े निश्चय की घोषणा की—सूक्ष्म कर्मयोग में प्रवेश।

उन्होंने कहा—

"पहले से मेरी आकांक्षा रही है कि स्थूल कर्मयोग की जो एक मर्यादा है, उसके बाद उसको छोड़ना चाहिए और सूक्ष्म कर्मयोग में प्रवेश करना चाहिए। इससे कर्म ज्यादा होगा, कम नहीं।

"गांधीजी के पास पचास साल पहले मैं जून महीने में पहुँचा था, और घर छोड़कर निकल गया था उसको भी पचास साल पूरे हुए—२५ मार्च को, तीन महीने पहले। तो हर हालत में इस साल, पचास वर्ष तक स्थूल कर्मयोग के रूप में भगवान को सेवा समर्पित करने के बाद इससे मैं छूट जाऊँगा, ऐसी ख्वाहिश रही है—समाज को छोड़ देने के ख्याल से नहीं, लेकिन अभिमुख हो कर...हमें विमुख नहीं, अभिमुख होना है और जो काम स्थूल कर्मयोग से नहीं हो सका था, वह सूक्ष्म कर्मयोग से होना ही चाहिए, ऐसी मेरी श्रद्धा है···प्रत्यक्ष क्रिया से जितना परिणाम होता था, उससे ज्यादा परिणाम इससे होना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी कल्पना है।"

बाबा ने वहाँ यह भी घोषणा की कि "जो अनेक प्रकार के पत्र-व्यवहार होते हैं, वह बहुत सारा अब छोड़ रहा हूँ···कभी इच्छा हो जाय तो जवाब दे दिया, लेकिन जवाब देने के लिए कोई बन्धन नहीं रहेगा···सूक्ष्म प्रवेश के आरंभ में यह पहला कदम है, मिलने के लिए जो आयेंगे, उनसे बातचीत होगी।"

बाबा का जप, जयप्रकाशजी का जागरूक निर्देशन, कार्यकर्ताओं का आन्तरिक मन्थन और क्षेत्र में उत्साहपूर्ण सक्रियता के परिणामस्वरूप प्रखण्डदान की धारा बह निकली है, और वह अनुमंडल-दान, जिला-दान, बिहार-दान के सागर की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि श्री सच्चिदानन्द ने 'ग्रामोदय' में एक सम्पादकीय अग्रलेख में लिखा :

'बिहारदान हो जायगा'—यह उद्घोष बिहार की सहज बुद्धि से निकला है। लेकिन इसमें इस युग का सबसे बड़ा समन्वय छिपा हुआ है···यह बिहारी बुद्धपन का सबूत नहीं, बिहार के बुद्धत्व का, उसके आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है...पूंजीवादी शोषण और साम्यवादी शासन के मुकाबले एक ठोस और शक्तिशाली विकल्प बिहारदान की भूमिका में खड़ा हो रहा है। अमरीका, रूस और चीन—सब के हमलों का उत्तर देने की शक्ति उस विकल्प में होगी और वह शक्ति एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका

के गरीब और पिछड़े देशों में आज जो खूनी कशमकश हो रही है, उससे मुक्ति दिलायेगी।

"इसलिए, बिहारदान की कल्पना के पीछे एक महान ऐतिहासिक शक्ति काम कर रही है। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्तरराष्ट्रीय शांति, मानवीय उत्थान और सामाजिक नवनिर्माण के तत्व निहित हैं। इसलिए हम कहते हैं: बिहारदान हो जायगा! वह अवश्य होगा और उसे होना ही चाहिए। देश और दुनिया के लिए वह आवश्यक और अनिवार्य है।"

सातवाँ अध्याय

दरभंगा का पराक्रम

—आप हमारे लिए तो मौत की प्रार्थना कर दीजिये, दरभंगा जिले के किसी गांव के एक संपन्न जमींदार ने हमारे एक साथी से कहा।

—आप तो बहुत नाराज मालूम होते हैं। मैं आपकी बात बिलकुल नहीं समझा। बड़े आश्चर्य के साथ हमारे साथी ने कहा।

—आपके आंदोलन के नायक विनोबाजी हैं जो बहुत ज्ञानवान् और धार्मिक मनीषी हैं। वह एक महान् संत हैं और महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं। अगर आप उनसे कोई ऐसा तिलिस्मा मेरे लिए ला दें जिससे कि मेरी आंखें बंद हो जायं और मैं जल्दी से इस दुनिया से मुक्ति पा जाऊं तो आपका बड़ा उपकार होगा। मैं अब ज्यादा जीना नहीं चाहता।

—आप मुझे यह तो बतलाने की कृपा करें कि मुझ से आपको क्या हानि पहुँची है जो आप ऐसी कठोर बात कह रहे हैं।

—नहीं, आप तो विनोबाजी के निष्ठावान् भक्त हैं। आपने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचायी है।

—तब फिर आप इस तरह की वाणी क्यों बोलते हैं?

—सच बात तो यह है कि मैं प्राचीन परंपरा में पला हूँ और पुरानी आदतों का शिकार हूँ। अपने ग्रामदान के जरिये आप जो नया समाज बनाना चाहते हैं, उसमें वे सारे मूल्य और मान्यताएं भस्म हो जायेंगी। उनको देखने के लिए मेरा जिंदा रहना किसी तरह भी ठीक नहीं है।

—आप अपनी बात थोड़ा विस्तार से समझाने की दया करें।

—आप कहते हैं कि आपका लक्ष्य ग्राम-स्वराज्य की स्थापना करना है, ताकि गांव के सब लोग एक कुटुम्ब की तरह मिल-जुलकर रहें। मैं तो उस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें हम सवर्ण लोग हमेशा से अछूत माने जाने वाले हरिजनों के साथ मिलकर बैठेंगे। आपकी ग्राम-सभा में गांव के बालिग लोग शामिल होंगे और उस सभा का संचालन करेंगे। मैं ठीक समझा हूँ न?

—हाँ, आपका कहना एकदम यथार्थ है।

—इसका आशय केवल यह निकलता है कि मेरे भाग्य का निर्णय अब भूमिहीन मजदूर किया करेंगे और मुझे उनकी दया का मोहताज रहना होगा। क्या आप चाहते हैं कि इन सारे झंझटों में अपने बुढ़ापे में फँस जाऊँ?

—लेकिन ग्राम-सभा में आप भी तो अपनी बात रख सकेंगे।

—अपनी बात रखने का मतलब ही क्या होगा, जबकि भूमिहीन या अल्प-भूमिवान् ७५ प्रतिशत हों और मेरे जैसे लोग मुश्किल से १० प्रतिशत। यह भेड़िया-धसान है जिसमें बहुमत की बात हमेशा मानी जायेगी।

—बस, यहीं आप गलती पर हैं। ग्राम-सभा की विशेषता यह होगी कि वह सर्वसम्मति के आधार पर काम करेगी और आप का भी उतना ही अधिकार होगा जितना और किसी का। आप जब चाहें अपना 'वीटो' इस्तेमाल कर सकेंगे।

—लेकिन वे भी तो जब चाहेंगे, अपना 'वीटो' इस्तेमाल कर सकेंगे।

—हमारे मित्र के पास इस दलील का कोई जवाब नहीं था। सौभाग्य से उसी समय उनके सुपुत्र आ पहुँचे और वार्तालाप में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने कहा—बाबूजी, आपको यह नहीं पता कि आपकी जवानी के जमाने से यह दुनिया कितनी बदल गयी है। अंग्रेजी साम्राज्य गायब हो गया। राजे-महाराजे चले गये, और जमींदार भी अब नहीं रहे। यह तो साधारण आदमी का जमाना है और अब आप उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते।

—मैं किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं ऐसी किसी ग्राम-सभा में बैठने को तैयार नहीं हूँ जिसमें धनुआ मोची मेरे बराबर का हक रखता हो। उस तरह की जिंदगी की बजाय मुझे मौत ज्यादा पसंद है।

—मौत तो न आपके बस की बात है न मेरे। लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि स्वतंत्र भारत के नागरिक के नाते धनुआ और हमारे-आपके बीच कोई भेद या छोटाई-बड़ाई का ख्याल नहीं किया जा सकता।

—अपनी औलाद के मुँह से यह बात सुनकर वे कुछ सोचने लगे। तब हमारे कार्यकर्ता मित्र को हिम्मत आयी और उन्होंने बड़े उत्साह से कहा—ग्रामदान के जरिये हमारा ध्येय आपके और धनुआ के बीच के संबंधों को बदलना है। आज तो इसमें कटुता और शोषण है। आप उसको नीची निगाह से देखते और घृणा करते हैं, और वह आपके प्रति द्वेष और अविश्वास करता है। फिर भी हालत यह है कि उसके परिश्रम के बिना आपका काम नहीं चल सकता और आप के साधनों के बिना उसका काम नहीं चल सकता। इस आपसी टक्कर का नतीजा यह है कि गाँव बरबाद हो रहा है और देश भिखमंगा होता जा रहा है। ग्रामदान इस खाई को करुणा और विश्वास द्वारा पाटकर एक नये समाज की रचना करना चाहता है।

यह सुनकर वे अपना सर खुजलाने लगे। मानो उन्हें अचानक कोई बोध हुआ। चारपाई से खड़े हो गये और हमारे मित्र को गले लगाकर कहने लगे—अब हम ग्रामदान का महत्व समझ गये। अभी तक हम अंधकार में थे। हमारी विनती है कि विनोबाजी को आप हमारा प्रणाम पहुँचा दें, इस आंदोलन पर बधाई भी दें और आज से आप हमें अपनी टोली का आदमी समझ लीजिये। और जो मदद आप चाहें हम देंगे।

* * *

—आप हमारे गाँव से चले जाइये। आप हमको धोखा देने आये हैं।

रात के १० बज चुके थे। एक गाँव में ग्रामदान की सभा हो रही थी। एक कार्यकर्ता ने विस्तार के साथ भाषण में ग्रामदान की रूपरेखा पेश की और जैसे वह बैठा, एक नवयुवक ने उसको ललकारते हुए उपर्युक्त वाक्य कहे।

—आपके यह कहने का अर्थ क्या है, जरा स्पष्ट समझाइये।

—बात बहुत साफ है। आपके सारे आंदोलन का मतलब यह है कि आप जमींदारों से बीघे में एक कट्ठा लेकर उनको हमेशा के लिए बाकी १० कट्ठे का पट्टा दे देना चाहते हैं। भला इससे हमारा क्या काम चलेगा। यह तो आप हमें झुठला रहे हैं और हमारी गुलामी की जंजीरें मजबूत कर देना चाहते हैं।

—हाँ, यह तो सही कह रहा है, एक दूसरे नवयुवक ने खड़े होकर कहा। ग्रामदान हमको हमेशा के लिए भूमिहीन ही रखेगा और इसलिए ग्रामदान-पत्र पर दस्तखत करने में हमको कोई लाभ नहीं है।

—हमें दस्तखत हर्गिज नहीं करने चाहिए, पहले नवयुवक ने कहा। सदियों से जहाँ हमने इंतजार किया, वहाँ थोड़े दिन और सही। वह दिन दूर नहीं है जब सारी जमीन राज्य अपने हाथ में ले लेगा और हमें अपना वाजिब हिस्सा मिलेगा। ग्रामदान से हमें इन्कार कर देना चाहिए।

—अँग्रेजी में एक कहावत है कि नर्क का रास्ता नेक इरादों और मीठे वायदों की ईंटों से बिछा रहता है, मुस्कराते हुए कार्यकर्ता ने कहा। मेरे प्यारे भाइयो, आप कब तक भविष्य के गुलाबी सपने देखते रहेंगे और वर्तमान में दबते चले जायेंगे? बड़े दुख की बात है कि नारों के फेर में आप बहक जाते हैं, चाहे वह ईश्वर के नाम से हों, चाहे राज्य के। हम तो आपको यह बताने आये हैं कि आप वर्तमान को कस कर पकड़ लीजिये, इसे बदलने का निश्चय कीजिये और अपने पाँवों पर खड़े हो जाइये। बीघे में कट्ठा देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कदम वह है जिसके अनुसार सारी जमीन की मिल्कियत ग्राम-सभा के नाम कर दी जाती है।

—इससे क्या होगा? जमींदार के हक तो अछूते ही बने रहते हैं।

—नहीं, अछूते नहीं बने रहते हैं। गाँव के बाहर के लोगों के हाथ वह अपनी जमीन न बेच सकता है और न रेहन रख सकता है। और अगर जमीन को वह जोतता-बोता नहीं है, उसे परती डाले रहता है तो ग्राम-सभा उस जमीन को दूसरे लोगों के सुपुर्द कर सकती है, जो उसे जोत-बो सकें।

यह गरमागरम बहस चल ही रही थी कि एक वयोवृद्ध सज्जन खड़े हो गये और गरज कर बोले—हमारी उमर ७० की हो चुकी है और इस गाँव में शायद हमसे ज्यादा पुराना कोई और नहीं होगा। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमने, अपने माता-पिता और अपने दादी-बाबा ने क्या-क्या मुसीबतें झेली हैं। गाँव के ही एक जमींदार ने मेरे चाचाजी को एक बार इस बुरी तरह मारा था कि वह मरने से बाल-बाल बचे, और वजह सिर्फ यह थी कि चाचाजी ने जमींदार के भतीजे से 'तुम' करके बातचीत की थी। ब्रिटिश हुकूमत के खत्म हो जाने के बाद हमारी हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि सच तो यह है कि वह और बिगड़ गयी है। मुझे तो स्वराज्य से कोई उम्मीद नहीं रह गयी थी। लेकिन अभी-अभी जो ग्रामदान का संदेश इन भाई ने सुनाया है, उससे मैं चकित रह गया हूँ।

—आप चकित भले रह गये हों, हमें ग्रामदान नहीं चाहिए।

—हमें महतो की बात सुनने दीजिये, जोर से आवाज आयी।

—तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ग्रामदान में हमको विशेष बात नजर आती है। यह हमारे अन्दर का भगवान जगाने आया है। इन भाई ने विनोबाजी का जो विचार समझाया, उसमें न तो आगे के लिए कोई सब्ज-बाग दिखाया गया है, न कोई प्रलोभन दिये गये हैं और न कोई वायदे ही किये गये हैं। फिर भी ग्रामदान में कुछ ऐसी जान मालूम होती है जो दिल को पकड़ती है। आपस की सद्भावना और न्याय के आधार पर विनोबाजी हमारी मिली-जुली शक्ति खड़ी कराना चाहते हैं। हमारी समझ में तो यह एक इन्कलाबी चीज है, और इसके सहारे हम अपना भाग्य अब खुद बदल सकते हैं।

—लेकिन बीघे में कट्ठा भर जमीन से ही हम क्यों संतोष करें?

—भगवान का शुक्र मनाओ कि बीघे में कट्ठा तो मिल रहा है। अपनी सत्तर साल की जिंदगी में हमें किसी ने अपने सौ बीघे में से भी एक कट्ठा नहीं दिया। फिर डरने की क्या बात है, ग्राम-सभा हमारी रक्षा करेगी। हमारी मोटी समझ में तो यह आया है कि बीसवाँ हिस्सा पहली सीढ़ी है और फिर उसके सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। यह तो शुरुआत है, कोई अन्त नहीं। क्यों नेताजी, हमने कोई गलत बात तो नहीं कही?

—नहीं महतो, आपने बड़े सुन्दर ढंग से ग्रामदान का विचार रख दिया।

—हम तो अनपढ़ आदमी ठहरे, लेकिन अकसर बातें हम अपने अनुभव से थोड़ा-बहुत समझ लेते हैं। हमारा तो ख्याल है कि सरकार की गलत नीतियों, बढ़ती हुई विषमताओं और गंदी राजनीति के कारण जो अंधेरा चारो तरफ फैल रहा है, उसको भेदने का काम ग्रामदान करेगा।

सभा में से खड़े होकर एक आदमी ने कहा—महतो ने जो अभी कहा है, वह हमें रुपये में सवा सोलह आने सही मालूम पड़ता है। इसलिए हमें ग्रामदान में शामिल हो जाना चाहिए।

जरूर होना चाहिए, जोर से सभा ने एक साथ आवाज लगायी।

* * *

—आप भी एक नमूना मालूम पड़ते हैं। आपके भाषण से हम यही समझे हैं कि आप प्रच्छन्न कम्युनिस्ट हैं, एक शिक्षक ने ग्रामदान की सभा में खड़े होकर कार्यकर्ता से कहा। वह शिक्षक डिग्री कालेज में पढ़ाते थे।

—प्रोफेसर साहब ने हमें बदनाम करने का अच्छा तरीका निकाला है। लेकिन यह हमारे साथ इंसाफ नहीं है।

—इंसाफ क्यों नहीं है? विनोबाजी के नाम पर आप सारे ग्रामदानी लोग हमारी कुल जमीन छीन लेंगे और उसे सरकार हड़प लेगी। नतीजा यह होगा कि हम ग्राम-सभा के हाथ कठपुतली की तरह नाचेंगे और आगे चलकर आप हमारी रोटी-बेटी भी एक कर देंगे। अगर यह कम्युनिज्म नहीं है तो क्या है? भेड़ की खाल में भेड़िया जैसे आप मालूम होते हैं।

—हमको तो पढ़े-लिखे, ज्ञानी लोगों की अज्ञानता पर तरस आता है। जिस दिन से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उस दिन से वे पढ़ना बन्द कर देते हैं। सिखाना चलता है, सीखना खत्म। हमने साफ-साफ बताया कि ग्रामदान में जमीन की मालकियत सरकार की न होकर ग्राम-सभा की होगी और यह ग्राम-सभा बहुमत-अल्पमत के आधार पर नहीं, गाँव के निवासियों की सर्व-सम्मति से काम करेगी। जहाँ तक रोटी-बेटी एक करने की बात है, वह तो आपके मन का भूत ही है।

—हमारे प्रोफेसर साहब तो अपनी पंचायत के प्रधान भी हैं, किसी ने आँख मारकर कहा।

—हाँ हैं, हमें प्रधान होने का गर्व है। लेकिन ग्रामदान में ये सारी पंचायतें आदि खत्म हो जायेंगी। यह ग्रामदान नहीं, निर्मम हत्या है।

प्रोफेसर महोदय की बात का जवाब कोई दे, इसके पहले ही सभा में एक नौजवान ने खड़े होकर बड़े गुमान के साथ कहा :

—प्रोफेसर साहब, यह कौन नहीं जानता कि आपकी पंचायत हमारे भेद भावों के आधार पर उल्टे हमारा शोषण करती है और गरीबों को तो बुरी तरह सताती है। इससे गाँव का कोई उपकार नहीं होता है। उल्टे राजनीतिज्ञों ने पंचायत में घुस-पैठ मचायी है और उसे राजनीति का अड्डा बना दिया है।

यह सुनकर प्रोफेसर की आँखें लाल हो गयीं।

—अपनी ये आँखें किसी और को दिखाइयेगा। सारा गाँव जानता है कि पंचायत की आड़ में आपने और आपके परिवारवालों ने मनमानी कमाई की है और अपना स्वार्थ साधा है।

—आप होश में रहकर बात नहीं कर रहे हैं। गाँव के पड़ोसी होते हुए ऐसी बात बोलते हैं।

—हम बिलकुल होश में हैं और पड़ोसी से आप क्या छिपा सकते हैं? ज्यादा मत बोलिये, नहीं तो आपकी सारी कलई यहीं खुल जायेगी। आप ग्रामदान पर इतने नाराज हैं, सो इसका कारण हम समझते हैं। ग्रामदान आपकी लूट बन्द कर देगा। आज पाँच रास्तों से गाँव की दौलत बाहर जा रही है—सरकार के द्वारा, जमींदार के द्वारा, बाजार के द्वारा, महाजन के द्वारा और हमारे गलत रीति-रिवाजों के द्वारा। ग्रामदान से यह सब दरवाजे बन्द हो जायेंगे और हमें सच्ची आजादी का लाभ मिलेगा।

प्रोफेसर बिलकुल अवाक् रह गये। जवान का कथन जारी था—आपने विनोबाजी के इस कार्यकर्ता को कम्युनिस्ट कहकर मानो गाली ही दी है। अगर आपके अन्दर थोड़ी भी इंसानियत या ईमानदारी है, तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए।

इसका जादू जैसा असर हुआ। प्रोफेसर महोदय खड़े हो गये और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से बोले—मैं आप सब से माफी चाहता हूँ, विशेषकर विनोबाजी के इन कार्यकर्ता से। मुझे आपसे कोई छिपाना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कि इस सभा के पहले मैंने ग्रामदान के बारे में न कुछ पढ़ा था और न किसी अधिकारी व्यक्ति से कुछ सुना ही था। मैंने जो कुछ शंकाएं उठायीं, वह इधर-उधर सुनी-सुनायी बातों पर थीं। मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ और इतनी सुन्दर व्याख्या के लिए इन सज्जन को बधाई देता हूँ। अब मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूँ कि ग्रामदान-पत्र पर मैं दस्तखत कर रहा हूँ और आप सब से मेरा अनुरोध है कि इस गाँव का ग्रामदान करायें।

* * *

इन तीन प्रसंगों से सहज पता चल जाता है कि दरभंगा जिले में क्या उथल-पुथल मची हुई है। खादी ग्रामोद्योग संघ के ६०० कार्यकर्ता और ४०० अन्य लोग (दूसरी रचनात्मक संस्थाओं के कार्यकर्ता, शिक्षा और सामुदायिक विकास विभागों के शिक्षक और कर्मचारी, सर्वोदय मण्डल के सदस्य तथा और प्रेमीजन), लगभग एक हजार की सेना, दरभंगा जिले के गाँव-गाँव में, दरवाजे-दरवाजे पर पहुँच गयी। सैकड़ों सभाएँ हुईं जिनमें तरह-तरह के सवाल और शंकाएँ लोग पेश करते थे और समाधान हो जाने पर खुशी से ग्रामदान-पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। क्या गरीब और क्या अमीर, क्या भूमिहीन और क्या भूमिवान, क्या अनपढ़ और क्या शिक्षित, सभी प्रकार के लोग इसमें आये हैं।

दरभंगा जिला बहुत ही सघन बसा हुआ है। यहाँ की आबादी लगभग पचास लाख है, जो भारत का एक प्रतिशत है। यहाँ की जमीन तो मानो सोना उगलती है। कहीं चले जाइये, कांटे का नाम नहीं। उत्तर की तरफ मिथिला का इलाका है, जहाँ अब भी जगह-जगह तालाब मिलते हैं, और वहाँ खड़ाऊँ पहने, जटा धारण किये हुए, भुरभुराती हुई दाढ़ी वाले अनेक ज्ञानी मिलेंगे जो वेद और उपनिषद् का नित्य पाठ करते हैं। यह वही क्षेत्र है जहाँ आज से लगभग हजार साल पहले श्री शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करना पड़ा था। सुप्रसिद्ध मंडन मिश्र नाम के शास्त्री से छः दिन तक 'गृहस्थ आश्रम बनाम संन्यास' पर वाद-विवाद चला और उसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने की। उन्होंने शंकराचार्य को विजयी घोषित किया और तदनुसार मंडन मिश्र उनके शिष्य हो गये। आदिगुरु ने उनको मिथिला से मैसूर राज्य में शृंगेरी नामक स्थान पर भेज कर एक धाम की स्थापना करायी। मिथिला में वह पुरानी ज्ञान-परंपरा अब भी कायम है। दरभंगा जिले के शहरों या कस्बों में जगह-जगह स्कूल-कालेजों के पढ़े-लिखे नवयुवक मिलते हैं जो आधुनिक कला और विज्ञान में प्रवीण हैं और वे वर्तमान सभ्यता तथा राज-काज की विद्या में अपना सानी नहीं रखते। आज दरभंगा जिले के लोग प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों में ऊँचे-से-ऊँचे पदों पर काम कर रहे हैं। जिले में जगह-जगह श्रीमान और संपन्न लोग मिलते हैं, जो पुरानी परिपाटी के अनुसार जीवन बिताते चले आ रहे हैं। हल छूना तो दूर, हाथ से काम तक करना वे पाप समझते हैं। जहाँ इस तरह सामंतशाही चलती हो, वहाँ गरीबी का होना स्वाभाविक है, और जहाँ गरीबी है वहाँ स्थिति-परिवर्तन की आकांक्षा पैदा होना भी स्वाभाविक है।

कोई भी नहीं कह सकता था कि यह जिला भारत का पहला जिला-दान होगा। लेकिन अपनी तूफान-यात्रा के दौरान जब ११ नवम्बर, १९६५ को विनोबा का पड़ाव लहेरियासराय में था तो शाम की आम सभा में स्वागताध्यक्ष ने कहा कि 'ग्रामदान आन्दोलन जमाने की मांग के अनुसार है, इसलिए वह दिन दूर नहीं जब सारा दरभंगा जिला ग्रामदान में शामिल होगा और भारत का पहला जिला-दान साबित होगा।' विनोबा की सौ दिन की तूफान-यात्रा में कहीं और इस तरह के उद्गार प्रकट नहीं किये गये थे। दरभंगा की यात्रा में ही किसी अन्य पड़ाव पर एक भाई ने

कहा था—बाबा, १९५७ में आपने ग्रामदान को 'डिफेंस मेजर' कहा था। लेकिन हमें तो महसूस होता है कि आपकी बात आधी सच्ची है। हमें यह लगता है कि ग्रामदान 'मेजर डिफेंस' है, और इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। जब तक कि देश का हर गांव ग्रामदान में नहीं आ जाता, तब तक देश सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से एक पड़ाव पर जब लोग बाबा से शंका-समाधान करा रहे थे तो किसी भाई ने पूछा कि "अगर यह जिला आपको जिलादान के लिए बुलाये तो क्या आप यहाँ अपना विशेष समय देंगे?" उस समय तक दरभंगा में मुश्किल से ३०० ग्रामदान हुए थे और जिलादान की बात स्वप्न-जैसी लगती थी। बाबा ने कहा कि आप कुछ पराक्रम करके दिखलाइये, तब कुछ विचार करेंगे।

बाबा की तूफान-यात्रा के बीच एक और घटना कमाल की हुई थी। जब बाबा मधुबनी पहुँचे तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि खादी संस्था की ओर से यहाँ समवेतन का नियम लागू है, और इस मँहगाई की स्थिति में भी सौ ही रुपये मिलते हैं। बाबा ने कहा कि उस सिद्धांत में कोई दोष नहीं है, लेकिन अब मँहगाई के कारण सौ से डेढ़ सौ हो जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गयी। लेकिन संस्था के अधिकारीगण थोड़ा चिंतित हो गये। सोचने लगे कि कैसे काम होगा और कैसे आन्दोलन बढ़ेगा। इस चीज को श्री ध्वजाप्रसाद साहु ने भांप लिया। ध्वजा बाबू बिहार में खादी-जगत के प्राण हैं। आप स्वर्गीय लक्ष्मी बाबू के पुराने साथी हैं और पिछले ४० साल से खादी तथा रचनात्मक काम में लगे हैं। श्री ध्वजा बाबू ने जब देखा कि कार्यकर्ताओं को संस्था का मोह सता रहा है और ग्रामदान में कूद पड़ने में उन्हें हिचक हो रही है तो वे बोले : "हम जीवन के जुआरी हैं। लक्ष्मी बाबू ने और उनके साथ हम सब ने खादी का काम खड़ा किया। अंग्रेजी सरकार ने इसको खत्म कर दिया था। लेकिन दुबारा वह फिर खड़ा हो गया। अब अगर यह फिर से स्वाहा होता है तो आप कोई चिंता न करें। चालीस-पचास लाख या करोड़-दो करोड़ रुपये के घाटे की परवाह मत कीजिये। खादी तभी टिकेगी, जब ग्रामदान होगा। बिना ग्रामदान के न खादी बचेगी और न हम-आप बचेंगे। इसलिए बाबा ने जो कहा है, उसका मर्म समझिये और निष्ठापूर्वक ग्रामदान में कूद पड़िये। खादी दुबारा खड़ी हो जायेगी।"

श्री ध्वजा बाबू के उस भाषण को जब मैं सुन रहा था तो मुझे लक्ष्मी बाबू की याद आ रही थी। खादी के पुराने और नये भक्तों में, लक्ष्मी बाबू जितनी तन्मयता से भूदान-ग्रामदान आंदोलन में लग गये थे, उस तरह शायद दूसरा नहीं लगा। ग्रामदान पदयात्रा करते हुए उन्होंने ८ मई १९५८ को दरभंगा जिले के रोसड़ा नामक स्थान में अपना शरीर छोड़ा था। उसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने दरभंगा जिलादान की अपेक्षा प्रकट की थी। इसलिए जब ४ नवम्बर, १९६५ को विनोबा रोसड़ा पहुँचे तो उन्होंने लक्ष्मी बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा : "हम चाहते हैं कि पूरे दरभंगा जिले का ग्रामदान हो जाय। महात्मा लक्ष्मी बाबू की स्मृति में यह सबसे अच्छा स्मारक होगा।"

दरभंगा खादी का मैन्चेस्टर कहलाता है। इस जिले के लगभग हजार गांवों में खादी की कताई और बुनाई होती है। साधारण लोग भी यहाँ खादी पहनते हैं, यद्यपि यह दुख की बात है कि एक गांव भी ऐसा नहीं है जो शत-प्रतिशत खादीधारी हो। बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के लगभग एक हजार कार्यकर्ता इस जिले में काम करते हैं। यही वह सेना है, जिसने जिलादान की लड़ाई जीती है। इन कार्यकर्ताओं के अलावा शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। विनोबाजी ने उनसे कहा था : "भारतीय समाज में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन आज वे उसे खो बैठे हैं। वे सरकारी कर्मचारी मात्र रह गये हैं। मगर यदि वे ग्रामदान आन्दोलन को अपना लेते हैं तो सच्चे समाज-निर्माता साबित होंगे।" शिक्षकों को यह बात जँच गयी और दो प्रखण्डदान उन्होंने अपनी शक्ति से ही प्राप्त किये। जिला सर्वोदय मंडल तथा विभिन्न रचनात्मक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सारे जिले में ग्रामदान की धारा प्रवाहित की। इन सारे सत्प्रयासों की परिणति जिलादान में हुई।

यह समझना भूल होगी क केवल कार्यकर्ताओं की संख्या के बल पर दरभंगा में इतना बड़ा पराक्रम हो गया। असली चीज थी वहाँ की व्यूह-रचना। इसका संयोजन बहुत कुशलता और दूरदर्शिता से किया गया था। गांव-गांव फेरी लगाने से क्रांति नहीं होती है। दरभंगा के काम की विशेषता यह है कि वहाँ जिला, सब-डिवीजन और प्रखंड-स्तर पर बीसियों शिविर

चलाये गये थे। श्री ध्वजा बाबू के अलावा बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष श्री गोपालजी झा शास्त्री, बिहार खादी बोर्ड के मंत्री श्री गजानन दास, संघ के मंत्री श्री राजकिशोर प्रसाद तथा अन्य प्रमुख लोग जैसे—सर्वश्री जीवनेश्वर सिंह, जयलोक ठाकुर, रमापति चौधरी, रामश्रेष्ठ राय, घूरन झा आदि इस काम में जुट गये थे। उन सब पर तगादा लगाने का काम बड़े विनम्र भाव से श्री कृष्णराज मेहता करते थे। कृष्णराजजी न खुद चैन लेते और न दूसरों को चैन लेने देते हैं। अतः शिविरों की दरभंगा में धूम मच गयी। मुख्य शिविरों में तो सर्वोदय जगत के प्रमुख विचारक श्री धीरेन्द्र मजूमदार, श्री दादा धर्माधिकारी, श्री अन्नासाहब सहस्त्रबुद्धे आदि ने बाहर से आकर समय दिया। इनके अतिरिक्त सर्वश्री ध्वजा बाबू, वैद्यनाथ बाबू, गौरी बाबू, सरयू बाबू और आचार्य राममूर्ति का मार्गदर्शन मिला। ग्रामदानी गांवों के निवासियों के भी कुछ विशेष शिविर लगे थे। परिणाम-स्वरूप इन लोगों की टोलियां भी गांवों में गयीं और ग्रामदान प्राप्त किये। इस प्रकार जब भीतरी शक्ति जाग्रत हुई और दरभंगा का 'डर भंग' हो गया, तो वहां जिलादान का शंख बज उठा!

बिहार में सर्वोदय का संगठन भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा ठोस है। यहाँ जिले-जिले में सर्वोदय मण्डल हैं और प्रान्तीय स्तर पर ग्रामदान प्राप्ति समिति, बिहार भूदानयज्ञ कमिटी, ग्राम निर्माण समिति तथा अन्य संस्थाएँ काम करती हैं। प्रकाशन का काम सर्वोदय प्रकाशन समिति करती है। ये सारी संस्थाएँ श्री जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व और विचारों से प्रेरणा लेकर काम कर रही हैं। सच तो यह है कि उनके कारण यहाँ के कार्यकर्ताओं में निराली जागरूकता और कर्मठता है। अप्रैल, १९५४ में जयप्रकाशजी ने जीवनदान की घोषणा की थी। तब से अहिंसक क्रांतिकारियों की एक अच्छी खासी सेना यहां खड़ी हो गयी है। आज बिहार में अहिंसक भूमि-क्रांति का जो रूप हम देखते हैं, उसका श्रेय इन्हीं क्रांतिकारी सेवकों को है।

पिछले एक डेढ़ साल से बिहार में पानी नहीं बरसा और बरसा भी तो नाम मात्र के लिए। कहते हैं ऐसा भयानक सूखा विगत सौ वर्षों में नहीं देखा गया था। इस सूखे के परिणाम-स्वरूप बिहार के लाखों लोगों को अकाल और भुखमरी का सामना करना पड़ा है। उनकी सहायता के लिए गत

अक्तूबर में एक सर्वदलीय बिहार रिलीफ कमिटी की स्थापना की गयी। सभी पक्षों ने श्री जयप्रकाशजी से अनुरोध किया कि वे इसकी अध्यक्षता स्वीकार करें। जयप्रकाशजी ने यह जिम्मेवारी उठाकर अकाल-पीड़ितों को राहत पहुँचाने के काम में अभूतपूर्व तीव्रता प्रदान की है और लाखों लोगों को मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया है। बिहार के, खासकर दक्षिण बिहार के, अधिकांश सर्वोदय कार्यकर्ता उनके साथ अकाल-पीड़ितों की सेवा में जुट गये। उत्तर बिहार के जिले सूखा और अकाल से कुछ कम प्रभावित हुए हैं। इसलिए वहां ग्रामदान का तूफानी अभियान जारी रहा और एक जिलादान भी प्राप्त हो गया। अकाल का संकट दूर होने के बाद जब कार्यकर्ताओं की पूरी शक्ति ग्रामदान में लगेगी, तो हर जिले का ग्रामदान होगा, इसमें संदेह नहीं।

जिलादान ने दरभंगा के कार्यकर्ताओं को और भी नम्र तथा चिंतनशील बना दिया है। वे कहते हैं कि जिलादान हमारा साध्य नहीं, बल्कि ग्राम-स्वराज्य के लिए एक साधन है। वे महसूस करते हैं कि हमको दरभंगा में ग्राम-स्वराज्य का सुन्दर नमूना पेश करना चाहिए। यह काम जिलादान से भी ज्यादा कठिन और गंभीर है। और फिर ग्राम-स्वराज्य प्राप्त करना नहीं, कराना है जो और भी कठिन काम है। लेकिन यही इस काम की विशेषता भी है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता और विनम्रता के साथ वे अपनी तूफानी गति से ग्रामदान से प्रखंडदान-जिलादान और अंत में बिहारदान के शिखर पर एक-एक कदम चढ़ते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां एक स्वर से कहेंगी कि दरभंगा ही वह तीर्थ है जहाँ स्वराज्य के बाद स्वतंत्र पराक्रम का पहला दर्शन हुआ!

आठवाँ अध्याय

अकाल की छाया

"आप इस निःशुल्क भोजनालय में स्त्रियों को क्यों खाने देते हैं? यह तो केवल बच्चों या अक्षम लोगों के लिए है," भोजनालय के व्यवस्थापक से पूछा गया।

"मैं किस किस को मना करूँ, मेरी तो हिम्मत नहीं होती," उन्होंने आर्त वाणी में जवाब दिया।

"यह भोजनालय तो उनके लिए कदापि नहीं है जो काम कर सकते हैं?"

"लेकिन, इन स्त्रियों और इनके पतियों को काम कहाँ नसीब होता है? मुझे डर यह है कि एक-आध महीने के अन्दर ही हमारे इन भोजनालय में पुरुष लोग भी आने लग जायेंगे।"

यह बात है मोहीउद्दीनपुर गाँव की जहाँ गत फरवरी के पहले सप्ताह में श्री विद्यासागर भाई के साथ हमारा जाना हुआ। पटना जिला रिलीफ कमिटी के वह प्रभारी हैं और सर्वोदय आन्दोलन के तपे-तपाये सेवक हैं। बिहार रिलीफ कमिटी के प्रधान मंत्री श्री सिद्धराज ढड्ढा भी साथ थे। यह गाँव पटना की राजधानी से केवल २० मील के फासले पर है। वहाँ बिहार रिलीफ कमिटी द्वारा संचालित निःशुल्क भोजनालय को देखने के लिए हम गये थे। अपनी बात खत्म करते हुए उसके व्यवस्थापक ने कहा "सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोगों के पास काम नहीं है और कुएँ या तालाब भी सूखते जा रहे हैं। पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं।"

वहीं पर नीम के एक पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र के सज्जन बैठे हुए थे। दोनों हाथ घुटने पर रखे थे और जम्हाई ले रहे थे। मालूम हुआ कि वह बड़े अच्छे काश्तकार हैं और उनके पास काफी जमीन भी है। उनके नजदीक जाकर मैं बैठ गया और पूछा: "दादा, क्या हाल है?" उन्होंने सामने खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा: "हाल-चाल क्या पूछते हैं? खरीफ की फसल मारी गयी और बीज के लिए जो बढ़िया दाना रख छोड़ा था वह

रबी में बो दिया। लेकिन एक बूँद पानी नहीं बरसा और हम तबाह हो गये।"

"अपने मजदूरों को आप क्या खिलाते हैं?"

"मजदूरों को खिलाने का सवाल ही नहीं। जब पानी की एक बूँद न हो तो मजदूरों से हम क्या काम ले सकते हैं? सच बात तो यह है कि घर के बच्चों तक को भर पेट खिलाना मुश्किल हो रहा है और न जानवरों के चारे का ही कोई इन्तजाम है। आधे, पौने या तिहाई दाम पर हम माल बेचने को तैयार हैं।"

इस अकाल में बिहार में बहुत सी जगहों पर लोग केवल घास और पत्ती पर जीवित रहे। उनके पास जो पूंजी या संपत्ति थी—घर के बर्तन, कपड़े, जानवर और स्त्रियों का जेवर—वह सब बेच-बाच कर बराबर कर चुके। और अब आगे कोई सहारा नहीं। उनमें से बहुत से तो काम की तलाश में टाटा-नगर और कलकत्ते आदि चले गये। बिहार के संपन्न गाँवों की वीरानी देखकर डर लगता है।

लगभग डेढ़ साल पूर्व यह प्रदेश सूखे का शिकार बना। शायद पिछले सौ बरस में इस तरह की विपत्ति यहाँ नहीं आयी थी।

पिछले छः महीनों में स्थिति और ज्यादा भयानक हो गयी। माघ के महीने में एक बूँद पानी नहीं बरसने से सारी खेती एकदम तबाह हो गयी। जहाँ दक्षिणी बिहार को पानी के अभाव का सामना करना पड़ा, वहाँ उत्तरी बिहार में बाढ़ से लोग तबाह हो गये। इस तरह अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची जिसके आधार पर किसान जिंदा रह सके या आगे कुछ उत्साह से काम कर सके।

इस अकाल की चपेट में लगभग पाँच करोड़ लोग आ गये। इसका सबसे विकराल रूप दक्षिणी बिहार में दीख पड़ा, जो औद्योगिक दृष्टि से भारत का सबसे धनी क्षेत्र माना जाता है। लेकिन सच तो यह है कि भारत में औद्योगीकरण का लाभ देहातों को कभी मिला नहीं है। उनका तो उल्टे शोषण ही होता रहा है। जैसा कि इंगलैंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर ई० एफ० शुमाखर ने कहा है : "यद्यपि औद्योगिक विकास से ऐसा मालूम पड़ता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गयी है, लेकिन भारत की ८५ प्रतिशत ग्रामीण आबादी के हित के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो रहा है।

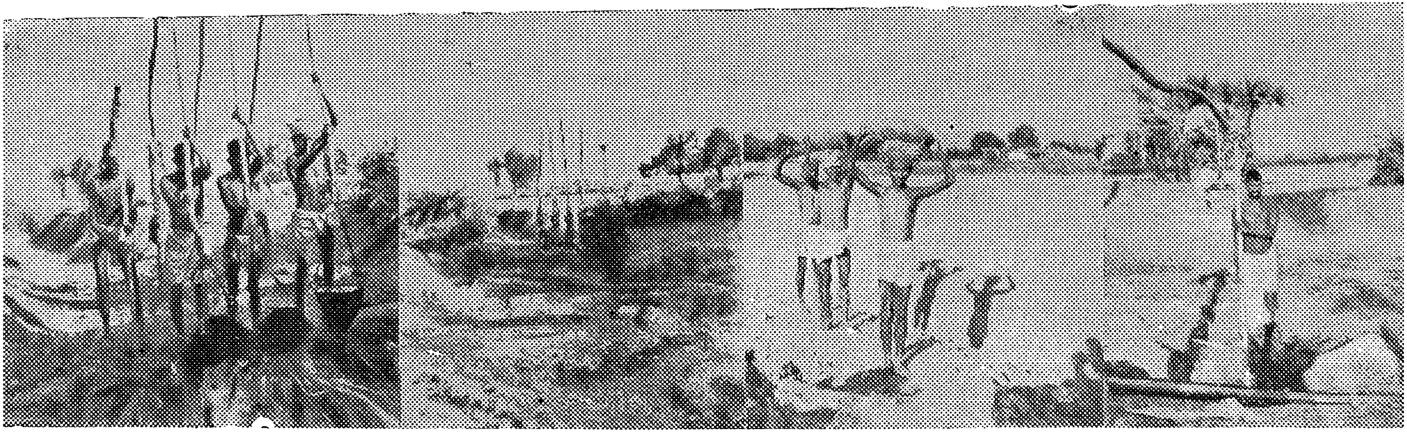

सूखे का मुकाबला : धरती की छाती फोड़कर पानी निकालते हुए किसान।

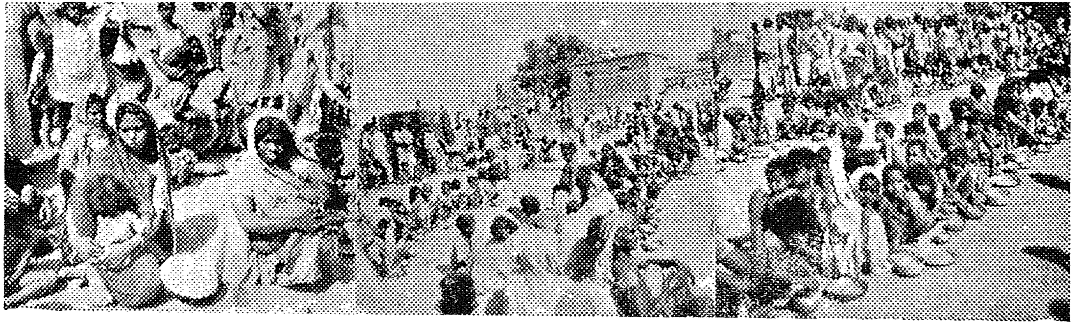

अकाल-पीड़ितों को भोजन : श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार रिलीफ कमिटी द्वारा राहत कार्य ।

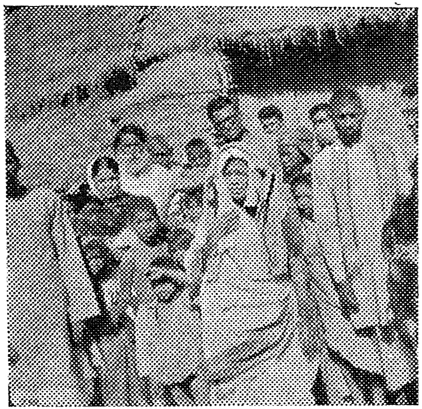

क्योंकि देहातों में जो गैर-खेतिहर उत्पादन होता था, उसको यह अनिवार्य रूप से नष्ट कर देता है।"

तीन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी देश में लाखों करोड़ों लोगों को हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़े और अकाल का शिकार होना पड़े, नियोजन की इससे बढ़कर असफलता क्या हो सकती है? दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसमें स्वाधीनता-प्राप्ति के १५-२० वर्षों के अन्दर आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा बढ़ी हो, जितनी कि भारत में। १९५२-५३ में जहाँ शिखर के पाँच प्रतिशत परिवारों का १४·० प्रतिशत हिस्सा आमदनी में था, वहाँ वह १९६२-६३ में २४·४ प्रतिशत हो गया, और इसके विपरीत नीचे के २० प्रतिशत परिवारों का हिस्सा ७·५ से गिरकर ६·४ पर उतर आया। विकास की यह उल्टी प्रक्रिया धनी को और ज्यादा धनी, गरीब को और ज्यादा गरीब बना रही है। बाहर से जो पूंजी और साधन आ रहे हैं, उनका उपयोग एक विशिष्ट समुदाय कर लेता है, और उसके वैभव को देखकर ऐसा लगता है कि मानो देश बहुत उन्नति पर है! परन्तु वास्तव में भारत रूपी ताजमहल की नींव कमजोर पड़ती जा रही है और अब सारी इमारत के ढह जाने का अंदेशा है। यहाँ के सरकारी क्षेत्रों में विकसित देशों पर अकसर यह दोष लगाया जाता है कि वे बड़े स्वार्थी हो गये हैं और अपनी आमदनी का एक प्रतिशत हिस्सा भी विकासशील देशों के हित में खर्च करने को तैयार नहीं हैं। हम इस दोष को गलत समझते हैं और मानते हैं कि अगर यह सारी मदद रुक जाय तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुजन-समाज का शोषण फिर शायद कुछ कम हो जायेगा। आगे चलकर इतिहास भारत के वर्तमान नियोजकों और शासकों के बारे में बड़े दुःख के साथ यह लिखेगा कि वे जनता के हित में चिन्तन या आयोजन नहीं कर सके और हमेशा ऊपर के वर्गों के हाथ में खेलते रहे, जिनका बोझ सदियों से जनता को पीसता-कुचलता रहा है।

इस अकाल का शिकार बिहार तो हुआ ही है, लेकिन देश के अन्य भागों में भी इसका प्रकोप खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात और पश्चिम बंगाल में कम नहीं है और हमारे कितने ही भाई-बहन-बच्चे इसकी चपेट में आकर मौत की गोद में सो चुके हैं।

इस अकाल से मरने वाले अधिकतर हमारे आदिवासी बन्धु हैं, जो सुदूर जंगलों में रहते हैं। न उनके पास अच्छी खेती है और न आमदनी का कोई दूसरा जरिया। उल्टे शहरों के अपने को सभ्य समझने वाले लोग, जिन्हें वे 'दिक्कू' कहते हैं, उन्हें दिक या परेशान करते हैं, नमक जैसी चीज का मनमानी दाम उनसे वसूल करते हैं और उन्हें तरह-तरह से सताते हैं। सच तो यह है कि भारत की लगभग आधी आबादी हमेशा ही अकाल की जैसी हालत में रहती है। पिछले दो बरस का सूखा एक बहाना है जिसने असलियत को नुमायाँ शकल दे दी है। देश की इस गरीबी का अंदाज सरकारी आंकड़ों से आसानी से मिल जाता है। नीचे की तालिका में यह दिखाया गया है कि १९६०-६१ में देश के कितने प्रतिशत लोगों की औसत आमदनी क्या थी।

जन संख्या का प्रतिशत	आमदनी का प्रतिशत	खर्च का प्रतिशत	अधिकतम औसत	प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च
			(रुपयों में)	(पैसों में)
सबसे नीचे वाले दस	२.४	२.९८	९.६०	२४.८
अगले दस	३.४	४.४५	१२.६०	३७.०
अगले दस	४,३	५.५६	१५.२०	४६.३
अगले दस	४.८	६.६१	१७.९०	५५.०
अगले दस	६.३	७.७४	२०.८०	६४.५
अगले दस	७.८	९.००	२४.३०	७१.०
अगले दस	९.२	१०.५४	२८.०७	८७.८
अगले दस	१०.६	१२.५७	३४ ६०	१०४.७
अगले दस	१४.५	१५.६९	४५.१०	१३०.७
चोटी वाले दस	३६.६	२४.८६	अज्ञात	२०७.१

इनमें आखिरी कालम एकदम आखें खोल देने वाला है। उसमें बताया गया है कि ऊपर की श्रेणी वाले एक आदमी का दैनिक औसत खर्च कितना है। ७० प्रतिशत लोग एक रुपये से कम पर गुजर करते हैं, जब कि १९६०-६१ के मुकाबले आज रुपये की कीमत लगभग आधी रह गयी है। ऊपर के ३० प्रतिशत लोगों छोड़कर शेष किस तरह अकाल की-सी जिंदगी के दिन बिताते हैं, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। जब उनको भर पेट

भोजन नहीं मिलता है तो कैसे उनका मन चंगा रहेगा, कैसे धरम आदि का पालन वे करेंगे ?

भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है। उनके शिष्य आनंद के पास एक युवक आया। आनंद ने देखा कि उसे धर्म के प्रति जिज्ञासा है और उसे भिक्षु बनाया जा सकता है। वे उसको तथागत के पास ले गये और उनसे विनती की : "इसको (युवक को) उपदेश दीजिये ताकि इसे ज्ञान प्राप्त हो।" तथागत ने उसका चेहरा देखा और दुख-भरी आवाज में बोले : "आनंद ! यह तो कई रोज का भूखा मालूम पड़ता है। जाओ, पहले इसे भोजन कराओ। अभी उपदेश की बात नहीं।"

आज भारत में जो अनैतिकता दीखती है, उसके पीछे भूखा पेट ही है।

इस अकाल में राहत पहुँचाने का काम बिहार में और थोड़ा-थोड़ा अन्य प्रदेशों में भी अच्छे ढंग से किया गया। लेकिन मुसीबत के इस मौके पर भी समाज के जो शोषण करने वाले हैं, वे अपनी करनी से नहीं चूके। कई जगहों की बात है कि सूखा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा भेजा हुआ बहुत-सा गल्ला काले बाजार में जा पहुँचा, और क्या सरकारी कर्मचारी, क्या व्यापारी, दोनों ने उसकी खूब लूट मचायी ! चीज आती है मदद के लिए मगर गायब हो जाती है रास्ते में ही। गल्ले की तरह कपड़े भी कई जगह लापता कर दिये गये। थोड़ा पैसा देकर लोगों द्वारा वे खरीद लिये गये और फिर शहर के बाजारों में जा बिके। सरकार की तरफ से जो योजनाएँ चलती हैं, उनमें मजदूरी कम देना और लोगों को तंग करना मानों आम बात है। पेट भरने के लिए माँ-बाप अपने बच्चों को दूसरों के हाथ सौंप देते हैं; स्त्रियां खुद या अपने पति के इशारे पर अस्मत तक बेचती हैं ! यह है पेट की महिमा !

लेकिन जहाँ एक तरफ ऐसी लज्जाजनक घटनाएँ देखने में आती हैं, वहां दूसरी तरफ इंसानियत के ऊँचे से ऊँचे नमूने भी सामने आते हैं। एक जगह पर कपड़े बाँटे जा रहे थे तो पानेवाले ने पड़ोसी की तरफ इशारा किया और कहा : "मुझसे ज्यादा जरूरत इनकी है, इनको पहले दीजिये।" फिर जब यह देखा कि एक अकालग्रस्त व्यक्ति ने, गल्ला हो या कपड़ा, कोई भी चीज लेने से इनकार कर दिया तो आखें नतमस्तक हो गयीं। उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं पड़ी और वह बोला : "नहीं, हम खैरात का कोई माल

नहीं लेंगे। अपने बल-बूते से जो पैदा करेंगे, वही खायेंगे। भगवान नहीं चाहता, तो उसकी जैसी मरजी।"

यह है भारत की भारतीयता का अनोखा दर्शन! ऐसे स्वाभिमानी लोगों के रहते भारत के लोगों को आज यह दुर्दिन देखना पड़ रहा है। आखिर क्यों?

बिहार में भूमि-सुधार की जो स्थिति है, उसका दर्शन पिछले अध्यायों में पाठकों को मिल चुका है। जहाँ कानून पंगु हो और जनता के हितों की कोई चिंता राज्य की सरकार को न हो, वहाँ अकाल पड़ना स्वाभाविक है। बिहार में अन्न का वार्षिक उत्पादन तिहत्तर लाख टन है। आम तौर से लगभग तेरह लाख टन की कमी रहती है। लेकिन इस साल सूखे के कारण ६४ लाख टन की कमी हो गयी और रबी की फसल न होने से यह कमी और बढ़ गयी।

यह भी सुना गया है कि उत्तर बिहार की सीमा से नेपाल के रास्ते चावल बाहर चला जाता है। इन सब कारणों के फलस्वरूप गल्ले के दाम दूने-तिगुने बढ़ गये। जिस बिहार में दाना छिटक देने से ही धान के खेत लहलहा उठते हों, वहाँ ६० या १०० रुपये मन चावल बिकना अभिशाप नहीं तो क्या है?

सवाल उठता है कि क्या यह अकाल एक विशुद्ध प्राकृतिक संकट है जो अचानक आ गया या भारत की नियोजन-पद्धति, जो गत तीन योजनाओं में चली है, इसके लिए उत्तरदायी है?

श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में : "यह अभूतपूर्व सूखा स्पष्टतः एक विशुद्ध प्राकृतिक संकट है। लेकिन इससे लोगों को इतना कष्ट नहीं होना चाहिए था। बिहार की कुछ जमीन देश भर की सबसे उपजाऊ जमीनों में से है। यहाँ गंगा की तरह विशाल नदियां हैं, जिनमें हिमालय की बर्फ से पानी आता है। चाहे कैसा भी सूखा आये, इन नदियों का पानी सूख नहीं सकता। इस राज्य में सामान्यतः अच्छी वर्षा होती है। यहाँ की जमीन के अंदर भी काफी पानी है। इन सारी अनुकूलताओं के रहते, एक वर्ष के सूखे से, चाहे वह जितना भयानक या व्यापक हो, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें करोड़ों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़े।

…वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने यद्यपि बार-बार चेतावनी दी, तथापि पिछले १६ वर्षों के स्वराज्य-काल में देश के अंतर्गत पानी के जो साधन हैं, उनके संरक्षण और उपयोग के पूरे सवाल पर गंभीरतापूर्वक कभी विचार नहीं किया गया। आज जिस खाद्य-संकट की चपेट में केवल बिहार ही नहीं सारा देश पड़ा है, उसका एक कारण—यद्यपि सबसे महत्त्वपूर्ण कारण—यही है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत का नियोजन आरंभ से ही गलत दिशा में चला गया है। कृषि तथा विस्तृत छोटे-छोटे उद्योग—इन दो पहियों पर भारत की प्रगति हो सकती थी। लेकिन श्री नेहरू की भारी-भरकम योजना चलती रही। उसका विशाल बोझ गरीब आदमी की पीठ पर पड़ा और उससे उसको कोई लाभ भी नहीं हुआ। इस नियोजन के परिणामस्वरूप केवल यह खाद्य-संकट पैदा नहीं हुआ, बल्कि आम जनता की गरीबी, और उसके साथ आबादी के केवल एक छोटे हिस्से की समृद्धि, बढ़ी है।"

राज्य या केन्द्र की सरकारों की अक्षमता की चर्चा करते हुए श्री जयप्रकाशजी ने कहा है : "जब वर्तमान सूखे की विनाशकारी छाया फैलने लगी तो सरकारी कार्यालयों में सरकारी कुओं तथा नदियों से पानी निकालने के लिए डिजेल या बिजली द्वारा संचालित यंत्रों के लिए दरखास्तें इकट्ठी होने लगीं; और जब कुएँ तथा जमीन की सतह पर के जल-स्रोत सूखने लगे तो कुओं की खुदाई, बिजली द्वारा संचालित नलकूपों तथा अन्य ऐसे चीजों के लिए हजारों दरखास्तें भी पहुँचने लगीं। किसानों की ओर से—ऐसे किसानों की ओर से नहीं, जो पश्चिम के लोगों की नजर में सुषुप्तावस्था में हैं, बल्कि सूखे के संकट को पराजित कर अपनी रक्षा के लिए कटिबद्ध, पूर्णतः जाग्रत किसानों की ओर से—जब उपर्युक्त मांगों की बाढ़ आयी, तो राज्य सरकार उसके मुकाबले बिलकुल असमर्थ पायी गयी। ऐसा क्यों होना चाहिए था? प्रत्येक चार साल पर या ऐसी ही कुछ अवधि के बाद राज्य के किसी-न-किसी हिस्से में सूखा पड़ता रहा है। इसलिए सरकार में उसका मुकाबला करने की तैयारी अधिक होनी चाहिए थी।"

जाहिर है कि जो सबसे ज्यादा पीड़ित और जरूरतमन्द हैं, उनको मदद पहले पहुँचनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो नहीं पाता? जयप्रकाशजी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है : "इस सवाल के दो पहलू हैं। एक का सम्बन्ध

सार्वजनिक प्रशासन से है और दूसरे का सम्बन्ध नैतिकता से है। प्रशासन की पद्धति में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। युद्ध-स्तर पर सूखे का मुकाबला करने की बातें बहुत होती हैं। लेकिन एकमात्र युद्ध जो हम देखते हैं, वह राजनेताओं के बीच केवल चुनाव के समय नहीं, हमेशा होने वाला युद्ध है। आज का प्रशासन ढीला, अक्षम, मन्द तथा ब्रिटिश जमाने में किसी और मतलब से बनाये गये नियमों में जकड़ा हुआ है। बहुत प्रयास करने पर भी प्रशासन की कार्य-पद्धति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।"

आगे जयप्रकाशजी कहते हैं : "नैतिक पहलू हिम्मतपस्त करने वाला एक मुश्किल पहलू है। एक भारतीय के लिए यह स्वीकार करना लज्जा की बात है। लेकिन तथ्य यह है कि हमारे देश में आचरण का स्तर अभी इतना गिर गया है कि विश्वास नहीं होता। इसके अनेक कारण हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण निस्संदेह यह है कि सरकार के मंत्रियों के भ्रष्ट होने का शक लोगों के मन में बैठ गया है, और श्री नेहरू के जमाने से ही इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किये जाने के कारण वह और मजबूत हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि श्री शास्त्री ने शल्य-चिकित्सक की छुरी चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दिशाहीनता की स्थिति पुनः पैदा हो गयी है।"

इस अंधकारपूर्ण वातावरण में सरकार की पूरी-पूरी सहायता जनता तक पहुंचे, इसका भरोसा दिलाना आसान नहीं है। बिहार रिलीफ कमिटी के कार्यकर्ता कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने आकस्मिक रूप से क्षेत्र में जाकर जांच करने के लिए कुछ 'द्रुतगामी दस्ते' कायम किये हैं। इन बातों से मदद तो मिलती है, लेकिन बहुत नहीं। वास्तविक निदान जनता के जागरण में तथा सामूहिक रूप से बुराई का मुकाबला करने में है। दुर्भाग्यवश लोग इतने असंगठित हैं कि ऐसी लड़ाई वे लड़ नहीं सकते। अगर सभी पार्टियां, जमीन पर इकट्ठा होकर जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करें, तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन भारत की पार्टियां शांति काल में एकजुट होकर, पक्षमुक्त दृष्टिकोण से, एक राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम नहीं कर पाती हैं। आशा है कि जनता का ही दुख-दर्द उन्हें एकजुट होने के लिए बाध्य करेगा।

खुशी की बात है कि आम चुनाव के बाद स्थिति में फर्क पड़ा है। बिहार में जो नयी मिली-जुली सरकार बनी है, वह सूखे और अकाल का

मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सावधान और तत्पर है। सरकारी कर्मचारी भी अब जागरूक हो गये हैं और यह समझ गये हैं कि पुरानी धांधली या मनमानी नहीं चलेगी। २० साल तक जनता की उपेक्षा की गयी और छोटे-छोटे काम जो करने चाहिए थे, उनकी तरफ लापरवाही बरती गयी। सौभाग्य से केन्द्रीय सरकार भी अब जाग्रत नजर आती है और इस समस्या का वास्तविक हल निकालने के लिए प्रयत्नशील है। वह बिहार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों को यथासंभव सहायता कर रही है।

लेकिन रह-रहकर फिर यही शंका उठती है कि क्या सरकार इस संकट का सामना अकेले कर सकेगी? स्पष्ट उत्तर है—नहीं। इस काम के लिए तो जनता को ही आगे आना होगा और उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी करनी होगी। यह कैसे हो? आधुनिक भारत का शायद यह सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार और जनता के बीच की खाई बढ़ती रही है, दूसरी तरफ जनता अपने बल पर कुछ करने में असमर्थ है। यह रोना इसी देश का नहीं, बल्कि सभी अविकसित या विकासशील देशों का है जो हाल में स्वतंत्र हुए हैं और अब उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं। दुनिया की नजर भारत पर लगी है। वह देख रही है कि भारत कैसे इस सवाल को हल करता है। बिहार के सूखे और अकाल ने इस सवाल का महत्त्व बढ़ा दिया है।

लगता है, इस समस्या का एक ही हल है, और वह है ग्रामदान। विनोबाजी ने भी कई बार कहा है कि इस सवाल के हल की चाभी ग्रामदान में ही है। ग्रामदानी गांव की ग्रामसभा अकाल का मुकाबला जिस तरह कर सकती है, वैसा दूसरी कोई एजेन्सी नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट कहा है: "हर गांव में ग्रामसभा बने और वह सर्वसम्मति के आधार पर चले। सब लोगों की राय से सरकार जो कुछ मदद दे, वह ग्रामसभा की मार्फत दे और कह दे कि जब तक ग्रामसभा नहीं बनती, मदद नहीं दी जायेगी। अगर मेरे हाथ में राज्य होता तो मैं फौरन यह आदेश निकाल देता कि सर्वसम्मति से ग्रामसभा बनाओ, क्योंकि ग्रामसभा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्रामसभा के लिए हमने जो चार शर्तें रखी हैं, वे निम्नतम हैं। जैसे बीसवां हिस्सा जमीन भूमिहीन के लिए निकालना, सारी जमीन की मालकियत ग्रामसभा के नाम करना, उपज का चालीसवां हिस्सा ग्राम-कोष

के लिए देना और सर्वसम्मति से ग्रामसभा चलाना। इतना अगर हो तो जरूरतमंद लोगों को ठीक-ठीक सहायता पहुंचेगी।"

आनंद का विषय है कि इस अकाल ने कहीं-कहीं, बिहार के कुछ जिलों में, ग्रामदान के लिए लोगों को प्रेरित किया है। वे महसूस करने लगे हैं कि ग्रामदान होने से ही सबके साथ न्याय होगा और उनकी तथा गांव की ताकत भी बनेगी। साथ ही साथ उनमें एक नयी भावना भी जगी है। कुछ जिलों के लोगों ने आपस में संगठन कर एक भूमि-सेना बनायी है और इसके माध्यम से तरह-तरह के काम उठा लिये हैं। जैसे कच्चे कुएं खोदना, पुराने कुओं की मरम्मत करना, कच्चे कुओं को पक्का करना, तालाबों को दुरुस्त करना, आदि। अनाज की लड़ाई पानी के बिना जीती नहीं जा सकती और पानी अकेले दम पर निकाला नहीं जा सकता। जहाँ लोग मिलकर धरती माता की सेवा में जुट जायेंगे, वहाँ पानी का सोता फूट पड़ेगा। बिहार रिलीफ कमिटी की मार्फत करीब एक लाख कुएँ बिहार में खुद चुके हैं। आगे भी यह काम जारी रहेगा और लोग आत्म-विश्वास के साथ अन्न-स्वावलंबन की दिशा में अब अग्रसर हो सकेंगे।

बिहार का अकाल एक अभिशाप जैसा है। लेकिन राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन के शब्दों में "लोग इसे वरदान में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं।" क्या राजनीतिक पक्ष और क्या सामाजिक संस्थाएं, क्या सरकार और क्या जनता, सभी को अपनी पुरानी असावधानी का भास हो गया है और अब वे वास्तविक निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यह गति दुगुनी और चौगुनी हो जायेगी, अगर ग्रामदान के संदर्भ में यह सारा काम हो। पूरे बिहार का ग्रामदान (या बिहारदान) बिहार को अकाल के संकट से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है और सारे देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

—::०::—

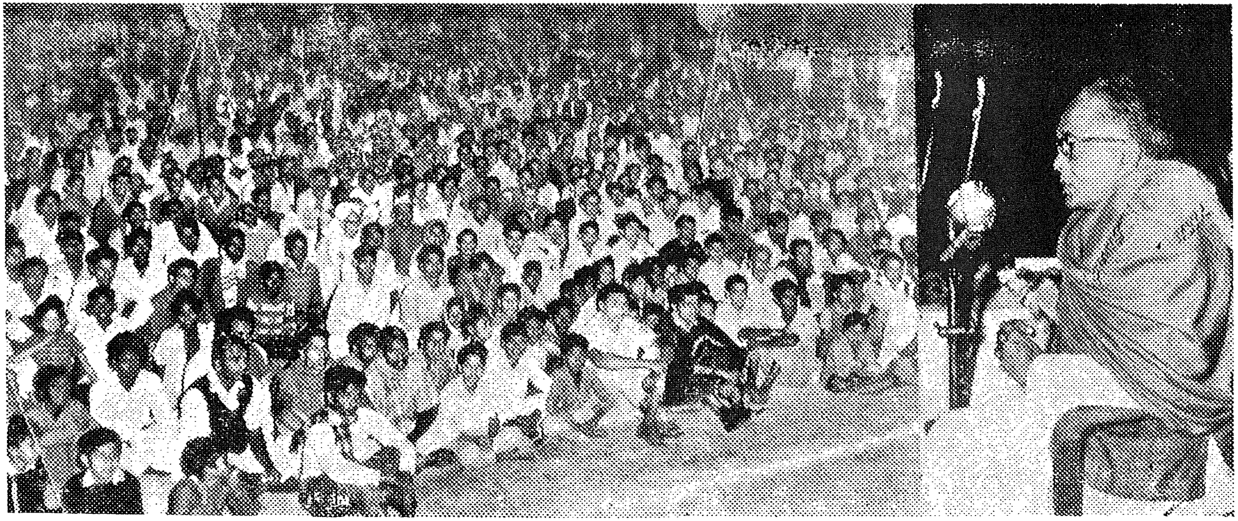

श्री जयप्रकाश नारायण राहत-कार्य के सिलसिले में आयोजित सभा में भाषण करते हुए।

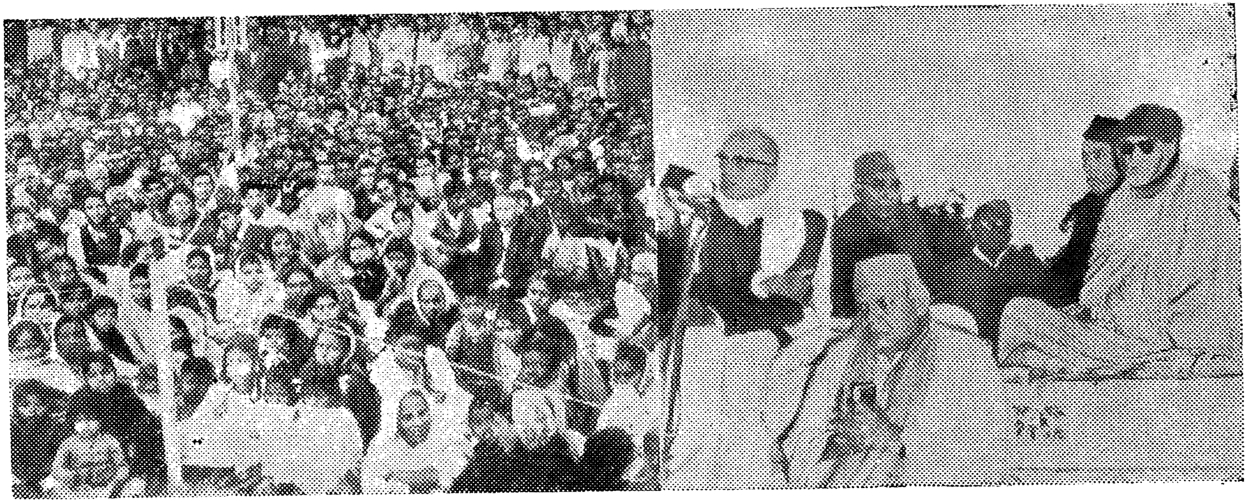

बिहारदान के संकल्प की घोषणा : श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में विशाल सभा का आयोजन। मंच पर संत विनोबा, मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिंह, शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, श्री रामानन्द तिवारी आदि नेता बैठे हैं।

नौवाँ अध्याय

तूफान की पुकार

'खबरदार, चले जाओ हमारे गाँव से'—गांव के मुखिया और अन्य सम्पन्न लोगों ने एक ग्रामदानी कार्यकर्ता को चारों तरफ से घेरकर कहा।

'ग्रामदान के कागज तो मुझे वापिस कर दीजिये'—उसने निर्भीकता से कहा।

'कागज की बात करोगे तो तुमको जान से भी हाथ धोना पड़ जायगा।' यह कहकर उनलोगों ने उन सब कागजों को फाड़ कर जला दिया। फिर बोले—और माँगोगे कागज ?

यह तो आपने बड़ी ज्यादती की कि अपना ग्रामदान देने की बजाय दूसरे ग्रामदानी गांव के घोषणापत्र आदि जला डाले। यह सरासर अन्याय है।

मुखिया आग-बबूला हो गया और बोला—कल के लड़के. तुम हमें ज्ञान सिखाने आये हो ? ग्रामदान अगर हम देंगे तो क्या खुद खायेंगे, क्या बच्चे को खिलायेंगे ?

कार्यकर्ता ने उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की—बात यह है कि ग्रामदान में—

उन्होंने बीच में ही उसकी बात काट दी और कहा—अब अगर ज्यादा बोलोगे तो यहीं ढेर कर देंगे।

कार्यकर्ता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने नम्र भाव से कहा—'ऐसे काम में अगर मेरी मौत हो तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा ?'

अन्य लोगों ने मुखिया से कहा कि 'इस आदमी को छोड़ दिया जाय, और ज्यादा मारने-पीटने की जरूरत नहीं है।'

यह घटना मुजफ्फरपुर जिले की है।

थोड़े दिन बाद उसी गाँव का ग्रामदान भी हो गया और अब वहां प्रखण्डदान होने जा रहा है !

इससे साफ पता चलता है कि ग्रामदान तूफान ने बिहार के समाज को किस तरह झकझोर दिया है।

बापूजी ने मार्च, १९२१ में 'यंग इंडिया' में एक लेख लिखकर बताया था कि हर व्यापक आन्दोलन पांच सीढ़ियों से गुजरता है—उदासीनता, मजाक और हंसी, गाली और निन्दा, दमन और विरोध तथा आदर और मान्यता। अभी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में तो आन्दोलन पहली सीढ़ी पर है, लेकिन बिहार में तीसरे दौर को पूरा कर, चौथे में प्रवेश कर चुका है—दमन और विरोध के दौर में। मुजफ्फरपुर जिले का प्रसंग ऊपर हम बता ही चुके हैं। मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी कहीं-कहीं सम्पन्न जमींदार (विशेषकर पाही-काश्तकार) खिलाफत कर रहे थे। वे दूसरों को शुरू-शुरू में ग्रामदान में शामिल होने से रोकते थे।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुराने समाज के जो बंधन हैं, जो परम्पराएँ हैं, जो मूल्य हैं और जिन्होंने हमेशा दबाया और सताया ही है, वे मानों अब टूट रहे हैं। परम्परा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। उसे छोड़ना आसान नहीं होता, विशेषकर पुरानी पीढ़ी के लिए। फिर आज हमारे देश में वातावरण भी कुछ इस तरह उलझ गया है कि लोगों को सहसा विश्वास ही किसी चीज पर नहीं होता। जैसा कि राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने कहा है, हमारे देश का सबसे बड़ा संकट विश्वास का संकट है। आज विश्वास न सरकार पर है, न समाज पर, न पड़ोसी पर और न अपने पर ही। यह बड़ी भयानक परिस्थिति है जो हमारे देश की राजनीतिक आजादी तक को खतरे में डाल सकती है। इसके निराकरण का कोई उपाय सरकार या राजनीतिक पक्षों के पास नहीं दीखता। ग्रामदान ही एक ऐसा व्यापक आन्दोलन है जो इस संकट का सामना करने के लिए हर किसी को प्रोत्साहित कर रहा है और पुराने बंधनों को तोड़ रहा है। आचार्य राममूर्तिजी ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना 'गाँव के विद्रोह' में लिखा है—

"ग्रामदान के द्वारा क्रान्ति हर नागरिक के हाथ में पहुँच जाती है, इसलिए हर नागरिक क्रान्तिकारी बन जाता है।··क्रान्ति मनुष्य के आरोहण की ही प्रक्रिया है, उसके अधःपतन की नहीं। गांव के छोटे लोगों द्वारा भी यह बड़ा काम संभव है, इसका प्रमाण ग्रामदान है। यह इसीलिए संभव है कि ग्रामदान की क्रान्ति में सहकार है, संघर्ष नहीं; विद्रोह है, विरोध नहीं। ग्रामदान तूफान जल्द-से-जल्द इस संदेश को गांव-गांव, नगर-

नगर में फैला रहा है। बन्दी मानव जंजीरें तोड़ फेंकने के लिए अब दूसरों की राह देखने को तैयार नहीं है।"

क्रान्ति या राहत, किसी भी दृष्टि से देखा जाये, ग्रामदान का आधुनिक भारत में विशेष स्थान दीख पड़ेगा। पिछले समय गर्मियों में देश में जगह-जगह अकाल पड़ा था, विशेष कर उड़ीसा में। श्रीमती रमा देवीजी जब उस क्षेत्र में गयीं तो उन्होंने एक मार्मिक दृश्य देखा थोड़ा-सा गल्ला लेने के लिए लोगों ने अपना सब कुछ बेच डाला, यहाँ तक कि घरों के दरवाजे, खिड़कियों और छतों के खपड़े तक बेच दिये। जब उनके पास बेचने को कुछ नहीं रहा, तो पेड़ों की पत्तियां और कंद-मूल खाकर जीवित रखने की चेष्टा करते रहे। अखाद्य भोजन खाने के कारण कुछ लोगों के मौत के शिकार होने की खबरें भी मिलीं। वहाँ के निवासी जिन्दा प्रेत जैसे जान पड़ते थे!

यह नक्शा हम सब के लिए चुनौती है। छिटफुट उपद्रव करने से तो कुछ नहीं होगा। लोगों के अन्दर यह शक्ति पैदा होनी चाहिए कि वह क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सके। इसका माध्यम ग्रामदान ही है। उड़ीसा के प्रसिद्ध सेवक और सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी ने अपने एक वक्तव्य में इस पर प्रकाश डालते हुए कहा था—

"मैं जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि आज की स्थिति में ग्रामदान ही ऐसा साधन है जो जनता में परिवर्तन ला सकता है, सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को बदल सकता है, और सरकार को इसके लिए विवश कर सकता है कि वह अपना रवैया बदले। ग्रामवासी ग्रामदान के आधार पर ही अपना संगठन करके तरह-तरह के संकटों से अपनी रक्षा कर सकते हैं।"

अकाल, भुखमरी और बेकारी के अलावा बिहार तथा अन्य सीमा-प्रदेशों में एक शिकायत सुनने में आती है कि गल्ला दूसरे देशों को, यहाँ तक चीन को भी, चोरी से भेजा जाता है। लद्दाख से लेकर नेफा और नागालैंड तक, इतनी लम्बी सरहद पर फौज या पुलिस की चौकियां इस चीज को रोकने में समर्थ नहीं हो सकतीं। पहले तो साधनों की कमी है, फिर साधन हो भी तो सीमा पर खड़े चौकीदारों की चौकीदारी कौन करेगा? इस चीज को रोकने का एक ही उपाय है—उस इलाके के लोग खुद चौकीदार बन जायें और सारा तस्कर-व्यापार रोक दें। यह ऐसी बात है कि वह कानून

के बल से होना मुश्किल है। अगर हो सकती तो अबतक हो गयी होती। इसका कारगर उपाय यही है कि ग्रामसभा यह जिम्मेदारी उठा ले और गांव का सारा आयात-निर्यात उसीकी निगरानी में चले। जाहिर है कि यह तभी हो सकता है, जब गांव का ग्रामदान हो गया हो और वहां की ग्राम-सभा व्यवस्थित ढंग से और सर्वसम्मति या आमराय से काम करती हो।

पूर्वी पाकिस्तान और असम की सरहद पर तस्कर व्यापार की कोई हद ही नहीं है। फिर, इधर से लोग वहां जाकर मुंहमांगे भाव पर जमीन खरीद लेते हैं और कुछ अरसे बाद असमवासी होने का दावा करते हैं। लेकिन अगर वह सारा इलाका ग्रामदान में आ जाय और जमीन की खरीद-बिक्री बन्द हो जाय या अगर हो भी तो ग्रामसभा की स्वीकृति से गांव के निवासियों के बीच ही हो, तो यह मसला बहुत दूर तक हल हो सकता है।

इससे पता चलता है कि ग्रामदान में कितनी दूरगामी और गहरी संभावनाएँ भरी पड़ी हैं। इसके अलावा इसकी एक बड़ी विशेषता यह भी मानी जायगी कि सरकारी शक्ति, कानूनी शक्ति, हथियारी शक्ति या लश्करी शक्ति आदि शक्तियों से दूर रहकर ग्रामदान जनता की शांतिमय और अहिंसक शक्ति खड़ी करता है। भारत में ही नहीं, सारे एशिया में आज इस शक्ति का अभाव है। यही कारण है कि अमरीका, इंगलैंड, नार्वे और स्वीडेन जैसे समृद्ध देशों के निवासी भी, जीवन की सारी सुख-सुविधाएँ अपने पास रखते हुए, खोये खोये से नजर आते हैं, और दिन-दिन वहाँ सत्ता थोड़े से हाथों में केन्द्रित होती जा रही है। इसके साथ-साथ यंत्रीकरण, केन्द्रीकरण और शस्त्रीकरण भी दिन-दूनी गति से बढ़ता जा रहा है; राजनीतिक और आर्थिक नौकरशाही समाज पर हावी हो रही है, और लोगों के नागरिक अधिकार एवं उनकी स्वाधीनताएँ दिन-दिन मुर्झाती जा रही हैं। इसलिए इस बात की बड़ी जरूरत है कि यह प्रवाह रोका जाय और लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखा जाय। इस तरफ इशारा करते हुए अमरीका के एक उच्च कोटि के वकील श्री हैरिश वाफोर्ड (जूनियर) ने कहा है—

"राज्य और ईश्वर के बीच अपने कर्तव्यों को बाँटने के सवाल का नया जवाब अहिंसक असहयोग है। जैसे-जैसे राज्य की माँगें ज्यादा मजबूत होती गयी हैं, हमारा जवाब प्रायः यह रहा है कि अगर राज्य कहता है कि यह

राज्य का है तो वह हम राज्य को देते जाते हैं, और रविवार के दिन गिरजा चले जाते हैं। लेकिन अहिंसा की मदद से हम वास्तविक निर्णय कर सकेंगे—एक नैतिक, प्रभावशाली विकल्प हो सकेंगे और ईश्वर या राज्य तथा अपने अन्तःकरण और प्रशासन के बीच न्याय कर सकेंगे।"

इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ग्रामदानी गाँव की ग्राम-सभा से बढ़कर माध्यम नहीं हो सकता। यह सारी बातें ग्रामदान के गर्भ में हैं।

आज विनोबा ने ग्रामदान तूफान का जो आह्वान किया है, उसका और भी ज्यादा महत्त्व भारत की विशेष परिस्थिति के संदर्भ में है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ का आर्थिक नियोजन अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को नहीं पा सका है। आर्थिक विषमताएँ बढ़ती गयी हैं, और जो सबसे दलित और दुःखी हैं, उनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया है। अपने जीवन के संध्याकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस महत्त्वपूर्ण विषय पर जोर देने लग गये थे। २ अक्तूबर, १९६३ को एक सभा में उन्होंने कहा था :

"कमजोर और नीचे तबके के लोगों की प्रगति नहीं हुई है और अगर उनकी प्रगति के लिए कुछ नहीं किया जाता है, तो हम नयी समस्याएँ और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर देंगे···किसी भी राष्ट्र के लिए इससे ज्यादा भयानक चीज और क्या हो सकती है कि वह बड़े पैमाने पर बेकारी का बोझ उठाये ?"

इस विषय को उन्होंने आगे चल कर और स्पष्ट किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में एक बहस का जवाब देते हुए ११ दिसम्बर, १९६३ को नेहरूजी ने पार्लियामेंट में जो कहा था, उसे हम यहाँ पेश करते हैं :

"फिर, मुझे दिन-दिन महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का अधिकाधिक ख्याल आता है। यह कुछ अजीब-सी बात है कि इस संबंध में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं, मैं सोलह आना आधुनिक मशीन का पुजारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेहतरीन मशीनरी और बेहतरीन तकनीकी पद्धति का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन भारत की जो वस्तुस्थिति है, उसको देखते हुए हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते—चाहे इस मशीन-युग में हम कितनी ही तेजी से क्यों न बढ़ें और बढ़ेंगे ही—कि हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एक लम्बे अरसे तक मशीनरी से अछूता रहेगा और वह उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकेगी। इसलिए हमको कुछ दूसरे

रास्ते तलाश करने होंगे, ताकि लोग उत्पादन में साझीदार बन सकें, चाहे उनका उत्पादन करने का साधन आधुनिक तकनीक के मुकाबले कुशल न भी हो। लेकिन हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वह बेकार चला जाता है। हमको अपने इन अत्यन्त गरीब देशवासियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, और जितनी जल्दी हो, उनकी हालत में सुधार लाने के लिए कुछ करना चाहिए। यह चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है।"

आज से पचीस साल पहले अपने सुप्रसिद्ध निबंध 'रचनात्मक कार्यक्रम' में राष्ट्रपिता ने आर्थिक समानता की आवश्यकता बतलायी थी। उन्होंने कहा था कि देश में विषमताएं लगातार घटनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने एक बड़ी गंभीर चेतावनी दी थी—

"अहिंसक स्वराज्य की कुंजी आर्थिक समानता ही है। स्वराज्य में नयी दिल्ली के महलों और गरीबों की गन्दी बस्तियों के जैसा भेद एक दिन भी नहीं टिकना चाहिए। स्वराज्य में तो गरीबों को उसी सत्ता का आनन्द लूटने को मिलेगा, जिसको अमीर-से-अमीर लोग लूटते होंगे। अगर दौलत से मिलने वाली ताकत को खुशी से नहीं छोड़ा गया और आम लोगों के हित में उसका साझा या बंटवारा नहीं हुआ तो एक हिंसक और खूनी क्रांति का होना लाजिमी है।"

साझे की बात कौन कहे, स्वराज्य में तो ब्रिटिश राज्य के जमाने के जैसा शोषण चल रहा है। स्थिति ऐसी भयानक है कि उसका बयान नहीं हो सकता। अगर इसका फौरन खात्मा नहीं हुआ, तो देश में कुछ-से-कुछ हो सकता है। अपने हृदय की इस वेदना को विनोबाजी ने गत ३० अक्तूबर, १९६५ को सहर्षा जिले के सुपौल नामक स्थान में साफ-साफ रख दिया था। उस दिन की प्रार्थना-सभा में उन्होंने कहा :

"गांव एक बनेगा, तभी इसकी ताकत बनेगी और शोषण से उसको मुक्ति मिलेगी। सरकार इस शोषण से आपको निकालने में असमर्थ रही है। यह काम आपको खुद करना होगा, जिसके लिए ग्रामदान का कार्यक्रम है, या नहीं तो फिर बगावत हो सकती है। अगर भगवान को यही मंजूर है तो जैसा चीन में हुआ और जैसा रूस में हुआ, वैसा यहाँ भी कत्लेआम होगा और छोटे लोग बड़ों का सफाया करेंगे। मुझे उसके लिए दुःख होगा, लेकिन आज की जो स्थिति है, उसकी अपेक्षा कम दुःख होगा। आज जो चल रहा है, जो 'स्टेटस-को'

है, उसे मैं पसन्द नहीं करता। नीचे वाले सतत दबाये जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। उनके साथ यह कायम हिंसा चली आ रही है। यह बर्दाश्त के बाहर है। एक सैलाब आयेगा और खूनी क्रांति में सबको लपेट लेगा। उसका दुःख तो मुझे होगा, लेकिन उसे देखने को मैं जीवित नहीं रहूँगा। अहिंसक ढंग से क्रांति करने के लिए मैं अपनी जान दे दूँगा।···इस वास्ते मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम से ग्रामदान करना चाहिए और परिवार बनाकर रहना चाहिए।"

अगर देश को इस समय कोई चीज बचा सकती है तो वह ग्रामदान ही है। यही वजह है कि इससे न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी बड़ी आशा की जा रही है। कोई इसे जादू कहता है, कोई करिश्मा कहता है, तो कोई चमत्कार। इंगलैंड के एक प्रसिद्ध जनसेवक श्री डोनाल्ड ग्रूम ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा है कि 'इस आणविक युग में युद्ध की लपटों से मानव को बचाने का मार्ग ग्रामदान ही है।'

पिछले दस-बारह वर्षों में देश में जो ग्रामदान हुए हैं, उनमें सब जगह तो पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ है और जहां हुआ है वहां उत्पादन बढ़ा है, बेरोजगारी घटी है, कर्ज के बोझ से मुक्ति मिली है, उद्योग पनप उठे हैं, पुलिस और कचहरी की शरण में जाना बन्द हुआ है, आपस में सौहार्द्र और सद्भावना का विकास हुआ है। इसके विस्तार में इस समय जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि किसी एक गांव को लेकर निर्माण करने की कोशिश करना सार्थक नहीं साबित होगा। चारो तरफ से उस पर तरह-तरह की गंदी और जहरीली हवाओं के झोंके आयेंगे, हमले होंगे और वह टिक नहीं पायेगा।

इस संबध में एक सवाल का जवाब देते हुए विनोबाजी ने कहा है: "निर्माण का काम गांव के निवासियों को ही करना है। हमलोगों को भ्रम है कि निर्माण-कार्य हम करेंगे। समझना चाहिए कि एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ समाज है। उसमें व्यापारी हैं, महाजन हैं, सरकारी नौकर हैं, बी० डी० ओ०, एस० डी० ओ० आदि हैं। इनका काम निर्माण करना नहीं तो क्या है? इनके अलावा और कौन होंगे जो निर्माण की जिम्मेवारी उठायेंगे? कहा जाता है कि नमूने के तौर पर कुछ गाँव बनायें। लेकिन मैंने देखा है कि नमूने का गाँव क्या बनायेंगे? वह नमूने का नहीं होगा, क्योंकि उसमें

ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा साधन और ज्यादा संपत्ति डाली जायगी। नमूने का गाँव, यानी लाड़ला गाँव, बिगड़ा हुआ गाँव, सेवा लेने वाला गाँव, ऐसा गाँव जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। नमूना तो वह होगा, जहाँ गैरमामूली मदद न पहुँची हो और थोड़ी-सी भी जो मदद पहुँची हो, वह ऐसी हो कि हर गाँव को मिल सके।"

इस वास्ते हमको एक दो गाँवों पर संतोष नहीं कर लेना है। भारत के हर गाँव को ग्रामदान में लाने की कोशिश करनी है, ताकि नये वातावरण में सब गाँव अपनी प्रतिभा और लोकशक्ति के अनुरूप अपने विकास में लग जायें।

ग्रामदान तूफान में भारत के गरीब, पददलित, शोषित और पदाक्रांत समुदाय की आह छिपी है। इसमें जनजीवन के सब अंगों को आपस में प्यार के धागे से जोड़ने की कला भी है। नये समाज और नये इन्सान को ढालने की कीमियागिरी भी इसमें भरी पड़ी है। मानो विनोबा का जन्म ही भारत माता की आर्थिक और सामाजिक दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हुआ है।

संत विनोबा के शब्दों में—

"मनुष्यों के जीवन में उभार का एक समय होता है, जब सारा समाज समुद्र की तूफानी लहरों की तरह ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार के उभार मानव-जीवन में बीच-बीच में आये हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ एक ऐसी हवा बनी है जिसको शेक्सपीयर ने 'टाइड' यानी उभार कहा है। हमारे जीवन में एक वैसा ही उभार आया है। इसका लाभ अगर हम लेते हैं और इस पटरी पर हमारी गाड़ी जोरों के साथ चलती है तो हमारा बहुत काम बन सकेगा, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। मुझे संकेत मिला है कि पत्ती भी इसके अनुकूल हो रहे हैं।"

परिशिष्ट

(ग्रामदान के विचारों को समझकर ग्रामदान में शामिल होने की घोषणा जिस फार्म में करनी पड़ती है, उसके नमूने यहाँ दिये गये हैं।)

प्रपत्र १

धारा ४ के अधीन घोषणा

[नियम ३ (१) द्रष्टव्य]

मैं/हमलोग ....

पिता/पति का नाम ....

निवास/ग्राम ...., थाना सं० ....

अंचल ...., जिला ....

अपनी ओर से/या और ....

के स्वाभाविक अभिभावक/प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) के रूप में ....

की ओर से, गाँव ...., थाना सं० ....,

अंचल ....जिला .... में अवस्थित अपनी सभी भूमि ग्रामदान के रूप में इसके द्वारा दान करता हूँ/करती हूँ/करते हैं जिसका विस्तृत विवरण इस फारम के अनुबन्ध 'क' में दिया गया है।

इस शर्त उपगत मैं/हमलोग ग्रामदान किसान के रूप में जमीन के १९/२० वें भाग या बिहार भूमि सुधार (अधिकतम क्षेत्र निर्धारण और अतिरिक्त

भूमि-अर्जन) अधिनियम १९६१ के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम क्षेत्र से अनधिक जमीन ही रखूँगा/रखेंगे जो कि प्रपत्र के अनुबन्ध 'ब' में वर्णित है।

मैं/हमलोग यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हमलोग ग्राम के ग्रामदान में शामिल होऊँगा/ होंगे और सामुदायिक प्रयोजनों के लिए धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (च) के उपबन्ध के अनुसार ग्राम सभा में आवधिक अंशदान करूँगा/करेंगे। अनुबन्ध 'क' में बतायी गयी सरकारी जमीन, जो स्थायी अधिकार के बिना मेरे/हमलोगों के कब्जे में है, के संबंध में घोषणा अनुमोदित करनेवाले सरकारी आदेश की एक प्रति सलग्न है। प्रपत्र के अनुबन्ध 'ग' में दी गयी सूची के अनुसार मेरे/हमलोगों के अधीन आश्रितों की कुल संख्या .... है।

हस्ताक्षर... ... ...

तारीख ....

अनुबन्ध 'क'

कुल जमीन ... ...

क्रम सं०	खाता सं०	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	अभ्युक्ति (यहाँ पट्टा, बंधक, अवैध कब्जा, भूदान में दी गयी जमीन, सरकार से लेकर धारित भूमि आदि का ब्योरा दें)

अनुबन्ध 'ख'

जमीन जो अपने पास रखी जानेवाली हो ... ...

क्रम सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल	अभ्युक्ति (पट्टा आदि के ब्योरे दें)

अनुबन्ध 'ग'

क्रम सं०	आश्रित का नाम	पिता या पति का नाम	उम्र	सम्बन्ध	अभ्युक्ति

प्रपत्र ४

(धारा ५ के अधीन घोषणा)

[नियम ४ (१) द्रष्टव्य]

(गांव में जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए)

मैं / हमलोग .... का / के / की पुत्र / पुत्री / पत्नी, ग्राम................, थाना संख्या ....अंचल................., जिला.............................., निवासी अपनी ओर से / या और.........................के / की पुत्र / पुत्री / पत्नी .... के प्राधिकृत अभिभावक / प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) के रूप में.......................... की ओर से इसके द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैं / हमलोग ग्राम-दान में शामिल होऊँगा / होंगे और सामुदायिक प्रयोजनों के लिए नियम १८ के अनुसार अपनी आय का १/३० भाग आवधिक अंशदान के रूप में दूंगा / देंगे। मुझे / हमलोगों के पास केवल...वसगीय जमीन है और मैं/हमलोग नियम २ (ग) के अधीन भूमिहीन व्यक्तियों की कोटि में आता हूँ / आते हैं।

अनुबन्ध 'क' में दी गयी सूची के अनुसार मेरे / हमलोगों के अधीन आश्रितों की कुल संख्या........है।

हस्ताक्षर.......................

तारीख.......................

अनुबंध 'क'

क्रम सं०	आश्रित का नाम	पिता या पति का नाम	उम्र	सम्बन्ध	अभ्युक्ति

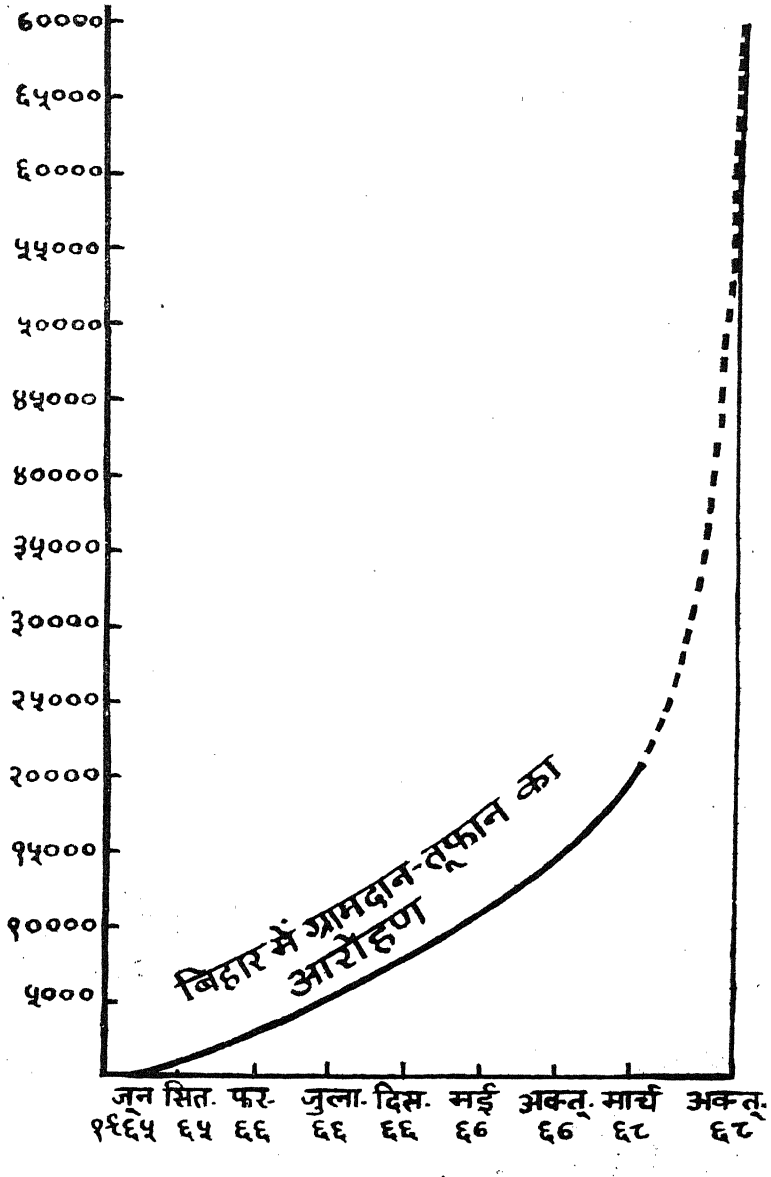
७००००
६५०००
६००००
५५०००
५००००
४५०००
४००००
३५०००
३००००
२५०००
२००००
१५०००
१००००
५०००
बिहार में ग्रामदान-तूफान का आरोहण
जून १९६५
सित. ६५
फर. ६६
जुला. ६६
दिस. ६६
मई ६७
अक्तू. ६७
मार्च ६८
अक्तू. ६८

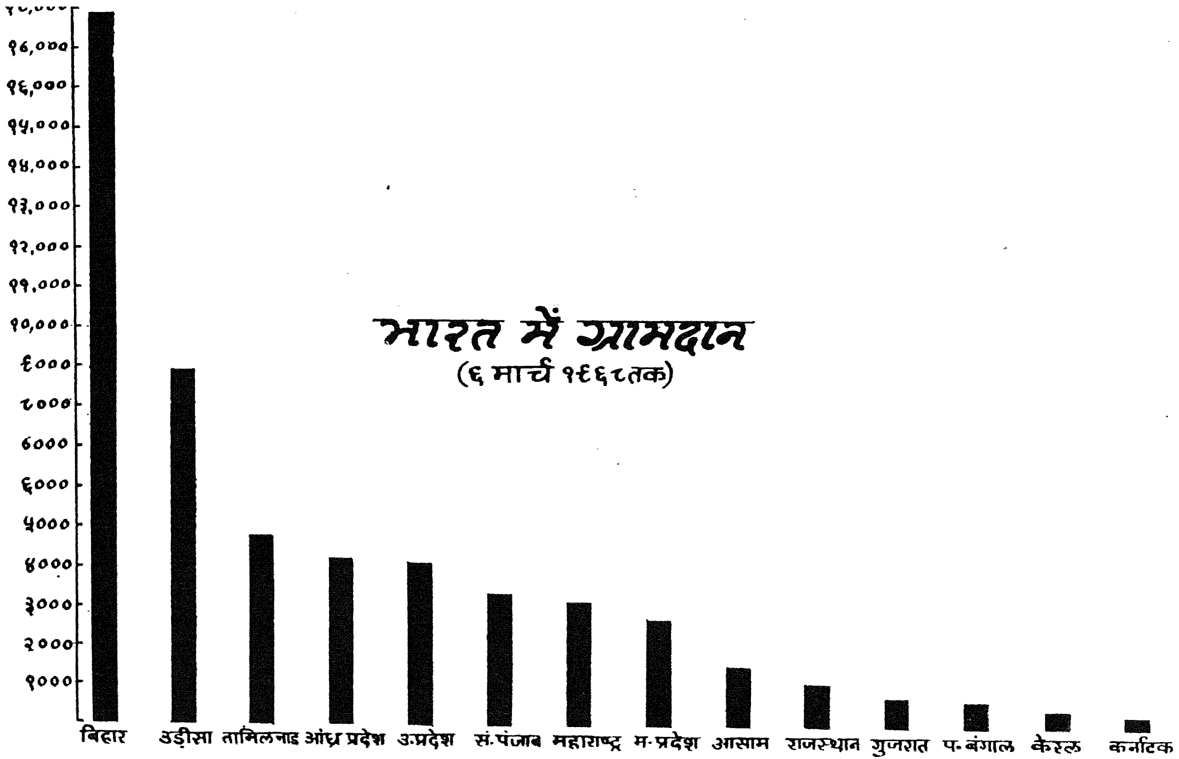
भारत में ग्रामदान
(६ मार्च १९६८ तक)
१६,०००
१५,०००
१४,०००
१३,०००
१२,०००
११,०००
१०,०००
९०००
८०००
७०००
६०००
५०००
४०००
३०००
२०००
१०००
बिहार
उड़ीसा
तामिलनाड
आंध्र प्रदेश
उ.प्रदेश
सं.पंजाब
महाराष्ट्र
म.प्रदेश
आसाम
राजस्थान
गुजरात
प.बंगाल
केरल
कर्नाटक

ग्रामदान आंदोलन की प्रगति : एक नजर में

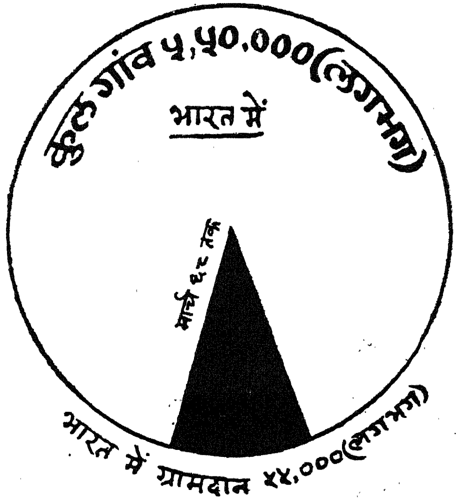

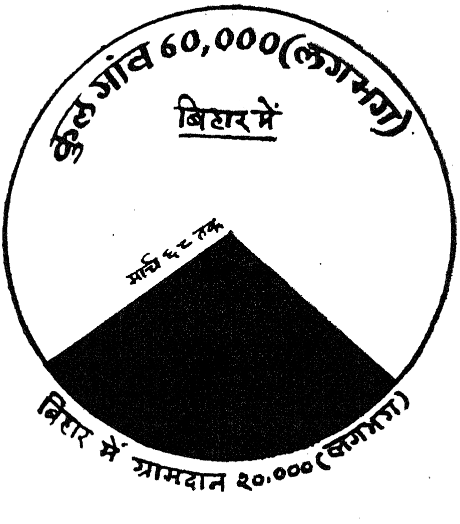

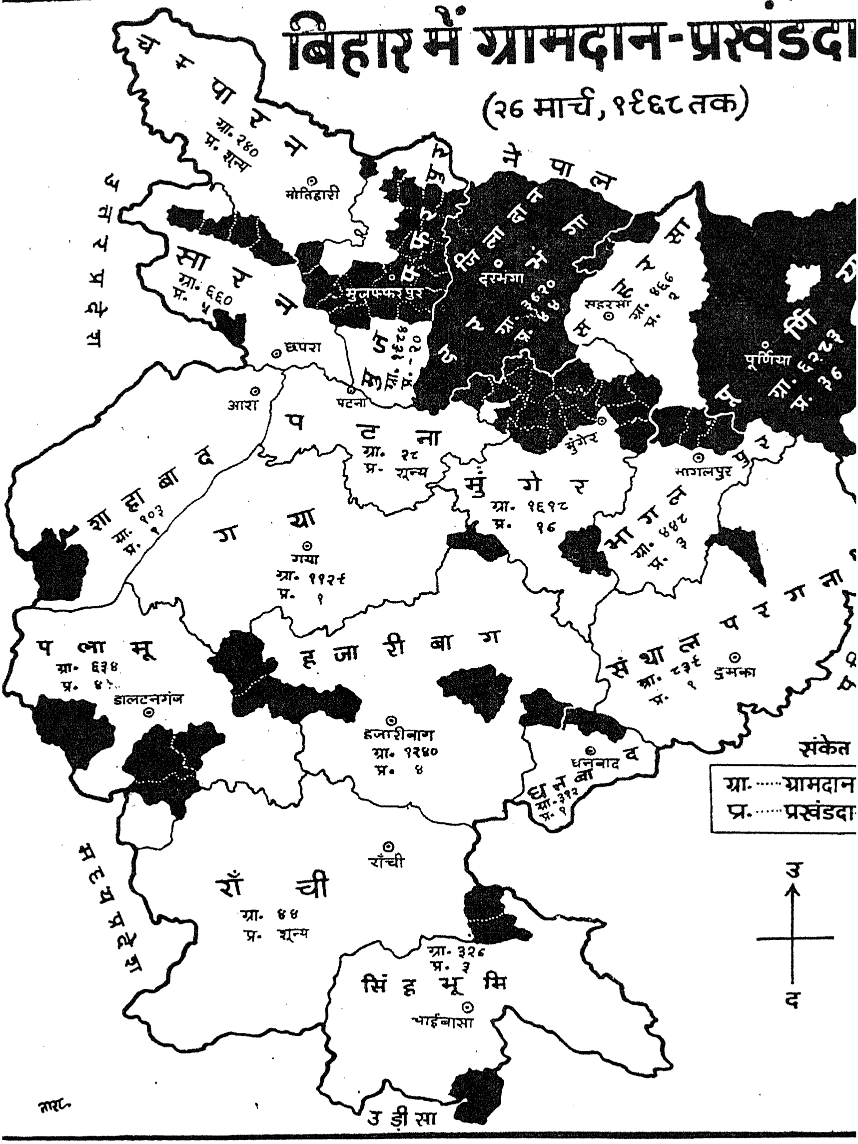

बिहार में ग्रामदान-प्रखंडदा
(२६ मार्च, १९६८ तक)
नेपाल
मोतिहारी
मुजफ्फरपुर
दरभंगा
सहरसा
पूर्णिया
छपरा
आरा
पटना
पटना
ग्रा. २८
प्र. शून्य
मुंगेर
मुंगेर
ग्रा. १६१८
प्र. १६
भागलपुर
गया
गया
ग्रा. ११२९
प्र. १
पलामू
ग्रा. ६३४
डालटनगंज
हजारीबाग
हजारीबाग
ग्रा. १२४०
प्र. ४
धनबाद
दुमका
राँची
राँची
ग्रा. ४४
प्र. शून्य
सिंहभूमि
ग्रा. ३२९
प्र. ३
चाईबासा
उड़ीसा
संकेत
ग्रा.......ग्रामदान
प्र.......प्रखंडदा
उ
द